खण्ड-203, अंक-6
बुधवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(18 मार्च, 1959 ई0)

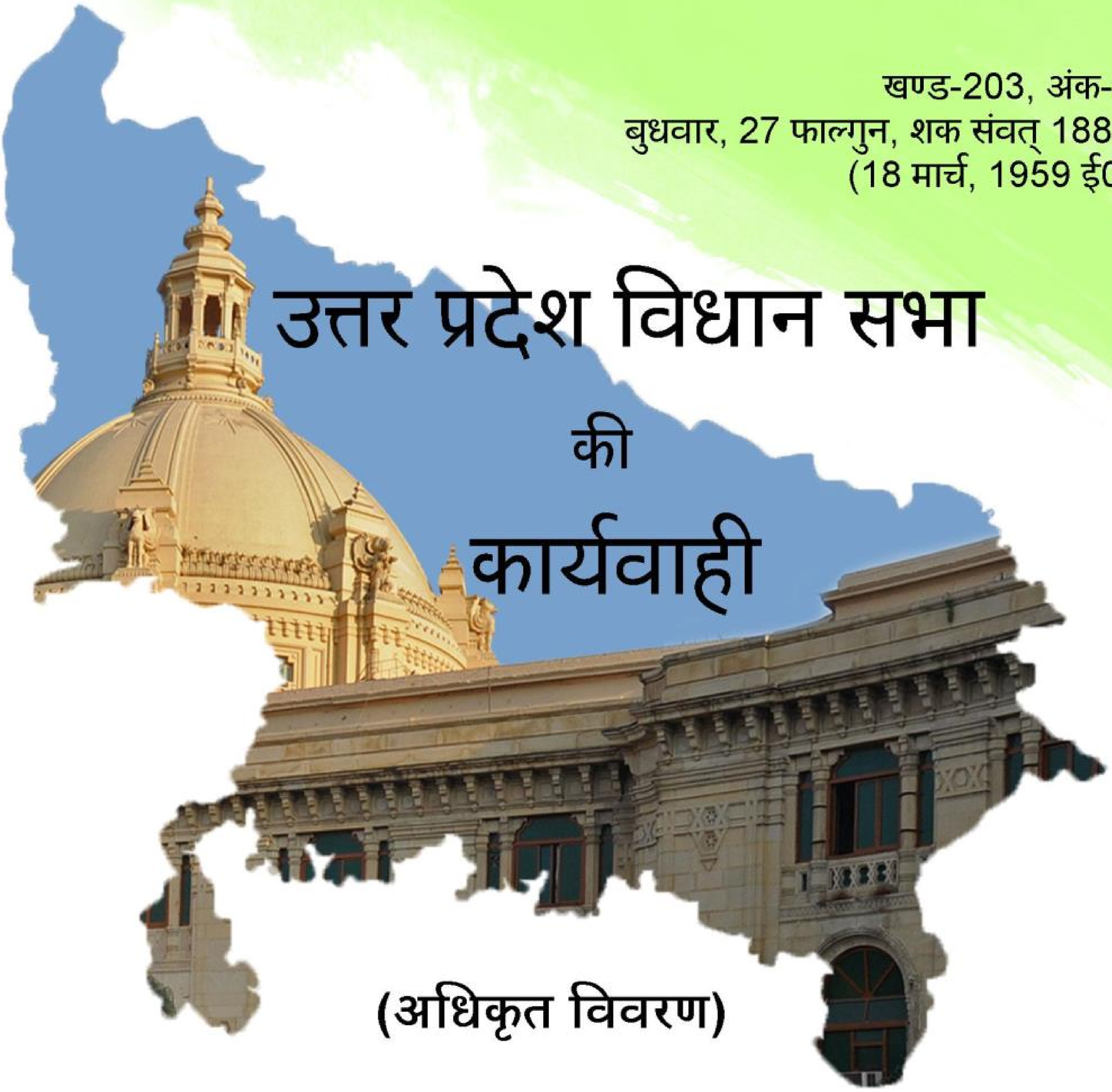

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४८९–४९३
प्रश्नोत्तर	४९३–५१९
मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२०
श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५२०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं	५२०–५२१
श्री राजनारायण के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव (स्थगित)	५२१
१६ मार्च, १९५९ की कार्यवाही के कुछ भाग को निकाल देने की मांग	५२१–५२३
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक २९- –पुलिस (स्वीकृत)	५२४–५७४
डाक्टर लोहिया के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना	५७५
नस्थियां	५७६–५८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव,श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोबिन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीर सिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुमसिंह, विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ मार्च, १९५९

तारांकित प्रश्न

*१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*२-४--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) ---[माननीय सदस्या की प्रार्थना पर १ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, लखनऊ का नये कनेक्शन न देना

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (क) क्या यू० पी० एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, लखनऊ ने यहां के नागरिकों को बिजली के नये कनेक्शन तथा स्ट्रीट लाइट देना बन्द कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ऐसा किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)--५(क) जी हां।

५(ख) यू० पी० एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० लखनऊ बिजली के नये कनेक्शन न देकर इंडियन एलेक्ट्रिक सिटी ऐक्ट, १९१० के शिड्यूल के क्लाज ५ व ६ का उल्लघंन कर रही है और इस संबंध में उक्त कम्पनी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है।

जसपुर टाउन एरिया को बिजली

*६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जसपुर टाउन एरिया, जिला नैनीताल में हाइडल विभाग की ओर से बिजली के खम्भे लग चुके हैं पर बिजली अब तक नहीं दी गयी है ?

श्री चरणसिंह--जसपुर टाउन एरिया का विद्युतीकरण २८ फरवरी, १९५९ को हो चुका है।

*७-८--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किय गये।]

बसनही नाले की खुदाई का आयोजन

*९--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत बसनही नाले की खुदाई सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही थी, वह पूर्ण हो गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--(क) आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत बसनही नाले की खुदाई का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) बसनही नाला ३४ मील ४ फर्लांग लम्बा है जिसमें से २८ मील ४ फर्लांग पर कार्य बलिया जिले में तथा ६ मील पर कार्य आजमगढ़ जिले में होना है। इस समय बलिया जिले में कार्य हो रहा है। बलिया जिले में कार्य पूरा हो जाने पर ही आजमगढ़ जिले में कार्य प्रारम्भ हो सकेगा क्योंकि जब तक बलिया जिले में कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आजमगढ़ जिले में खोदी गई नाली द्वारा जल का निकास नहीं हो सकता है।

*१०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितना व्यय होगा ?

श्री धर्मसिंह--आजमगढ़ जिले में कार्य न होने के कारण व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में कितने मील कुल नाले की खुदाई की जा चुकी है ?

श्री धर्मसिंह--कितने मील एग्जैक्ट खुदाई हो चुकी है इसकी सूचना नहीं है, लेकिन काफी खुदाई हो चुकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में कितनी खुदाई होने वाली है और वह कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह--निश्चयपूर्वक टाइम बताना कठिन है लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द हो जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ के नाले का एस्टीमेट बन चुका है तो उस पर कितना खर्च होने वाला है ?

श्री धर्मसिंह--आजमगढ़ का कोई पृथक् एस्टीमेट नहीं है। बलिया और आजमगढ़ दोनों को मिलाकर ९९,५३४ रुपये हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो नाले खोदे जा रहे हैं यह वाटरलागिंग के पानी को निकालने के लिये खोदे जा रहे हैं या सिंचाई के पानी को देने के लिये ?

श्री धर्मसिंह--यह उस पानी को निकालने के लिये हैं जो वाटर लागिंग के कारण जमा हो जाता है।

श्री झाड़खंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना है कि इन नालों से जो पानी निकलेगा उससे कितनी जमीन वाटर लागिंग से मुक्त होगी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--यह तो तजुर्बा हासिल करने पर ठीक पता लगेगा।

*११-१२--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१५--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६-१७--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

डेरापुर तहसील में उपलवृष्टि से क्षति

*१९--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की डेरापुर तहसील में जनवरी सन् १९५९ में उपलवृष्टि से एक सौ गांव में भीषण क्षति हुयी है? यदि हां, तो उसमें पशुओं की, फसलों की, मकानों तथा मनुष्यों की कितनी क्षति हुई है तथा सरकार ने सहायतार्थ क्या कदम उठाया है?

श्री धर्मसिंह--उक्त समय में, उपलवृष्टि से, डेरापुर तहसील के ३९ ग्रामों में ही क्षति हुई है। फसल में क्षति की मात्रा रुपये में दो आने से लेकर सोलह आने तक है। मनुष्यों, पशुओं और मकानों की कोई क्षति नहीं हुई है। फसल की क्षति पर नियमानुसार लगान में छूट दी जावेगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि १६ आने जो फसल की हानि बतायी गयी है वह कितने गांवों में हुई है?

श्री धर्मसिंह--गांवों का विवरण इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस समय जो फसल बर्बाद हुई है तो लगान की वसूली क्यों हो रही है?

श्री धर्मसिंह--लगान मुल्तवी का प्रस्ताव आया हुआ है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपलवृष्टि के कितने दिनों के बाद जिला अधिकारियों ने उसका मुआयना किया था और कागजात तैयार करवाये?

श्री धर्मसिंह--कौन-कौन अधिकारी वहां पर गये इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आयी है वह जिलाधीश के द्वारा आयी है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगान की छूट के अलावा जानवरों के चारे के लिये और लोगों के खाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री धर्मसिंह--कुछ नहर के रेट इत्यादि में कमी की जायगी और इस बात की कोशिश की जा रही है कि तकावी इत्यादि भी दी जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जब छूट के प्रोपोजल्स आये हैं और इसी दौरान में वसूली हो रही है तो वसूली रोकी क्यों नहीं गयी उन गांवों में?

श्री धर्मसिंह--यह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह तीन महीने तक नियमों के अनुसार पूरे तरीक से मुल्तवी कर सकता है?

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि उपल वृष्टि के एक हफ्ता बाद जिले के अधिकारी वहां पहुंचे और इसीलिये उनका अनुमान ठीक नहीं हो सकता ?

श्री धर्मसिंह--यह तो इस समय निश्चयापूर्वक बताना कठिन है कि वे किस समय गये, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जिस वक्त ओला पड़ा उनको वक्त पर पहुंचना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह--जब तक इस प्रश्न पर सरकार विचार न कर ले तब तक क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वसूली रोकने का आदेश करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जैसा मैंने कहा, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अब जो अप्रैल में गन्ना वगैरह बोने का अवसर आ रहा है उसके संबंध में क्या सुविधा देंगे ?

श्री धर्मसिंह--इस वक्त तो केवल प्रस्ताव आया है, उस पर विचार हो रहा है । यह बाद में निर्णय हो सकेगा कि उस पर क्या कार्यवाही की जाय ।

सदर तहसील में उपलवृष्टि से क्षति

*२०--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जौनपुर जिले में २६ जनवरी को सदर तहसील में ओले पड़े ? यदि हां, तो क्या सरकार नुकसान का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, कथित ओलों से ३ ग्रामों में मटर की फसल को ६ आने से ८ आने तक और जौ की फसल को ४ आने से ६ आने तक क्षति पहुंची । शेष ६७ ग्रामों में फसल को मामूली नुकसान हुआ । इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्षति नहीं हुई ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ओले पड़ने के बाद मैंने स्वयं राजस्व मंत्री को उन गांवों में कितनी क्षति हुई है उसका एक पत्र लिखा था ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है मेरे पास पत्र की कापी नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्रीजी को पता है कि ओले पड़ने के दो हफ्ते बाद सरकारी कर्मचारी इसकी जांच करने गये थे और इसी कारण रिपोर्ट ठीक नहीं आ सकी?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कितने दिन बाद गये ।

श्री शिवप्रसाद नागर--उन ओलों से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है ?

श्री धर्मसिंह--निश्चयपूर्वक इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जो मैंने गांव बताये उसके बारे में प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मान कर फिर से जांच करायेंगे क्योंकि जो क्षति आंकी गयी है वह कम है ?

श्री धर्मसिंह--जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । जो कुछ रिपोर्ट आयी है वह जिलाधीश द्वारा आयी है । यदि डिटेल में लिख कर दिया गया तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में केवल सदर तहसील में ओले पड़े थे या अन्य दो-तीन तहसीलों में कई बार ओले पड़े थे ?

श्री धर्मसिंह--अन्य तहसीलों में भी पड़े लेकिन जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया उससे कोई हानि नहीं हुई ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी, जो पत्र मैंने राजस्व मंत्री जी को लिखा है कि २६ तारीख को ओले पड़ने पर मैं घटनास्थल पर गया और फसल को बारह तथा सोलह आने क्षति हुई है , इसको सूचना मानकर फिर से जांच करायेंगे ?

श्री धर्मसिंह--नियमों के अनुसार जो पत्र माननीय सदस्य लिखते हैं वह जिलाधीश को भेज दिये जाते हैं और वहां से रिपोर्ट आने के बाद उन पर निर्णय होता है, लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे और उचित कार्यवाही की जायगी ।

यू० पी० फर्स्ट अफेण्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट का प्रवर्त्तन

*२१--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि U. P. First Offender's Probation Act, 1938 प्रदेश के किन-किन जिलों में लागू है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--यू० पी० फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ इस समय प्रदेश के १८ जिलों में, अर्थात् अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, जालौन, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, उन्नाव, गोरखपुर तथा शाहजहांपुर में लागू है ।

*२२--श्री गनेशीलाल चौधरी--गत वर्ष इस ऐक्ट के मातहत कितने कैदी प्रदेश भर में छोड़े गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१५८५ प्रोबेशनर सन् १९५८ ई० में इस ऐक्ट के अन्तर्गत प्रोबेशन अफसरों के निरीक्षण में रक्खे गये ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने इस बात का सर्वे कराया है कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत छोड़े गये कैदियों में से कितने प्रतिशत जुर्म करके वापस आते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी नहीं कराया ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ऐक्ट प्रांत के और जिलों में कब तक लागू होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह प्रोबेशन ऐक्ट प्रदेश के दो जिलों में इसी वर्ष में लागू होगा और प्रगाढ़ योजना के अनुसार एक और नए जिले में अगले वर्ष में लागू होगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में इसे लागू करने में उनके सामने क्या कठिनाई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कदाचित् मेरे मित्र जानते ही होंगे कि बड़ी कठिनाई पैसे की है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह ऐक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है वैसे जब आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन किया जाता है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ऐक्ट प्रदेश के किन-किन दो जिलों में लागू होने जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी निश्चय नहीं किया गया है। निश्चय होने के बाद में बता दूंगा।

टांडा पम्प कैनाल से सिंचाई

*२३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टांडा कैनाल से सिंचाई कब तक प्रारम्भ हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह--इस कैनाल से सिंचाई १२ दिसम्बर, १९५८ से आरम्भ हो गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस टांडा पम्प कैनाल से कितने एकड़ में सिंचाई करने की योजना है और कितने में हो चुकी है ?

श्री धर्मसिंह--इस वक्त तक जो रबी में सिंचाई हुई है वह १,७०० एकड़ में हुई है और जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पम्प कैनाल में कितने पम्प स्टाल होना हैं और कितने हो गये हैं ?

श्री धर्मसिंह--छः होना है और दो हो गये हैं।

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी योजना के अनुसार कब से काम शुरू कर देना चाहिये था ?

श्री धर्मसिंह--१९५४-५५ में काम आरम्भ कर दिया गया था और वही समय था।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय पम्प कैनाल में कितना कमान्ड एरिया है ? क्या उसका सर्वे कराया गया है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल पम्प इसके कब तक लग जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक इस कैनाल का सम्बन्ध है यह द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक यानी १९६१ तक समाप्त हो जानी चाहिये। आर्डर्स वगैरह दे दिये गये हैं, आने पर कार्यवाही हो जायगी।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस नहर की खुदाई का काम, मेन कैनाल, ब्रांच, सब-ब्रांच, और माइनर सब का पूरा हो गया है या बाकी है ?

श्री धर्मसिंह--कितना कार्य हो चुका है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

जेड० ए० सी० कार्यालय के कर्मचारियों की छटनी का कथित आदेश

*२४--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेड० ए० सी० के दफ्तरों के कुछ कर्मचारियों को कम करने के लिये उसने जनवरी, १९५९ ई० में जिलाधीशों को आदेश भेजे हैं ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने ऐसे कोई आदेश नहीं भेजे हैं।

*२५--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो जो कर्मचारी हटाये जायेंगे उनको और जिनकी उम्र २५ वर्ष से अधिक हो गयी है उनको किन्हीं दूसरी जगहों पर कार्य दिया जावेगा ?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री द्वारिकाधीश मन्दिर, मथुरा के प्रबन्ध की शिकायतें

*२६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या मथुरा के श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार के पास १ जनवरी, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक कोई शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां । दो शिकायतें दिनांक २९ जनवरी, १९५९ व ३१ जनवरी, १९५९ को प्राप्त हुई हैं । उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है ।

*२७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार उपर्युक्त शिकायतों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां । दोनों शिकायतों की *प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार प्रश्न २६ के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेगी कि जो उचित कार्यवाही की जा रही है वह क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जिले के अधिकारियों द्वारा जांच करायी जा रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार का ध्यान पहली शिकायत के इस अंश की ओर गया है कि उन्होंने मंदिर की वक्फ मालियत को अपनी निजी सम्पत्ति मान अनधिकार अमल में लाये हैं, सोने की जगह नकली जवाहरात, जेवर की जगह इमीटेशन, इस तरह सारी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है, अगर हां तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, इस ओर ध्यान गया है । इसके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया जांच करायी जा रही है । इसमें एक बड़ी कठिनाई यह है कि अब तक जिस कानून के अन्तर्गत मंदिर और उनकी सम्पत्ति चलती थी वह एक साधारण कानून है । उसमें जिन-जिन चीजों की पूर्ति की आवश्यकता होती है वह केवल एक दरख्वास्त से काम नहीं चलता है बल्कि उसमें कुछ और भी करना पड़ता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि दूसरी शिकायत जो माननीय मुख्य मन्त्री जी के नाम से आयी है उसमें मंदिर के मालिक सेठ भगवानदास ने प्रार्थना की है कि इस मामले में जुडीशल इन्क्वायरी करायी जाय और मन्दिर का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो सही है लेकिन सरकार अपने हाथ में कैसे किसी सम्पत्ति को ले सकती है ऐसा तो कानून अभी हमारे प्रदेश में कोई है नहीं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी ने जिस प्रकार बद्रीनाथ मंदिर के खिलाफ शिकायत आने पर एक जज से इन्क्वायरी करायी थी इस सम्बन्ध में भी जज से जांच कराने की असीम कृपा करेंगे ?

---

*प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तेरे मित्र को ज्ञात होगा कि बदरीनाथ मंदिर के सम्बन्ध में एक अलग कानून है। उसके अन्तर्गत एक कमेटी द्वारा प्रबन्ध होता है। उसमें इस चीज की गुंजायश ज्यादा होती है कि सरकार इस तरह की जांच करा सके।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि द्वारिकाधीश के मंदिर और बदरीनाथ के मंदिर के बारे में काफी शिकायतें आ चुकी हैं कोई इस बात की कोशिश की गयी, और तमाम मंदिरों की ऐसी जो शिकायतें हैं उनकी सम्पत्ति के विषय में सरकार का कंट्रोल करने के लिये कोई व्यापक बिल सरकार का लाने का विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, जरूर है।

पिथौरागढ़ अग्निकाण्ड

*२८---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना आई है कि ७ फरवरी, १९५९ को पिथौरागढ़ के मुख्य बाजार में आग लगी थी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ? और उससे कितने जन और धन की हानि हुई ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, आग लगने का कारण यह था कि प्रमुख व्यापारी श्री रामदास के निवास स्थान में उनका एक नाबालिग पुत्र स्टोव जला रहा था। स्टोव में स्पिरिट और हवा अधिक होने के कारण स्टोव काफी जोर से जल उठा। स्टोव के पास स्पिरिट और मिट्टी के तेल का पीपा था जिससे तुरन्त आग फैल गयी। इससे तीन जन और लगभग १२,५०,४०० रुपये की हानि हुई।

*२९---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि व्यथित व्यक्तियों के सहायतार्थ वह क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---उन परिवारों को जिन्हें तुरन्त सहायता की आवश्यकता थी अहेतुक सहायता दी गई तथा दी जा रही है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये बताने की कृपा करेंगे कि इस आग में कितनी दुकानें पूरी तरह से जल गईं, कितने वंश का नुक्सान हुआ और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

श्री धर्मसिंह---जले हुए मकानों की संख्या १२ थी, क्षति-ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या २०० थी। जीव हानि में मनुष्य ३ और पशु ३ हैं। और जहां तक धन हानि का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया १२,५०,४०० रु० है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें से सब लोग ऐसे हैं जिनका सर्वस्व अपहरण हो चुका है इस आग के द्वारा ?

श्री धर्मसिंह---काफी लोग इस तरह के हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---तो माननीय मंत्री जी उनको किसी प्रकार की सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जिलाधीश ने जो रिपोर्ट इत्यादि भेजी थी नुक्सान के बारे में उस पर उनको सलाह दी गई कि बिजिनेस इत्यादि के लिये जहां-जहां से आवश्यकता हो और जतनी-जितनी आवश्यकता हो वह लोग प्रार्थना-पत्र दें।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिलाधीश ने केवल १,५०० रुपये की सहायता वहां पर बांटी है ? इसको सरकार अपर्याप्त समझ कर कुछ रुपया अपनी तरफ से असीम कृपा करके देगी ?

श्री धर्म सिंह---जो कुछ सहायता बंटी है चारों तरफ से वह २,७५० रुपये है और नियमों के अनुसार, जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है सरकार इतनी ही सहायता कर सकती है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सब व्यक्तियों ने जिनके कि मकानों की क्षति हुई है मेरे जरिये से दरख्वास्तें दी हैं कि उनका क्या-क्या नुकसान हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार इन व्यक्तियों को रिहैबिलिटेट करने के लिये कुछ धन लोन के रूप में या अनुदान के रूप में देने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह---जी, मैंने अभी निवेदन किया कि जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है हम इतनी ही सहायता कर सकते थे और बाकी जो और सहायता हो सकती है उसके लिये जिलाधीश को पूरे तरीके से लिख दिया गया है कि वह जहां-जहां से भी सहायता मिल सकती है उसके लिये जो नियम इत्यादि हैं दूसरे विभागों के उसके लिये प्रार्थना-पत्र दें ।

श्री मोहनसिंह मेहता (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बाजार कब तक जलता रहा और आग पर काबू पाने के लिये फायर ब्रिगेड कब भेजा गया ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक आग पर काबू पाने का सवाल है, वह तो साढ़े चार घंटे के बाद और ज्यादा फैलने नहीं पाई और जहां तक फायर ब्रिगेड की बात है, बरेली ही नजदीक था जहां से फायर ब्रिगेड आ सकता था, वह बरेली से दूसरे दिन आया शाम को ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आग से पीड़ित व्यक्ति इस समय कहां रह रहे हैं और किस हालत में हैं ?

श्री धर्मसिंह---कुछ तो अस्पताल में होंगे और दो-तीन की मृत्यु हो गई है जैसा मैंने अभी निवेदन किया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उनके पास मेरी तरफ से प्रार्थना-पत्र आया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स बाकी है, लेकिन आग से उनका सर्वस्व खत्म हो चुका है ? क्या माननीय मंत्री जी सिफारिश करेंगे कि सेल्स टैक्स माफ कर दिया जाय वित्त विभाग से ?

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार की जहां तक प्रार्थना का जिक्र है फाइल में नहीं है । यदि आई होगी तो वह उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई होगी ।

*३०---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पश्चिमी जिलों के बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*३१---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नवम्बर व दिसम्बर सन् १९५८ से फरवरी सन् १९५९ तक केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ योजना के अन्तर्गत कुछ आर्थिक सहायता पश्चिमी जिलों के लिये दी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री धर्मसिंह---बाढ़ योजना के अन्तर्गत नवम्बर, १९५८ से फरवरी, १९५९ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गत बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से कुछ पश्चिमी जिलों के लिये मांग की गई थी सहायता के लिये ?

श्री धर्मसिंह---वह तो मैंने पहले भी निवेदन किया कि बाढ़ के सम्बन्ध में इस तरह की कोई सहायता नहीं दी गई, लेकिन माइनर इर्रीगेशन स्कीम के लिये कुछ धन मिला था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन पश्चिमी जिलों में पानी की निकासी के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी गई है या सरकार ने उस पर कुछ खर्च करने का बन्दोबस्त किया है ? यदि हां, तो कितना रुपया ?

श्री धर्मसिंह---वह तो मैंने अभी निवेदन किया था कि माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स के अन्तर्गत भारत सरकार ने पैसा दिया है और उसमें से २४ लाख के करीब खर्च भी हो रहा है पश्चिमी जिलों में।

श्री रामचन्द्र विकल---यह सहायता जो केन्द्रीय सरकार ने दी है पानी की निकासी के लिए वह कितनी है ?

श्री धर्मसिंह---३० लाख।

श्री जगदीशप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सहायता के रुपये का इस्तेमाल किस-किस जिले में हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। १४ जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, गुड़गांव।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३० लाख रुपया किन प्रमुख योजनाओं में खर्च किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---जी, ३० लाख रुपये में से २४,३२,२४९ रुपया जो वाटर लागिंग की समस्या है उसको सुधारने के लिये खर्च किया जा रहा है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया जो वाटर लागिंग की प्राबलम के लिये खर्च किया जा रहा है, तो इन जिलों में आगरा और मथुरा जिला क्यों शामिल नहीं है ? क्या वहां पर वाटर लागिंग की समस्या नहीं है ?

श्री धर्मसिंह---जी, मथुरा जिला तो उसमें शामिल है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया वाटर लागिंग के लिये मंजूर है वह रुपया खर्च करने के लिये क्या कानपुर जिले को भी शरीक कर लिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। मैंने पढ़ कर सुनाया था, कानपुर भी उसमें है।

श्री शिवराजसिंह यादव---जिला बदायूं को प्रदेश के चार सबसे ज्यादा बाढ़-पीड़ित जिलों में माननीय मुख्य मन्त्री ने स्वीकार किया है तब भी इन १४ जिलों में उसे शामिल न करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---वह जितना पैसा है उतना ही खर्च किया जा सकता है और उसमें कम जिले ही लिये जा सकते हैं। जो जिले लिये गये हैं उनके बारे में मैंने निवेदन किया था कि ये जिले लिये गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--- केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त हुई है उसमें कुछ प्रदेशीय सरकार ने भी अपनी तरफ से रकम खर्च की है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

*३२---श्री प्रतापसिंह---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

बिसौली तहसील में चकबन्दी तथा कम्पोस्ट का काम

*३३---श्री शिवराजसिंह यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील बिसौली के कितने गांवों में चकबन्दी योजना के तहत में चकों पर कृषकों को कब्जे दिये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह--- तहसील बिसौली के २७८ गांवों में कृषकों को नये चकों पर कब्जे दिला दिये गये हैं।

*३४---श्री शिवराजसिंह यादव---उपरोक्त गांवों में से कितने गांवों में कम्पोस्ट पिट बनाने के लिये भूमि छोड़ी गयी है ?

श्री धर्मसिंह---उपरोक्त गांवों में से २५२ गांवों में कम्पोस्ट पिट बनाने के लिये भूमि छोड़ दी गयी है।

श्री शिवराजसिंह यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिसौली में चकबन्दी योजना कितने अर्से से चल रही है और शेष कार्य कितने अर्से में समाप्त हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---जी, जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है तहसील बिसौली में यह कार्य नवम्बर, १९५६ में आरम्भ हुआ था। उम्मीद की जाती है, और कोशिश की जा रही है कि ३० जून, सन् १९५९ तक समाप्त हो जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---जो चकबन्दी का काम हो चुका है वह चकबन्दी का काम विकास का काम है, तो विकास सम्बन्धी जो इवैल्युएशन कमेटी काम कर रही है, क्या उस कमेटी को इस चकबन्दी के काम को इवैल्युएट करने के लिये सरकार सुपुर्द करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। कमेटी का कोई प्रश्न नहीं है यहां पर। यह तो चकबन्दी का कार्य है जो कि हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम्पोस्ट पिटों के लिये जो जमीन छोड़ी गयी है उसमें कुछ कम्पोस्ट पिट बनाये भी गये हैं या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---जी, यह तो गांव वालों के ऊपर है। उन्होंने अपने आप छोड़ा है और वही गड्ढे वगैरह भी बनायेंगे।

श्री शिवराजसिंह यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २६ गांवों में कम्पोस्ट बनाने के लिये भूमि क्यों नहीं छोड़ी गई ?

श्री धर्मसिंह---इसलिये नहीं छोड़ी गई कि यह गांव आबाद नहीं हैं। पांच गांवों में आबादी बहुत ही कम है। न होने के बराबर है और बंजर भूमि और चौड़े रास्ते वहां अधिक हैं, इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं थी।

*३५---३६---श्री शिवप्रसाद नागर---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७--श्री रामशरण यादव--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

सगड़ी तहसील के अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*३८--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)-- आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में आग लगने की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में ११ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त २५ दुर्घटनाओं में कुल कितनी क्षति का अन्दाजा है ?

श्री धर्मसिंह--लगभग ४५,५५६ रुपये की क्षति का अन्दाजा है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पीड़ित व्यक्तियों को सहायता किस-किस प्रकार की और क्या-क्या दी गई ?

श्री धर्मसिंह--जी, इसमें अहेतुक सहायता ३०५ रुपया दिया गया और उसके बाद फिर अहेतुक सहायता ३,५०० रुपया दी गई।

श्री मुक्तिनाथराय-- क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस बात की सूचना है कि इन २५ दुर्घटनाओं में लोगों के मकान और उनका सामान सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है ; यदि हां तो इतनी कम सहायता देने का क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह-- सहायता देने के लिये, जहां पर आग लगती है उसके कुछ नियम बने हुये हैं और उनके आधार पर ही सहायता दी जाती है।

सगड़ी तहसील से बिजली की मांग

*३९--श्री मुक्तिनाथराय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़, जनपद की तहसील सगड़ी के जीयनपुर, कप्तानगंज, महराजगंज, सरदहा, बिलरियागंज, बनकट कस्बों में बिजली लगाने के निमित्त आवेदन-पत्र सरकार को गत वर्ष दिये गये थे ?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

*४०--श्री मुक्तिनाथराय--यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--इन क्षेत्रों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परीक्षण का कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है और परीक्षण की रिपोर्ट आ जाने पर सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--यह उम्मीद की जाती है कि इस महीने के अन्त तक रिपोर्ट आ जायगी और यदि वहां पर समय हुआ तो तभी विचार हो सकता है कि उन टाउन्स को बिजली दी जा सकती है या नहीं।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि जिन कस्बों से बिजली के लिये आवेदन-पत्र आते हैं उनमें उनको जो दिक्कत पड़ती है पोल्स और दूसरे खर्चे की जो कस्बों को देना पड़ता है, यदि ऐसा है तो सरकार इन नियमों में कोई तब्दीली करने पर विचार करेगी ताकि वे कस्बे बिजली पा सकें ?

श्री धर्मसिंह-- जब कोई प्रार्थना-पत्र आता है किसी स्थान पर बिजली लगाने के लिये तो उसका हम पहले सर्वे कराते हैं कि कितना वहां से रिटर्न होगा और कितना पैसा खर्च होगा। फिर जितना धन होता है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

*४१---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२---श्रीमती चन्द्रावती---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४---४५---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

फीरोजाबाद तहसील के वर्षा-पीड़ितों को सहायता

*४६---श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--- क्या सरकार सदन की मेज पर वह सूची रखने की कृपा करेगी जिससे यह पता चल सके कि गत दो सालों में बाढ़ व वर्षा के कारण आगरा जिले की फीरोजाबाद तहसील के किन-किन ग्रामों में आपत्तिकालीन सहायता, मकान बनाने की सहायता तथा तकावी आदि कितने लोगों को दी गई थी तथा इस सहायता में कितना धन दिया गया था?

श्री धर्मसिंह--- आगरा जिले की फीरोजाबाद तहसील में १९५७-५८, १९५८-५९ में क्रमशः ५३ व ८७ ग्राम बाढ़ व वर्षा से प्रभावित हुये थे। दी हुई सहायता का विवरण इस प्रकार है:---

	पुरुषों की संख्या जिन्हें रुपया दिया गया
१९५७-५८	
तकावी ऐक्ट १२ के अधीन ७६,१६० रु०	२,४८८
हाउस सब्सिडी ६,५०० रु०	३५५
अहेतुक सहायता १२५ रु०	९
१९५८-५९	
तकावी ऐक्ट १२ के अधीन ८३,००० रु०	२,९२१
हाउस सब्सिडी १९,००० रु०	१,५४३
अहेतुक सहायता ७,९५० रु०	१,०६०

ग्रामवार विवरण सदन के सामने रखने में जो परिश्रम व समय लगेगा वह होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा। अतएव माननीय सदस्य, कृपया यदि वह चाहें, ग्रामवार विवरण कार्यालय में देख लें।

श्री जगन्नाथ लहरी--- क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस तकावी लोन में किसानों को जो बीज और कुयें के लिये तकावी दी गई वह भी सम्मिलित है?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---जो उत्तर दिया गया है उसमें अहेतुक सहायता लिखी है, तो क्या सरकार बतलायेगी कि इसका क्या मतलब है?

श्री धर्मसिंह--अहेतुक सहायता इस प्रकार की होती है जो कि ग्रेचुटस रिलीफ के रूप में होती है। वह वापस नहीं ली जाती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह देखते हुये कि फीरोजाबाद तहसील में हर साल बाढ़ का दौर दौरा होता रहता है और बरसात अभी दूर है, क्या माननीय मन्त्री कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि बाढ़ का पानी पहले से वहां पर रोकने का प्रबन्ध हो ?

श्री धर्मसिंह---अगर बाढ़ मालूम होती है तो इस प्रकार का इन्तजाम करने की कोशिश की जाती है कि बाढ़ आने से पहले कुछ प्रबन्ध हो जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय मंत्री जी ने जो ग्रामवार सूची बतलाई है तो क्या उन ग्रामों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---ग्रामों की संख्या तो मैंने निवेदन कर दी कि ५३ व ८७ गांव बाढ़ और वर्षा से प्रभावित हुये थे।

जिला बन्दीगृह, उन्नाव के कर्मचारी

*४७---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बन्दी-गृह उन्नाव में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन कर्मचारी कितने-कितने दिनों से अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--डिप्टी जेलर ..	?	९-९-५५ से
मशीन मिस्त्री	?	१-१-५८ से
चौकीदार	?	क्रमशः ११-१-५६ व २३-९-५८ से।

*४८---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)---क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों को कब तक स्थायी किये जाने की आशा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जब तक ये पद स्थायी नहीं बनाये जाते तब तक इन पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

*४९---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*५०---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*५१-५२---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३---**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)--- [१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

मांडेर नहर तथा माताटीला बांध पर निर्माण कार्य

*५४---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मांडेर कैनाल, झांसी कितनी बन चुकी है ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न में उल्लिखित कैनाल के ३६ मीलों मे निर्माण कार्य किया गया है।

*५५--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मांडेर नहर से कितनी सिंचाई होती है ?

श्री चरणसिंह---इस कैनाल से सिंचाई अभी आरम्भ नहीं हुई है।

*५६---श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि माताटीला बांध पर ठेकेदारों द्वारा मिट्टी का कितना काम हुआ तथा मशीनों द्वारा कितना हुआ ?

श्री चरणसिंह---माताटीला बांध पर ठेकेदारों द्वारा मिट्टी का कार्य ६,९१,४६,००० घन फुट हुआ और मशीनों द्वारा मिट्टी का कार्य १४,६४,१६,२०७ घन फुट हुआ।

एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अन्तर्गत पावर स्टेशन्स

*५७---श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश को भी इस प्रदेश से बिजली दी जाती है ? यदि हां, तो कितने किलोवाट किस समय से दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह---किसी अन्य प्रदेश को इस प्रदेश से बिजली नहीं दी जाती है।

*५८---श्री रामहेतसिंह (अनुपस्थित)--- क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कहां-कहां पावर हाउस कितनी-कितनी किलोवाट बिजली बना रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७६-५७७ पर)

*५९-६०---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*६१---श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

दोहरीघाट पम्प नहर में पानी के अभाव की शिकायत

*६२---श्री झारखंडेराय---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि दोहरीघाट पम्प नहर (आजमगढ़) के शीर्ष स्थान पर पानी का अभाव हो गया है, जिसके कारण पूरी नहर योजना के असफल हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई है ?

श्री धर्मसिंह---दोहरी घाट पम्प नहर के शीर्षस्थान पर पानी का कोई अभाव नहीं है और न इस नहर योजना के असफल होने की कोई आशंका है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---दोहरीघाट नहर में पम्प कितना पानी उठाने के लिये बने हैं और कितना पानी वे उठाते हैं ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस चाहिये।

तालबेहट से फसल खराब होने की शिकायत

*६३---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट (जिला झांसी) से सन् १९५७-५८ में रबी की फसल खराब होने की कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई थी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं। इस सम्बन्ध में शासन के पास कोई रिपोर्ट नहीं आयी। दूसरे खंड का उत्तर देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

*६४—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट (जिला झांसी) में १९५७-५८ में रबी की फसल खराब होने के कारण सरकार की ओर से किसानों को सहायता के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह—ग्राम तालबेहट में रबी की फसल को जो क्षति हुई वह नगण्य के बराबर थी। अतः सहायता देने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी के पास इस तरह की सूचना आयी है कि तालबेहट में रबी की फसल ५७-५८ में अच्छी नहीं हुई ?

श्री धर्मसिंह—नहीं आयी ?

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी को पता है कि उस तरह की दरख्वास्तें जिलाधीश के पास आयी थीं और वे मंत्री जी के पास नहीं पहुंचाई गईं ? यदि हां, तो मंत्री जी उन्हें मंगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि कोई क्षति नहीं हुई और दूसरे में कहा कि क्षति हुई। कौन-सा ठीक है ?

श्री धर्मसिंह—वह न होने के बराबर हुई और सहायता देने की आवश्यकता नहीं थी जैसा कि प्रश्न ६४ में कहा गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—९ फरवरी को सुदामाप्रसाद जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि फसल खराब होने से बीज वसूल नहीं हुआ और आज कहते हैं कि फसल खराब नहीं हुई ? क्या मंत्रीजी इन दोनों के विरोधाभास की जांच कराने की कृपा करेंगे और उसे ठीक करने की कृपा भी करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—जांच करा ली जायगी।

आगरा कलेक्टरी में परिगणित जाति के कर्मचारी

*६५—**श्री गंगाधर जाटव** (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आगरा के कलेक्टरी स्टाफ में परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्री धर्मसिंह—आगरा के कलेक्टरी स्टाफ में परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या २५ है।

*६६—**श्री गंगाधर जाटव**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों में से सन् १९४८ से अब तक कितने कन्फर्म किये गये ?

श्री धर्मसिंह—उक्त कर्मचारियों में से सन् १९४८ से अब तक २० कन्फर्म किये गये हैं।

श्री गंगाधर जाटव—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारी किन-किन पदों पर हैं ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाधर जाटव—सन् १९४८ से पहले के कितने कर्मचारी हैं जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुए हैं ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

*६७--**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६८--**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६९-७१---**श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७२-७३---**श्री उग्रसेन**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७४-७६---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७७--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (जिला आगरा)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

बदायूं जिले में बिजली की दर में अन्तर

*७८---**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बदायूं जिले में, बदायूं नगर में तथा अन्य कस्बों में जहां बिजली है, न्यूनतम चार्ज (minimam rate) में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---बदायूं नगर में तथा बदायूं जिले के कस्बों में जहां बिजली उपलब्ध है, लाइसेन्सधारियों द्वारा लिये जाने वाले न्यूनतम चार्ज भिन्न-भिन्न हैं । बदायूं नगर में बिजली वितरण करने के लिये एक लाइसेन्सधारी (किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन) है और जिले के अन्य कस्बों में बिजली का वितरण दूसरा लाइसेन्सधारी (सेठ रामगोपाल एन्ड पार्टनर्स) करता है । दोनों के अपने-अपने न्यूनतम चार्ज हैं ।

*७९---**श्री श्रीकृष्ण गोयल**---क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई Representation आया है ? यदि हां, तो वह उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां । प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था कि लाइसेन्सधारी बिजली (रसद) ऐक्ट, १९४८, के छठीं अनुसूची के परिच्छेद १ के अन्तर्गत उक्त अनुसूची में निर्धारित लाभ कमाने के लिये अपनी दरें घटाने या बढ़ाने के लिये अधिकृत हैं और सरकार उनकी दरों के सम्बन्ध में उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उनका लाभ निर्धारित सीमा से अधिक न हो । किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का मुनाफा अभी तक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं पाया गया है । जिस समय उनका लाभ निर्धारित सीमा से अधिक पाया जायगा दरों को घटाने के लिये सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी । उक्त कार्पोरेशन द्वारा रोशनी तथा पंखे इत्यादि के लिये लिया जाने वाला न्यूनतम चार्ज कार्पोरेशन के लाइसेन्स में अंकित है और सरकार उपरिलिखित कारण से उसे घटवाने में असमर्थ है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब रेट सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और दोनों ही हाइडल के लाइसेंसी हैं तो न्यूनतम चार्जेज में अन्तर होने का कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह---न्यूनतम चार्जेज तो अलग-अलग होने ही चाहिये । एक कस्बे की आबादी ३,००० है और दूसरे की ८,००० है और तीसरे की कुछ और है और अलग-अलग लाइसेंसी हैं तो उनके खर्चे में भिन्नता होगी ही । इसलिये चार्जेज में अन्तर है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिले में बदायूं नगर सबसे बड़ी आबादी का शहर है और वहीं पर न्यूनतम चार्जेज सबसे अधिक हैं, और कस्बों में १ रुपया है और बदायूं में ५ रुपये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---कारण तो प्रश्न के उत्तर में बता दिये गये हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिप्रेजेन्टेशन में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह---ज्यादा चार्जेज ले रहे हैं। उनको उत्तर दे दिया गया है कि सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं कार्पोरेशन के लाभ की निर्धारित सीमा क्या है ?

श्री धर्मसिंह---उन्हीं की नहीं बल्कि किसी की भी ६ फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। ६ फीसदी से ज्यादा होने पर सरकार हस्तक्षेप करती है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---बदायूं के लाइसेंसी का रेट क्या एग्रीमेण्ट होने के समय भी यही था या बाद में बढ़ाया है ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

जेलों में धंधों की शिक्षा-व्यवस्था

*८०---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जेल उद्योग जांच समिति ने जेलों के अन्दर बन्दियों को व्यावसायिक शिल्पी धंधों की शिक्षा दिये जाने की कब सिफारिश की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् १९५६ में।

*८१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कौन से धंधे हैं और उनकी शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की किन जेलों में शुरू की गयी है तथा १५ फरवरी, १९५९ तक कितने बन्दियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जेलों में धन्धों की शिक्षा-व्यवस्था का विवरण इस प्रकार है :

(१) साबुन तथा फिनायल बनाना, केन्द्रीय कारागार, आगरा में।

(२) बम्बों की मरम्मत (Plumbering) का काम, केन्द्रीय कारागार, नैनी में।

(३) कपड़ा छपाई, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में।

(४) खेल का सामान बनाना, केन्द्रीय कारागार, बरेली में।

(५) पेन्सिल बनाना, किशोर सदन, बरेली में।

(६) रेशम के कीड़े पालना, जिला जेल, देहरादून में।

(७) कांच की गोलियां बनाना, नारी निकेतन, लखनऊ में।

(८) वार्धा प्रकार के कोल्हुओं द्वारा तेल पेरना, जिला जेल, मेरठ में।

(९) अम्बर चर्खों पर कताई करना, केन्द्रीय कारागार, नैनी, वाराणसी, फतेहगढ़, बरेली, तथा जिला जेल लखनऊ, आगरा, सीतापुर और मेरठ में।

अम्बर चर्खा की योजना के अन्तर्गत १ मार्च, १९५९ तक ७८९ बन्दी कताई में तथा १९४ बन्दी खादी बुनाई में प्रशिक्षित हो चुके हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कताई-बुनाई प्रशिक्षित कितने छोड़े गये और क्या वे अपने घरों पर इन धंधों को कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह बहुत ब्योरे का सवाल है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कताई-बुनाई के अतिरिक्त अन्य धंधों में कोई भी व्यक्ति प्रतिशत नहीं हुआ और यह कि उनमें प्रशिक्षण पाने की रुचि ही नहीं रही ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--और धंधों में भी कैदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रशिक्षित बंदी, जब अपनी अवधि समाप्त होने के बाद छोड़े गये तो उनमें से कुछ ने, जिन धंधों में शिक्षा पायी, उनमें कार्य प्रारम्भ किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरे पास अभी इसकी सूचना नहीं है । पता भी अभी इसका नहीं लगाया ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो इस प्रकार के कैदी उद्योग-धंधों में निपुण होकर घर जाते हैं, सरकार उनको उद्योगों के बढ़ाने के लिये कोई सहायता देती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--क्राइम प्रिवेन्शन कमेटी यह कोशिश करती है कि उनको काम मिल जाय । जब तक उनको काम नहीं मिलता है उनको इस प्रकार के होम्स में कार्य देने की भी व्यवस्था की जाती है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस वक्त बहुत-सी जेलों में चक्की पीसने की भी शिक्षा दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम होगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--सरकार अभी तक के अनुभव के आधार पर किन-किन व्यवसायों को जेलों में चलाना उचित समझती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जेल उद्योग जांच समिति की रिपोर्ट में जेल में चल रहे व्यवसायों के अतिरिक्त २९ और व्यवसायों का जिक्र है । जैसे-जैसे पैसे की सहूलियत होती जायगी वैसे-वैसे और उद्योगों को चालू करने की कोशिश की जायगी ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकारी काम-काज में कहीं जेल, कहीं प्रिजन, कहीं कारागार और कहीं बन्दीगृह प्रयुक्त होता है ? क्या माननीय मंत्री जी उनमें समानता लाने का प्रयत्न करेंगे कि एक ही शब्द का व्यवहार हो ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय मित्र के सुझाव को देखने की चेष्टा की जायगी ।

समाज कल्याण विभाग एटा के अन्तर्गत ग्राम सेविकायें

*८२--**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में महिला समाज कल्याण विभाग में कितनी ग्राम सेविकायें इस वक्त हैं ? उनमें कितनी ट्रेन्ड हैं और कितनी अनट्रेन्ड हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--एटा जिले में समाज कल्याण विभाग की महिला मंगल योजना चालू नहीं है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि एटा जिले में समाज कल्याण विभाग के द्वारा महिला मंगल योजना कब चालू होने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी तो कोई इरादा नहीं है। जिन ३३ जिलों में चालू है, वहीं चालू रखी जायगी।

*८३-८५--**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से विमुक्त हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

*८६--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*८७-८८--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (जिला बदायूं)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*८९--**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)--[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित सत्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९०--**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

खुर्जा तहसील में उपल-वृष्टि

*९१--**श्री छत्तरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर की खुर्जा तहसील में जनवरी, १९५९ में कितने ग्रामों को ओला वृष्टि से हानि हुई ?

श्री धर्मसिंह--ओला वृष्टि से खुर्जा तहसील के ५३ ग्रामों में क्षति हुई।

*९२--**श्री छत्तरसिंह**--क्या सरकार इन ग्रामों की नामवार सूची तथा प्रति ग्राम अनुमानित हानि का विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--वांछित विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५७८-५७९ पर)

*९३--**श्री छत्तरसिंह**--क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों को किसी प्रकार की सहायता दे रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी ?

श्री धर्मसिंह--क्षति-ग्रस्त ग्रामों को २,००० रुपये की तकावी, १,५०० रुपये की अहेतुक सहायता तथा उनके पशुओं के लिये ४२० मन भूसा सस्ते भावों पर, तहसीलदार द्वारा वितरित किया जा रहा है।

श्री छत्तरसिंह--क्या सरकार बतायेगी कि जिन ग्रामों में ८ आना से अधिक हानि हुई है, उन ग्रामों में सरकार ने कितनी छूट देने का निर्णय किया है ?

श्री धर्मसिंह--इस बारे में अभी छानबीन हो रही है। कर्मचारी ग्रामों में जा रहे हैं, उसके बाद निर्णय होगा कि कितनी छूट नियमानुसार दी जा सकती है।

श्री छत्तरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जिन ग्रामों में इस वक्त ओलों की वृष्टि हुई है उन ग्रामों में गत वर्ष अति वृष्टि से भी हानि हुई थी ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है

श्री गेंदासिंह--रबी की फसल पर ओले गिरे तो अब तक उसकी छानबीन क्यों नहीं हुई ? कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो कलेक्टर की उस सम्बन्ध में आयी ही होगी ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, रिपोर्ट आयी है। उसी के आधार पर तो मैंने निवेदन किया कि इतनी-इतनी सहायता दी गयी, बाकी डिटेल के लिये कि कितनी मालगुजारी वगैरह में छूट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिये डिटेल सर्वे भी किया जा रहा है।

श्री छत्तरसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस ओला वृष्टि से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---सब के सब ८६ गांवों में इसका असर हुआ है जिनमें से ५३ में क्षति हुई जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर में निवेदन किया है।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सन् ५९ में ओले गिरे हैं तो अब तक कोई स्थानीय अफसर, तहसीलदार या एस० डी० ओ० वहां तहकीकात के लिये गया है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, गया है और सहायता भी दी जा रही है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन ग्रामों में ८ आने से अधिक हानि हुई है उन ग्रामों के किसानों से लगान की वसूली की जा रही है ? उसे मुल्तवी क्यों नहीं किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट भेजी है उसमें उन्होंने रुपये में कितने आने की हानि बतलायी है ?

श्री धर्मसिंह--कुछ फसलों में ६ आने है और उससे कम है, ९ गांवों में ८ आने है या उससे अधिक है।

*९४--**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*९५--९७--**श्री ऊदल**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*९८--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*९९--**श्री वंशीधर शुक्ल**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*१००--१०१--**श्री देवनारायण भारतीय**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर जिला जेल में स्थान की कमी

*१०२--**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५६; १ जनवरी, १९५७ तथा १ जनवरी, १९५८ और १ जनवरी, १९५९ को पृथक-पृथक कैदियों और हवालातियों की शाहजहांपुर जिला जेल में क्या संख्या थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--शाहजहांपुर जेल में कैदियों व हवालातियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित वर्षों की पहली जनवरी को इस प्रकार था :

वर्ष					कैदी	हवालाती
१९५६	..	..	..	..	२०३	३५४
१९५७	..	..	..	..	२६०	३४५
१९५८	..	..	..	..	१९४	४३४
१९५९	..	..	..	..	२९५	४३६

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस जेल की कैपेसिटी कितने कैदियों के और हवालातियों के रखने की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--२९६ दंड-प्राप्त पुरुष कैदी, १५ महिला कैदी और ९९ विचाराधीन कैदियों के लिये स्थान है ।

श्री देवनारायण भारतीय--४०० कैदियों की जगह अब ७३१ कैदी रहते हैं तो उन कैदियों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जेल के विस्तार को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह बात सही है श्रीमन्, कि जेल में स्थान की कमी पड़ती है और इसके लिये एक फेज्ड प्रोग्राम के अन्दर प्रति वर्ष प्रत्येक स्थान पर बैरक्स बनाने की चेष्टा की जाती रही है । अब शाहजहांपुर की बारी कब आयेगी, मैं इस समय कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय--जब वहां ४०० की जगह करीब ७५० कैदी बन्द होते हैं तो अक्सर ऐसा अवसर आता है कि उन कैदियों को बाहर जंजीर डाल कर रात में रखा जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी उन कैदियों की इस तरह की असुविधाओं को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बाहर जंजीर डाल कर कैदियों को रखने वाली बात तो मुझे आज तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कहते हैं तो मैं जरूर पता लगाऊंगा और ऐसा प्रयास जरूर करूंगा कि इस प्रकार की कोई असुविधा न हो ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितने कैदी उस जेल में रखे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा कैदियों की संख्या देखते हुए क्या सरकार ने विचाराधीन कैदियों के साथ किसी प्रकार की विशेष रियायत रखने का कोई विचार किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कोई विशेष बात तो नहीं है । मैंने तो पहले ही कहा कोई असुविधा न हो इसकी कोशिश की जाती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मंत्री जी ने कहा कि हर साल जेलों में कहीं न कहीं कुछ बनाना करता है । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों की संख्या उसकी निश्चित संख्या से बढ़ रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सब जेलों में तो नहीं। कभी-कभी कुछ हमारे मित्रों की कृपा से कहीं-कहीं संख्या कुछ बढ़ जाती है, वरना ऐसा नहीं होता कि सभी स्थानों पर कैदियों की संख्या बढ़ती हो।

श्री देव नारायण भारतीय---क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सन् १९५६ में कैदी और हवालाती की संख्या ५५७ थी और १९५९ में ७३१ हो गयी और प्रति वर्ष बढ़ती रही ? यदि हां, तो इस बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---हमारे मित्र और उनके आन्दोलन।

श्री हरदयाल सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शाहजहांपुर जेल के सम्बन्ध में जो कैदियों की संख्या दी है, इसमें अधिकतर किस अपराध के कैदी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे ठीक नहीं मालूम किस अपराध के ज्यादा हैं। मेरे खयाल से सभी अपराधों के हैं।

*१०३-१०४---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री बलदेव सिंह** (जिला गोंडा)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०५---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[बीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।]

शाहगंज तहसील में बरसाती पानी रुक जाने से हानि

*१०६---**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के हरिहरपुर, बछुआर, केवटली, तुरकौली, बरैया आदि गांवों में इस वर्ष बरसात में नहर कट जाने से बहुत से खेतों में पानी भर गया जो रबी की बोवाई के समय तक खेतों में भरा रहा, जिससे उन खेतों में बोवाई नहीं हो सकी ? यदि हां, तो कितने एकड़ में तथा सम्बन्धित किसानों को क्या क्षतिपूर्ति मिली ?

श्री धर्म सिंह---प्रश्न में उल्लिखित गांवों में जो सिंगरामऊ रजबहे के कमान्ड में हैं, इस वर्ष बरसात में नहर नहीं कटी थी। अतः नहर का पानी खेतों में जमा होने तथा इस कारण-वश रबी की बोवाई न होने व क्षति-पूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*१०७---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त प्रश्न में बतायी गयी घटना में फंसे हुए खेतों को मालिकों से धान को भराई का दाम वसूलने की नोटिसें भी दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न नहीं उठता। नोटिस केवल उन व्यक्तियों को दिया गया है जिन्होंने नहर के पानी से सिंचाई की थी।

*१०८---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त प्रश्न में कही गयी घटना में नहर का पानी बहुत से गड्ढों और तालाबों में भर गया तथा जिन किसानों ने उन गड्ढों और तालाबों से ढुबला द्वारा पानी अपने धान के खेतों को दिया उनसे भी सिंचाई-कर वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, स्थिति ऐसी नहीं है। जैसा कहा गया है नहर नहीं कटी थी। नहर के पानी से अधिकतर डाल (flow) सिंचाई की गयी है। तोड़ (lifit) सिंचाई बहुत कम हुई है। कृषकों ने तालाबों से पानी लेकर जो सिंचाई की उसके लिये कोई सिंचाई-कर नहीं लगाया गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह---मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच, जिसके आधार पर उन्होंने उत्तर दिया है, किन अधिकारियों के द्वारा करायी गयी थी ?

श्री धर्मसिंह---ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रिपोर्ट भेजी है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कई दिनों तक इस नहर के कट जाने से गड्ढे, तालाबों में पानी भरता रहा ? यदि हां, तो उसकी देखरेख की क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी इसको सूचना मानकार पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे कि वह नहर कई जगहों पर कटी थी जिनमें से एक गांव घघरापारा है उस जगह पर कटी थी जिसको खुद किसानों ने बांधा था ?

श्री धर्मसिंह---रिपोर्ट के आधार पर जो इनक्वायरी की है वह ठीक है । लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं इसकी तहकीकात करा ली जायगी ।

देवरिया जिले में महिला मंगल केन्द्र

*१०९---**श्री उग्रसेन**---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने केन्द्र किन-किन स्थानों पर चलाये जा रहे हैं ?

*११०---क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने महिला मंगल केन्द्र, देवरिया जनपद में इस समय चलाये जा रहे हैं और कहां-कहां ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---देवरिया जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से केवल महिला मंगल योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत ९ महिला मंगल केन्द्र निम्नलिखित ग्रामों में चलायें जा रहे हैं :---

(१) हटवा ।
(२) मकुनाही ।
(३) बेनी पिपरा ।
(४) गडेर ।
(५) बिगही ।
(६) रामपुर कारखाना ।
(७) चकनरायनपुर ।
(८) बोलिया ।
(९) कुण्डी बुजुर्ग ।

तिलहर परगने में रामगंगा के कटाव की भूमि तथा गुलडिया के भूमिहीन

*१११---**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लोहरगढ़ी, परगना खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर में रामगंगा नदी ने भूमि सन् १९५६-५७ में काट दी और फिर दुबारा उस भूमि को छोड़ दिया, और इसी भूमि से नायब तहसीलदार तिलहर ने पुराने काश्तकारों को जो उस भूमि पर मौरूसी काश्तकार थे उनका नाम खारिज करके ग्राम समाज के नाम उपरोक्त भूमि को आदेश करके इन्दराज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी से इस सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नोट---तारांकित प्रश्न १०८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*११२---श्री रूमसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गुलडिया, परगना तिलहर, जिला शाहजहांपुर की परती भूमि पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया था उनको बेदखल कर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार ग्राम गुलडिया के भूमिहीनों को भूमि देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में बाढ़ विभाग के अन्तर्गत नालों का निर्माण

*११३---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---बाढ़ आने के पहले रबी तथा खरीफ की फसलों के बीच में एक जायद फसल पैदा करने के हेतु क्या सरकार कोई सिंचाई की व्यवस्था तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर के कछार क्षेत्रों में करायेगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । बाढ़-ग्रसित कछार क्षेत्र में सिंचाई के कोई काम बनाना सम्भव नहीं है ।

*११४---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में बाढ़ विभाग द्वारा, जब से वहां बाढ़ विभाग खोला गया है, तब से कितने-कितने नाले तथा पुल बनवाये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---गोरखपुर जिले में बाढ़ विभाग द्वारा निम्नलिखित नाले बनवाये गये :---

बासगांव तहसील---खजुआ मिसियां तथा जमुना नाला ।

सदर तहसील---ऊचगांव, पिपरी, नदौड़ ताल, बोक्टा ताल तथा कोठा ताल नाला ।

फरेंदा तहसील---महाब, कोइलाडार तथा गौराताल नाला ।

तहसील महराजगंज---कोई नाला नहीं बनाया गया । बाढ़ विभाग ने गोरखपुर में कोई पुल नहीं बनवाये ।

किरावली तहसील की जलमग्न भूमि

*११५---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील किरावली में water-logging के कारण कितनी भूमि रबी १९५८ में बिना बोये रह गयी ?

श्री चरणसिंह---तहसील किरावली में water-logging के कारण १०१५ एकड़ के लगभग भूमि रबी १९५८ में बिना बोये रह गयी ।

*११६---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रबी आन्दोलन सफलता के लिये जिला आगरा की तहसील किरावली की कितने एकड़ जलमग्न भूमि से पानी की निकासी की व्यवस्था अब तक की जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह---रबी आन्दोलन की सफलता के लिये तहसील किरावली की १९९५ एकड़ जलमग्न भूमि से पानी की निकासी की व्यवस्था अब तक की जा चुकी है ।

सहारनपुर जिले में जमुना की बाढ़ तथा कटाव का प्रभाव

*११७---**श्रीमती शकुन्तला देवी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सहारनपुर में घाघोड़ ग्राम जमुना बाढ़ के कारण जमुना के बीच में आ गया है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं ।

*११८--**श्रीमती शकुन्तला देवी**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जमुना नदी का पानी वर्तमान समय में जमीन को काटते हुए कस्बा सरसावा की ओर बढ़ रहा है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं । सरसावा कस्बा यमुना नदी से ४ मील दूर है ।

जलमग्न क्षेत्रों से पानी की निकासी की योजना

*११९--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार ने प्रदेश के गरकी से पीड़ित क्षेत्रों में पानी की निकासी के लिये कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--जी हां । कथित योजना की प्रतिलिपि बहुत वृहत (bulky) है । यदि माननीय सदस्य उस योजना को देखना चाहें तो मंत्री महोदय के कमरे में उसे देख लें ।

अकबरपुर तहसील का नकल विभाग

*१२०--**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के कार्यालय में १-१-५८ से ३१-१२-५८ तक नकल के कितने अर्जेन्ट और कितने मामूली सवाल पड़े तथा इस तहसील के नकल विभाग में सन् १९५८ में कुल कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च हुआ ?

*१२१--१२-१-५९ को इसी तहसील में सात दिन से ज्यादा पुराने नकल के अर्जेन्ट सवाल तथा इसी तारीख तक कितने मामूली सवाल थे जो २० दिन के थे पर जिनकी नकल तैयार न हो सकी और इनमें सब से पुराने सवाल किस तारीख के थे ?

*१२२--इस समय इस तहसील के नकल विभाग पर प्रतिमास क्या खर्च होता और कितने अहलकार काम करते हैं ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही ।

अतारांकित प्रश्न

परगनाधीश सगड़ी के विचाराधीन भूमि सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

१--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में पहली जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १६१ के अन्तर्गत कितनी तबादले की दरख्वास्तें परगनाधीश, सगड़ी के इजलास में पड़ी हैं ?

श्री चरणसिंह--परगनाधीश सगड़ी के इजलास में तबादले की कुल १२ दरख्वास्तें पड़ीं ।

२--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र कितने स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत ?

श्री चरणसिंह--इन १२ दरख्वास्तों में से सिर्फ ६ दरख्वास्तें स्वीकृत हुईं तथा बाकी अस्वीकृत हुईं ।

गढ़वाल जिले की नहरें

३--**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी**--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत २ वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले के अन्दर कितनी नहर बनायी गयी ?

(अ) इन पर निर्माण-कार्य कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ ?

(इ) इन पर अलग-अलग कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ई) इनमें कितनी नहरों से और आबपाशी का काम शुरू हुआ ।

(उ) इन नहरों से अलग-अलग कितनी जमीन की आबपाशी होती है ?

श्री चरणसिंह--विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८० पर)

सगड़ी तहसील में उपलवृष्टि से क्षति

४--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले से कितने ग्रामों की रिपोर्ट सरकार के पास आयी है जो इस समय ओले से क्षतिग्रस्त हुए हैं ?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ जिले से १,३९५ ग्रामों में ओला से क्षति होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

५--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में जो ग्राम ओले से पीड़ित हैं उनमें प्रति ग्राम कितनी-कितनी क्षति जिले के कर्मचारियों द्वारा दिखलायी गयी है ?

श्री चरणसिंह--जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में लगभग ४०० ग्राम ओले से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनमें से १०० ग्रामों में फसल को ज्यादा हानि हुई जिसका तखमीना निम्न प्रकार है :--

(१) १० ग्रामों में मटर, सरसों १५ आने प्रति रुपया, जौ, गेहूं १३ आने प्रति रुपया तथा चना, ऊख व अन्य फसलों को १२ आने प्रति रुपया की हानि आंकी गयी है ।

(२) ४० ग्रामों में मटर, सरसों को १३ आने प्रति रुपया, जौ और गेहूं को ११ आने प्रति रुपया चना १० आने प्रति रुपया, ऊख ४ आने प्रति रुपया तथा अन्य फसलों को १२ आने प्रति रुपया की हानि आंकी गयी है ।

(३) ३० ग्रामों में मटर व सरसों को १० आने प्रति रुपया, जौ ८ आने प्रति रुपया, गेहूं व चना ६ आने प्रति रुपया, ऊंख १० आने प्रति रुपया तथा अन्य फसलों को ८ आने प्रति रुपया की हानि आंकी गयी है ।

(४) २० ग्रामों में मटर व सरसों को ८ आने, गेहूं ६ आने, जौ चना ४ आने व ऊख ६ आने तथा अन्य फसलों को ४ आने की हानि आंकी गयी है ।

शेष ३०० ग्रामों में हानि २ आने से ४ आने प्रति रुपया आंकी गयी है ।

सहसवान तहसील में इन्दराज नाम दुरुस्ती के अभियोग

६--**श्री उल्फत सिंह** (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं तहसील सहसवान में १९५७-५८ में कितने अभियोग इन्दराज नाम दुरुस्ती के दायर हुए और कितने फैसल हुए ?

श्री चरणसिंह--राजस्व वर्ष (Revenue year) १९५७-५८ में कुल ३०५ अभियोग दायर हुए । ६६ अभियोग निर्णय करने के लिये पिछले साल बाकी थे । साल भर में ३३३ अभियोग फैसल हुए ।

मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० आर० ए० एम०-२०/३०५---टी० एम०/३०---४८२२---टी-५८, दिनांक ११ फरवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, जिन नियमों का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया वह हमारी मेज पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि हर एक के बक्से में रखे गये हैं। तरीका यही है। आप वहां से ले लीजिएगा।

श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह बंशीधर शुक्ल जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है जो पुलिस विभाग से संबंधित है। आज पुलिस के अनुदान पर बहस चल ही रही है, उसमें वह जिक्र कर सकते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार कोई चार-पांच मेरे पास विषय आए हुए हैं। उनमें से एक कल्याणचन्द मोहिले जी का जो है वह महत्व का मालूम होता है कि इलाहाबाद में किसी वजह से किसी नाले का पानी मिल जाता है और जिससे पीने का पानी गंदा हो कर स्वास्थ्य के लिये नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी कोई शिकायत आयी है। माननीय मंत्री जी इस विषय पर कोई सूचना देना चाहें, आज देना चाहें तो आज, दे दें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---आज तो श्रीमन् संभव नहीं होगा। टेलीफोन इलाहाबाद किया गया है। अभी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---दूसरा श्री गनेशीलाल चौधरी का है, इसको भी मैं निपटा देता हूं। ललितपुर में किसी गिरोह द्वारा पांच प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर माननीय सदस्य जो आज बहस में भाषण देंगे, इसका जिक्र कर सकते हैं। वह भी पुलिस से संबंधित है और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। इसको मैं स्वीकार तो नहीं करता हूं। मैंने सिर्फ एक उसी को स्वीकार किया था जिसके सम्बन्ध में वक्तव्य माननीय स्वशासन मंत्री जी कल देंगे।

श्री छत्तर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---श्रीमन्, मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत विषय दिया था।

श्री अध्यक्ष---वह तो एक ही एक दिन में लिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने भी दिया था। बड़े महत्व का है। अब दूसरा दे सकता हूं?

श्री अध्यक्ष---दे सकते हैं, जरूरत समझें तो।

---

* छापे नहीं गये।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अगर आप की आज्ञा हो तो मैं कुछ सूचना दे दूं। बस्ती में जो बीज उगा नहीं था या उगा वह खराब हो गया था उसकी मुल्तवी की आज्ञाएं निकल गयी हैं। ६ मार्च को डाइरेक्टर साहब ने बस्ती में कह दिया था और १४ मार्च को डिप्टी डाइरेक्टर को लिखा था। डिप्टी डाइरेक्टर को तार भी दिया और डी० एम० को टेलीफोन भी कर दिया कि अभी मुल्तवी कर दिया जाय, तहकीकात के बाद कार्यवाही होगी।

श्री राजनारायण के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान-सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम २९९ के दूसरे भाग के अनुसार यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी के निलंबन को समाप्त किया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव किया है उसको न्याय और औचित्य के विशेष महत्वपूर्ण कारणों से मैं यह समझता हूं कि उस पर विचार या निर्णय आज नहीं होना चाहिये। वह स्थगित होना चाहिये और न्याय और औचित्य के विशेष कारणों को भी जनहित में इस समय बताने में मैं असमर्थ हूं। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक और समर्थक महोदय मेरी प्रार्थना को इस समय स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष---आप कब चाहते हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं श्रीमन्, यह श्री गेंदासिंह पर ही छोड़ता हूं। वह जब उचित समझें तब लायें।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, पालीवाल जी की इस बात के बाद, मैं पालीवाल जी से भी इस सम्बन्ध में परामर्श करूंगा और इसको जितनी जल्दी हो सकेगा लाने की चेष्टा करूंगा और आप की इजाजत लूंगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है जब आप चाहें उपस्थित कर सकते हैं।

१६ मार्च, १९५९ की कार्यवाही के कुछ भाग को निकाल देने की मांग

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता था कि कल की कार्यवाही में २ खत छपे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस की बहुत से माननीय सदस्यों को भी जानकारी है और उस जानकारी से यह जानकारी भिन्न है, इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दिया जाय क्योंकि वह १००-१५० सदस्यों की जानकारी से भिन्न है और उससे भारतीय नारी के सम्मान की सुरक्षा भी नहीं होती, इसलिये उसे निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---कार्यवाही का जो अंग है या उसका विवरण है वह कैसे कट सकता है। मेरे फैसले को भी नहीं काटा जा सकता, वह तो अपने फैसले के साथ सूचना मैंने सदन को दी थी और वह सूचना इसलिये दी थी कि सदन में यहां आप बोल सकते हैं और किसी के बारे में जिक्र कर सकते हैं, लेकिन कोई स्त्री यहां आ कर अपनी बात नहीं कह सकती और उसके विषय में यदि कोई बात कही गयी हो तो उसका कथन सदन के सूचनार्थ आना जरूरी था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---२५० एम० एल० एक्ट० गये थे, वह गवाह हैं ....

श्री अध्यक्ष---उन एम० एल० एज० में से किसी ने भी, वह क्या कहती थी या उसकी क्या शिकायत है, यह किसी ने भी नहीं बताया।

श्री उग्रसेन---मौका ही नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष---उस स्त्री का क्या कहना था, किसी एम० एल० ए० ने यहां पर इसका जिक्र नहीं किया और न लिख कर ही भेजा कि उस का अमुक कहना था। सिवा इसके कि मेरे सामने २ प्रश्न उठे, एक तो राजनारायण जी ने कुछ लिखा और दूसरे श्री नेकराम जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया, परन्तु स्त्री के कथन या शिकायत का कहीं कोई जिक्र नहीं था। जब मैंने दोनों के प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि चर्चा उस पर नहीं होना चाहिये तो जो कथन उस स्त्री का था उसको मैंने सदन के सूचनार्थ यहां रखना उचित समझा, क्योंकि जो मौजूद नहीं है, जिसकी बदनामी या अपमान हुआ उस का क्या कहना है यह मैंने सदन को बता देना अपना कर्त्तव्य समझा जिसमें सदन खुद बात समझ ले। उसके कथन का कार्यवाही से काटने का प्रश्न ही अब नहीं उठता। कोई बात कार्यवाही से काटने के अधिकार के बारे में मैं पहिले निर्णय दे चुका हूं कि कार्यवाही से कोई चीज काटी जायगी तो उसके लिये अध्यक्ष ही आज्ञा दे सकते हैं। अगर सदन के ऊपर अध्यक्ष स्वयं ऐसा निश्चय छोड़ दें तो बात दूसरी है वर्ना अध्यक्ष को ही अधिकार होगा कि कार्यवाही से कोई भाग काटने की आज्ञा दें। इसलिये आप जो बात चाहते हैं उसके लिये केवल आप कारण सहित लिख कर भेजेंगे तो मैं जांच लूंगा कि किसी भाग को हटाया जाय या न हटाया जाय। इसलिये आप कोई लिखित सूचना दें और उसका औचित्य बतायें तब उस पर विचार होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---हमारी जानकारी है कि श्रीमती प्रकाशवती सूद ने भी कोई पत्र लिखा था. . . .

श्री अध्यक्ष---आप तो अफवाहों पर जाते हैं, उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा। आप इस विषय में जब तक इसके औचित्य को सिद्ध नहीं करेंगे तब तक मैं इस तरह की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि किसी एम० एल० ए० ने मुझसे कहा नहीं, तो आपने किसी को बुलाया था, किसी की शहादत ली थी या ऐसा कोई आदेश दिया था कि लोग आकर आप से बतायें ?

श्री अध्यक्ष---मेरे पास राजनारायण जी ने एक बात लिख कर भेजी थी। वह और नेकराम शर्मा दो व्यक्ति थे, उन्होंने प्रश्न इसका उठाया था और उन्होंने उस औरत ने क्या कहा, इसका जिक्र नहीं किया। इसके बाद उस औरत ने शिकायत की और वह शिकायत जब मेरे पास आयी तो मैंने जब दोनों के प्रश्नों को उठाने को नामंजूर किया तो मैंने समझा कि सदन के सूचनार्थ उस चीज को जो कि किसी ने नहीं बतायी---दोनों में से---उसको सामने रख दूं, क्योंकि वह चीज सदन में अन्य मार्ग से नहीं लायी जा सकती थी। वह स्त्री कोई सदन की मेम्बर नहीं है। उसके सम्बन्ध में जो बातें कहीं या उसके साथ व्यवहार लोगों ने किया और उसका जिक्र किया, उसका क्या कथन था उस विषय में वह यहां पर वह नहीं ला सकती थी। सदन के सदस्य तो अपने लिए कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन एक दूसरी स्त्री तो नहीं आ सकती, इसलिए उसके कथन की सूचना देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। जब मैं नेकराम जी की शिकायत के ऊपर कोई कार्यवाही करने के लिए इजाजत नहीं दे रहा हूं तो उसका कथन क्या है यह सदन को सुनाना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है। वह मैंने सुना दिया। बस इतनी ही बात है।

श्री बलदेवसिंह---अब यदि आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो हम दे सकते हैं इस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप जरा अपने नेता से पूछ लें कि क्या किसी व्यक्तिगत मामले के बारे में इस सदन में इस प्रकार से चर्चा उठाना उचित होगा, आप कृपा कर के बैठिये। माननीय पालीवाल जी बतायें कि क्या औचित्य है इस सदन में इस प्रकार की चर्चा करने में।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हमेशा से यह मत रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों का इस सदन में उठाया जाना सदन की मर्यादा के लिए और प्रत्येक सदस्य के चरित्र और आचरण सम्बन्धी सुकीर्त्ति की रक्षा के लिये, विशेषकर महिलाओं की मर्यादा के लिये यह आवश्यक है कि इसकी चर्चा न की जाय। [मुझे आप यह कहने के लिये क्षमा कीजिये कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के उत्तर में जो आप इतना लम्बा वक्तव्य दे रहे हैं मैं तो उसे भी उचित नहीं समझता। आप को कह देना चाहिये कि जहां महिलाओं का प्रश्न आयेगा वहां मैं उसकी चर्चा नहीं होने दूंगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक तरफ यह कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना सदन में नहीं आनी चाहिये, मैं मानता हूं कि यह दुःख की बात है, लेकिन आपको इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि इतने लम्बे-चौड़े वक्तव्य के साथ उन श्रीमती सत्या सक्सेना और उनकी माता जी के पत्र को प्रकाशित कर के कार्यवाही में लाया जाय, क्या यह उचित है? जब एक चीज को . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने आप को पहले ही बताया, इस सम्बन्ध में, कि जब यहां से कुछ सदस्य लोग जाते हैं और रप वगैरह का जिक्र करते हुए और आत्महत्या का जिक्र करते हुए, जाते हैं, उसके बाद लिखित नेकराम शर्मा जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठा दिया और उसके ऊपर कई चीजें और भी मेरी निगाह में आयीं—छपी हुई, वह बांटी भी गयीं—वह इस समय मैं सामने नहीं रखता हूं—और एक स्त्री की शिकायत मेरे पास लिखित आयी तो मैंने उचित समझा कि स्त्री जाति की रक्षा और मान की मर्यादा के लिये या तो उसकी जांच करा के कमेटी के सुपुर्द उक्त मामले को करूं और सत्य और असत्य का निर्णय कराऊं या अगर उसमें भी मर्यादा नहीं रह सकती तो फिर कम से कम उसका कथन सदन को सुना दूं। मैंने यह तरीका क्यों अख्तियार किया, उसे स्पष्ट कर दिया और जो मेरे हृदय और अन्तःकरण की बात थी वह बता दी, जिसका मैंने औचित्य समझा। उस स्त्री का कथन सुनकर उचित-अनुचित आप अपना खुद जज कर लें, उसका आप को अख्तियार है, लेकिन मेरा मतलब यही था कि जब मैं जांच कराने की इजाजत नहीं दे रहा था तो एक निर्दोष स्त्री के ऊपर जो लांछन उक्त घटना में लगता है, उसके सम्बन्ध में उसका खुद का कहना था, उसे सदन के सामने ला देता। यही मैंने किया। अब इसको जो जैसा चाहे जज करे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि उक्त महिला के सम्मान की सुरक्षा के हेतु पत्र कार्यवाही में से निकल जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप मुझे औचित्य बता दें।

श्री बलदेवसिंह—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री बलदेवसिंह—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि आपने हमारे नेता पालीवाल जी से पूछ लिया और आप ने भी उसको उचित नहीं समझा कि वह बात कही जाय, फिर आप के द्वारा ही इतना बड़ा लम्बा-चौड़ा विश्लेषण क्यों हुआ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। उन्होंने कह दिया। आपको उनका इशारा समझ लेना चाहिए।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष—अब अनुदान संख्या १८—पुलिस पर विवाद आरम्भ होगा। कल श्री हरदेवसिंह जी भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, कल मैं पुलिस के अनुदान पर बोलते हुए कह रहा था कि अंग्रेजी राज्य की पुलिस और आज की पुलिस में बहुत अन्तर है। आपको यह मालूम है कि हमारे ऊपर बड़े-बड़े जुल्म होते थे। मैंने कल बतलाया था कि हमारे किसान भाइयों की बैलगाड़ी पकड़ी जाती थीं और उनको कई कई रोज तक घुमाया जाता था, लेकिन उनको एक भी पैसा नहीं मिलता था। आज वह बेगार की प्रथा समाप्त हो गयी है।

दूसरी बात मैंने आप के सामने यह बतलायी थी कि हमारे देश की बहनें, कितनी ही बहनें भगायी जाती थीं और उनका पता नहीं चलता था कि वे कहां चली गयीं। हमारे देश के बच्चे गुम होते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पुलिस विभाग से संबंधित किताब है उसमें लिखा है कि ६ हजार ४ सौ बच्चे पुलिस ने पता लगा कर उनके माता पिता के घरों में पहुंचा दिये हैं।

हमारे कुछ विरोधी भाई उधर से कहते हैं कि पुलिस बड़ा जुल्म करती है। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस न हो तो बड़ी भारी गुंडागर्दी संसार में हो सकती है। मैं अपने जिले की बात बतलाता हूं कि अब भी पुरानी जहनियत के जमींदार आदमी ऐसे हैं जो कि गांवों में फरौती लेते हैं। एक आदमी भैंस को ले कर नई कराने जा रहा था। एक जमींदार किस्म के आदमी ने उससे कहा कि विजार (झोटा) हमारे घेरे में है, जब वह व्यक्ति अपनी भैंस लेकर घेरे में पहुंचा तो उसकी भैंस छीन ली और मारपीट कर घेरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि भाग जाओ। लेकिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जमींदार ने भैंस अपने घेरे में ले ली और कहता है कि चले जाओ और वापस नहीं देता है। तो मैं कहता हूं कि अगर पुलिस न हो तो न जाने कितनी डकैतियां पड़ें और क्या क्या आफत हो। वहां की मदद से वह भैंस मिली।

तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पहले की पालीस और आज की पालिसों में बहुत अन्तर है। बहुत कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन आज भी आलोचना की जाती है। अपोजीशन की ओर से बहुत से भाई तो यहां तक कह देते हैं कि कांग्रेस में गुण्डे हैं, वह लोग हैं जो कांग्रेस के मंत्री व प्रधान हैं औरतों को भगाते थे और डकैतियां कराते थे। यह सब के लिये नहीं कहना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि विरोधी भाई हमको सलाह दें कि किस प्रकार हमको चलना चाहिये। यह बड़ी पवित्र जगह है और इतनी पवित्र है कि एक आदमी ने मुझसे इस विधान भवन की मिट्टी मंगवायी यज्ञ करने के लिये। इसलिये हमें इसको पवित्र बनाये रखना है और झूठी और फरेब की बातें यहां कहना ठीक नहीं है। मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आज हमारा देश उन्नति के शिखर पर बढ़ता जा रहा है। अगर यहां पुलिस न हो तो हर समय आतंक छाया रहे और गुण्डों का बोलबाला रहे। बावजूद पुलिस की निगरानी और कड़ी निगाह के यहां तक मैंने देखा है कि कुछ लोगों के गिरोह हैं जो गाड़ियों में मुफ्त सफर करते हैं। और वे पढ़े लिखे लड़के जो कि बड़ी अच्छी पोशाक में रहते हैं रेलों और बसों में बिला टिकट घूमते हैं। ज्ञात हुआ है कि विद्यार्थियों को विरोधी लोगों ने बहकाया कि तुम जाओ और उपद्रव करो, बगावत करो। अरे, बगावत तो हमने अंग्रेज के खिलाफ फैलायी थी, वह अंग्रेज जो हमारा बल ले गया, हमारी बुद्धि ले गया, हमारा सोना ले गया, हमारी चांदी ले गया, हमारी सम्पत्ति ले गया।

---

* १७ मार्च, १९५९ की कार्यवाही से।

पहले गरीबों के साथ इस देश में बड़े-बड़े जुल्म होते थे। उसी पुरानी जहनियत के जमींदार भाई कुछ आज भी गांवों में मौजूद हैं। वे पुलिस को लिख कर देते हैं कि फलां आदमी ने हमारा काम नहीं किया, फलां चमार ने हमारा जूता नहीं बनाया, फलां नाई ने हमारी बेगार नहीं की, फलां जुलाहे ने हमारा कपड़ा नहीं बुना, फलां तेली ने हमारा काम नहीं किया। तो उनके नाम पुलिस में भेज देते हैं कि इनको पकड़ो और उनसे रुपया ऐंठो, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। पुलिस वाले आये और उन बेचारे गरीबों को बुला कर चौपाल में ले गये और कहा कि तुम तो चोर हो, तुमने फलां ग्राम में चोरी की है। वे बेचारे चौपाल में आ कर बैठ गये और वहीं जमींदार जिसने उनके नाम भेजे हैं कहता है कि इन लोगों को क्यों पकड़ा, यह तो हमारे आदमी हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि यह तो डकैत है। जमींदार कहता है कि यह तो डकैती नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इससे पूछता हूं। इतना कह कर वह उसे अलग ले जाता है और वहां कहता है कि इतना रुपया दो तो मैं तुम्हें छुड़वा दूं। तो इस प्रकार उन बेचारे गरीबों को लूटा जाता था। पुलिस क्या करे जब दुनियां में अपोजीशन भाई अराजकता फैलाते हैं।

पुलिस सुधार कैसे करे ? जब कोई नया दारोगा कहीं से बदल कर थाने में आता है तो उसकी तरक्की ही इस बात पर होती है कि वह दो, चार बदमाशों को पकड़ कर सजा करवाये। लेकिन वह चारों और डकैतों को नहीं भेजता बल्कि गरीब आदमियों को भेजता है जिनकी कोई जमानत न ले सके। उनको सजा हो जाती है और उसकी तरक्की हो जाती है। तरक्की ऐसे दारोगा की होनी चाहिये जो किसी का झूठा चालान न कर सके। हमारे यहां रिश्वत पकड़ने के लिये एक डी० वाई० एस० पी० भेजे गये, लेकिन बाबू मेलाराम जो भ्रष्टाचार विरोध समिति के चेयरमैन थे, जब उन्होंने यह देखा कि डी० वाई०-एस० पी० किसी भी व्यक्ति का चालान इत्यादि नहीं करते तो श्री मेलाराम जी ने इस समिति से इस्तीफा केवल इसलिये दिया कि उपर्युक्त डी० वाई० एस० पी० ने किसी को नहीं पकड़ा और न सजा दी। तो कहना यह है कि इस देश की गाड़ी को आगे ले जाने के लिये हमें मिलजुल कर चलना है।

चूंकि अब समय नहीं है अतः मैं ज्यादा न कह कर यह उम्मीद करूंगा कि मैंने जो मशविरा दिया है उस पर मंत्री जी गौर करेंगे और मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान केवल तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जहां तक अपराधों के बढ़ने और घटने का सम्बन्ध है वहां मोटे तौर पर अपराध दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं। सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध और व्यक्ति सम्बन्धी यानी क्राइम अगेन्स्ट प्रापर्टी और क्राइम अगेन्स्ट पर्सन। यह वार्षिक विवरण पुलिस विभाग १९५८ का मेरे सामने है। इसके पृष्ठ २ पर पांच प्रकार के अपराधों की चर्चा की गयी है। इससे मालूम होता है कि तीन प्रकार के अपराधों में कमी हुई है जैसे डकैती, राहजनी और सेंधों में। संयोग से तीनों प्रकार के अपराध सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध हैं। यह सही है कि सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में कमी हुई है, लेकिन इसी के साथ-साथ यह भी सही है कि हत्या और दंगे सम्बन्धी अपराधों में वृद्धि हुई है और दोनों अपराध व्यक्ति सम्बन्धी अपराध हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और सरकार इस ओर ध्यान देंगे कि व्यक्ति सम्बन्धी अपराधों में वृद्धि न हो क्यों कि जहां तक सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध हैं, आजकल वह युग है जिसमें मार्क्स और गांधी जी तथा विनोबा जी का यह कहना है कि वैयक्तिक सम्पत्ति की संख्या समाप्त होनी चाहिये। इसलिये सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में तो कमी होती जायगी, लेकिन व्यक्ति सम्बन्धी अपराधों में जो वृद्धि हो रही है, यह चिन्ताजनक है। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात जिसकी कि माननीय मंत्री जी ने चर्चा की है वह यह है कि जनता और पुलिस के सम्बन्धों में बहुत कुछ सुधार हुआ है। उसकी रिपोर्ट इसका सबूत है, लेकिन मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कल से लेकर इस समय तक जो विवाद हुआ है उसमें सभी दलों के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह माननीय मंत्री जी के कथन का और

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

रिपोर्ट का समर्थन नहीं करता है। आप ने पुलिस और जनता के सम्बन्धों में सुधार करने का प्रयत्न किया है और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी वह इस बात को मानेंगे कि माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, वह ऐसी नहीं हैं कि आप उनकी उपेक्षा कर दें। इसलिये माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना है जिससे जनता और पुलिस के सम्बन्ध में सुधार हो।

तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आजकल लोग पुलिस राज कहते हैं और इसलिये कहते हैं कि पुलिस पर खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। दुर्भाग्य से मैं भी उन लोगों में से हूं जो आजकल के शासन को पुलिस राज कहते हैं। मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, मेरा कारण यह नहीं है कि पुलिस का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन जिन सिद्धान्तों को म मानता हूं और मेरी मान्यता है कि शासन और श्रेणीहीन राज्य हो, मैं समस्त सरकारों को बुरा समझता हूं और ऐसा समझता हूं कि कोई भी सरकारें नहीं होनी चाहियें। किसी भी सरकार का होना मानव समाज की स्वाधीनता का अपहरण करना है। लेकिन व्यवहारिता में मैं मानता हूं कि जब तक अपराध होते हैं तब तक अनिवार्य बुराई के रूप में पुलिस की आवश्यकता है और उन अपराधों से जनता की रक्षा करने के लिये पुलिस पर खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता होती तो मैं उसका समर्थन करता। इसके नाते मुझे कुछ आक्षेप नहीं करना है। मैं इसका समर्थन करूंगा कि पुलिस के नीचे के कर्मचारियों को अगर महंगाई देखते हुए पूरी सुविधा और उचित वेतन नहीं मिलता है तो वह मिलना चाहिये और इसके लिये यदि खर्चा बढ़ता है तो बढ़ना चाहिये। इन कारणों से मैं नहीं कहता कि पुलिस राय है। मेरे कारण दूसरे हैं और उनको मैं एक-एक करके कह देना चाहता हूं।

पहला तो यह है कि पुलिस के अधिकार बहुत अनियंत्रित और असीम है, जो अंग्रेजी राज में थे वही अब भी हैं। जब तक उनमें उचित और आवश्यक कमी नहीं होती है तब तक पुलिस राज के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लाठी चार्ज, अश्रु गैस और गोली चलाने के बारे में जनता के ऊपर, पुलिस को जो पूर्ण स्वविवेक (absolute discretion) मिला हुआ है, जब तक वह रहेगा तब तक पुलिस राज रहेगा और पुलिस और जनता के सम्बन्ध नहीं सुधर सकते हैं। इसके लिये आवश्यकता है कि इन दोनों दशाओं में संतुलन जितना आज की परिस्थिति में हो सकता है उतना संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करें। पुलिस के सम्बन्ध में जो जांच का तरीका है, जो शिकायतें पुलिस के विरुद्ध आती हैं, उनकी जांच पुलिस के ही अधिकारी करते हैं। वह भी गलत है। सदन में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो मंत्री महोदय की तरफ से जवाब आता है कि पुलिस की जांच पुलिस के किसी अधिकारी ने की होगी। नाम भी अच्छी तरह से नहीं बता पाते हैं। वह एसी ही बात हो गयी कि मुलजिम का न्याय करने का काम मुलजिम को सौंप दिया गया और जब वह अपन बारे में सर्टिफिकेट दे दें कि मैंने अपराध नहीं किया तो हम से कहा जाय कि हम न्याय सिद्धांत के अनुसार उसको मान लें, तो मैं उसको गलत समझता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मैंने जो सुझाव इस माननीय सदन में दिया था कि लाठी चार्ज और अश्रु गैस की जांच कमिश्नर से कम अधिकारी से नहीं होनी चाहिये और कमिश्नर भी दूसरी कमिश्नरी का होना चाहिये। मैंने सुना है कि माननीय मंत्री महोदय ने कानपुर कांड की जांच करने के लिये शायद दूसरी कमिश्नरी के कमिश्नर को मुकर्रर किया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं इसके लिये बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा सुझाव मान लिया। आगे के लिये मेरा सुझाव यह है कि कम से कम गोली कांड की अदालती जांच होनी चाहिये। लेकिन अगर उसको वह व्यावहारिक न समझें तो किसी जज से करानी चाहिये चाहे वैसे ही हो, अदालती जांच भले ही न हो। कम से कम इतना सुधार तो हमें कर ही लेना चाहिये। भ्रष्टाचार समितियां कितने काम की हैं, सरकार स्वयं कहती है कि पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच पुलिस वाले ही करते हैं। इन समितियों के सदस्य इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं। अगर कोई माननीय सदस्य स्वयं

कोई आरोप लगाये तो भ्रष्टाचार समिति के सदस्य की हैसियत से या आरोप लगाने वाले व्यक्ति की हैसियत से, किसी भी हैसियत से उस समिति के सदस्यों को यह भी अधिकार नहीं है कि जब विभागीय जांच हो रही हो तो उस जांच के समय खुद मौजूद रहें और देखें कि ठीक जांच हो रही है या नहीं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यही कहा गया कि सरकार ने इस अधिकार को अभी तक नहीं दिया। उसके बाद से मैंने भ्रष्टाचार समिति में आना बिलकुल छोड़ दिया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बिलकुल व्यर्थ है और हमारे सम्मान के विरुद्ध है कि ऐसी समितियों में जा कर बैठें जहां हमें यह भी अधिकार न हो कि जो आरोप हम लगाते हैं उसकी जांच करते वक्त हम देखें कि जांच ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं, जिन गवाहों को हम पेश करना चाहते हैं उसे ले रहे हैं या नहीं। तो मैं समझता हूं कि इस बात पर माननीय मंत्री महोदय विचार करने की कृपा करेंगे और मैं यह आशा करता हूं और मैं यह भी निवेदन करता हूं कि पुलिस रेगुलेशंस को बदलना चाहिये।

१२ वर्ष हो गये आज आपको सत्तासीन हुए, देश को स्वाधीन हुए, लेकिन अभी तक पुलिस के पुराने रूल्स रेगुलेशन्स नहीं बदले गये। पुलिस के लिये कोई कोड बनना चाहिये, आचरण संहिता बननी चाहिये जनता के साथ व्यवहार के लिये भी और गोली कांड, लाठी चार्ज और अश्रुगैस इन बातों का प्रयोग करने के लिये भी और मैं यह समझता हूं कि जब दूसरे प्रदेशों में यह बात हो रही है, पुलिस कोड बन रहे हैं और पुलिस रेगुलेशन्स भी बदलने की कोशिश की जा रही; है तो जो काम दूसरे प्रदेशों में हो सकता है वह हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? इस उत्तर प्रदेश का तो यह गौरव रहा है जब से स्वाधीनता संग्राम प्रारम्भ हुआ कम से कम गांधी जी के नेतृत्व में इसने देश का नेतृत्व किया है और प्रगतिशील सभी कामों में क्रान्ति के कामों में, सुधार के कामों में यह प्रदेश देश का पथप्रदर्शन करता रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में अग्रसर होंगे और अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेंगे, पुलिस रेगुलेशन्स बदलने के लिये और पुलिस के लिये चरित्र संहिता बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। जब पुलिस के लिये चरित्र संहिता बनाने की पुलिस रेगुलेशन्स बदलने की बात आती है तब मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आ जाती है। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है, सन् १९५७ में जब पुलिस के विभाग पर मैं बोला था तब मैंने मंत्री महोदय से यही प्रार्थना की थी। आज मैं दो वर्ष बाद जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस बात पर क्या किया। और अगर इसमें कुछ कठिनाइयां है तो वह बतायें कि क्या कठिनाइयां हैं मेरे सुझाव को मानने में।

मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से और वह एक ऐसी पार्टी के मंत्री हैं जो अपने को प्रगतिशील ही नहीं समाजवादी भी कहती है। वह मील के पत्थर तो हैं नहीं कि जहां गाड़ दिये गये वहीं गड़े रहें, उन्हें गतिशील होना चाहिये। कुछ कीजिये रेगुलेशन्स बदलने की दिशा में चरित्र संहिता बनाने की दिशा में, कुछ हरकत कीजिये, गलत कीजिये, सही कीजिये कुछ कीजिये तो सही। मील के पत्थर की तरह क्यों गड़े रहते हैं? इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये कमेटी बनाइये, कमेटी ठीक नहीं लगती तो कमीशन मुकर्रर कीजिये, कमीशन अच्छा नहीं समझते तो कुछ और कीजिये जो आप उचित समझते हों, कीजिए तो सही और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाइये।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछले दिनों में प्रदेश के अनेक डाकुओं के दलों को समाप्त किया गया, बहुत से डकैत पकड़े गये। हमारे जिले झांसी में अनेकों थाने, चौकियां और पुलिस की शक्ति बढ़ाई गई। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं झांसी जिला का दौरा किया और उनके दौरे के परिणामस्वरूप लोगों की हिम्मत बढ़ी और गांव वालों के सहयोग से माननीय मंत्री के दौरे के पश्चात् ही अधिक डकैत गिरफ्तार हुए और जनता के सहयोग, जनता की हिम्मत से पुलिस को भी बल मिला और अनेकों डकैत वहां मारे गये और गिरफ्तार हुए।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे जिले में हुआ है उससे ही पूरा काम होने वाला नहीं है। उस क्षेत्र में

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

जिसमें माननीय मंत्री महोदय पधारे थे निश्चित रूप से डकैतियां कम हुई हैं। वहां के लोगों को संतोष मिला और लोगों की हिम्मत बढ़ी, लेकिन पिछले दो तीन महीने से जिले की अन्य तहसीलों में डकैतों का काफी जोर बढ़ रहा है। एक-एक रात में एक-एक थाने में दो-दो, तीन-तीन डकैतियां पड़ीं। कत्ल भी उसके बाद हुए और पुलिस के इन्फार्मर भी मारे गए बावजूद इसके कि उन्होंने पहले से यह अनुनय विनय अधिकारियों से की थी कि हमारी रक्षा का प्रबन्ध किया जाय, लेकिन वह न हो सका। अन्त में उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। ललितपुर क्षेत्र के बारे में आज भी अखबारों में जो समाचार निकला है उससे हृदय कांप जाता है। एक बड़ा भारी मेला वहां लगा हुआ था और लाखों का जनसमुदाय वहां पर जमा हुआ था। ललितपुर-महरौनी सड़क, जो कि २४ घंटे चालू रहती है से कुछ यात्री सफर कर रहे थे। उस पर एक लारी, बस और एक कार को रोककर डकैत ५ व्यक्तियों का अपहरण कर ले गए और सुना गया है कि लगभग १ लाख रुपये की डिमांड की गई है। यह १४ मार्च को दिन के २ बजे की घटना है। जो शान्ति और अमन वहां पर पिछले दिनों में कायम हुआ था इस प्रकार की घटना के घट जाने से उसके स्थान पर लोगों में बड़ी घबड़ाहट, बड़ी चिन्ता और बड़ा डर व्याप्त हो गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर शान्ति कायम करने के लिये हिम्मत बंधाने के लिये उस एरिया को विशेष रूप से घोषित कर दिया जाय, क्योंकि आज वहां यह दशा हो गई है कि लोग अपने को अरक्षित पा रहे हैं, उस इलाके को छोड़-छोड़ कर शहरों की तरफ दौड़े आ रहे हैं। वहां पर जो कुछ इन्तजाम हुआ है उससे काम होने वाला नहीं है। विशेष क्षेत्र उसको घोषित किया जाय। वहां जो सिपाही काम करें उनको भी कुछ सुविधायें और कुछ सहूलियत मिलनी चाहिये। वह विशेष क्षेत्र घोषित हो जायगा तो उन सिपाहियों को कुछ विशेष एलाउंस वगैरह की सहूलियत भी मिल सकेगी। उस क्षेत्र में पहले १८ थाने थे उस सब-डिवीजन में, लेकिन पिछले दो तीन सालों में बावजूद इसके कि एक दो थाने बढ़े हैं फिर भी उनके बढ़ जाने के बाद भी आज केवल ११ थाने वहां पर हैं। श्रीमन्, वह एक जंगली और पहाड़ी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के जंगली इलाके से लगा हुआ है। उस क्षेत्र में अनेकों जगह अनेकों थाने कायम करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

एक अर्ज और करना चाहता हूं। तालबेहत थाने में बनगवां में रात को एक बजे डकैती पड़ी। डाकू आये और एक आदमी के एकलौते पुत्र को मार गए। २ बजे थाने पर एक आदमी यह खबर देता है लेकिन पुलिस के दारोगा जी, जो उस समय थाने में मौजूद थे, वहां से टस से मस नहीं हुए ७ बजे तक। ८ बजे वह वहां पहुंचते हैं। आज तक उसमें क्या परिणाम हुआ यह वही जानते होंगे। शिकायत तो मैंने सरकार तक भेजी, लेकिन क्या कार्यवाही हुई है, उस दारोगा को क्या सजा या क्या इनाम मिला, मुझे कुछ पता नहीं है। अनेक बार मैंने सरकार को लिखा।

यही नहीं, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि डकैती और कत्ल के बारे में जब मैंने एक प्रश्न पूछा इस विधान सभा में तो मुझे ११ अगस्त को यह जवाब दिया जाता है सरकार की ओर से कि कुल झांसी जिले में सन् १९५५-५६ में और १९५७ में डाकुओं द्वारा ३ कत्ल किये गये और ललितपुर तहसील में एक भी कत्ल नहीं हुआ। मैं पहले अपने प्रश्न के ११ अगस्त को दिये गये उत्तर को बता दूं। उसमें बताया गया कि ललितपुर तहसील में २० और महरौनी में १८ डकैतियां पड़ीं। कत्ल ३ हुये जिले में जिनमें से ललितपुर में एक भी नहीं और महरौनी में एक। मेरा प्रश्न था कि ललितपुर और महरौनी तहसीलों में कितने कत्ल और डकैतियां पड़ीं। उत्तर मिला कि ललितपुर में एक भी कत्ल नहीं हुआ। १५ सितम्बर को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब मिलता है कि जी हां यह सही है कि हजारी लाल और श्री रामदयाल को डाकुओं ने गोली से मार डाला। यह १ अगस्त, १९५७ की घटना है। अगस्त, १९५८ में जवाब मिलता है कि डाकुओं द्वारा कोई हत्या नहीं हुई और सितम्बर में १ महीने ४ दिन बाद यह उत्तर मिलता है कि हां यह बात सही है।

मैं किस बात को सही मानूं ? मैंने इस बात को भी लिखा, सरकार के समक्ष भेजा कि ये दो प्रकार के उत्तर, दो प्रकार की सूचनायें इस माननीय सदन में दी गईं, मैं किस सूचना को सही मानकर आगे बढ़ूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार से भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचना देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही होनी चाहिये अन्यथा इस प्रकार की इस माननीय सदन में भी अगर सूचना दी जायगी तो मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि यहां के उत्तरों पर और यहां की कार्यवाहियों पर लोग शंका करने लगेंगे।

श्रीमन्, कत्ल और हत्या के बारे में पिछले ३-४ महीने में झांसी जिले के दो पुलिस इन्स्पेक्टर मारे गये। उनको दिन में पकड़ कर गोली से उड़ा दिया गया। श्रीमन्, मैं आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि न केवल यह दिनदहाड़े हमारे यहां कत्ल और डकैती पड़ रही है, यह भी हुआ है कि पुलिस जिनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहती है अगर उनके लिये कोई गवाही देने के लिये तैयार नहीं है तो अनेक तरीके गवाह तैयार करने के लिये अपनाये जाते हैं। मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में मंडौरा थाने में हमारे एक जिला बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य बहादुर सिंह को बुलाकर थाने पर चाय और पानी के बहाने से बिठाया गया। बाहर उनकी साइकिल थी और एक झोला उसमें टंगा था। उनको बात करने के लिये बुलाया गया था। बाहर जो झोला उनका रखा था उसमें एक पिस्तौल डाल दिया गया और इस पर उनको गिरफ्तार करके जेलखाना भेज दिया। जमानत पर उनको छोड़ा गया। हम लोगों को मालूम होने पर उसके लिये दौड़धूप की गई। वह मुकदमा फिर नहीं चल सका। केस वापस हुआ और पुलिस ने क्या रिपोर्ट लगाई हमको मालूम नहीं। इसको वे जानें। इस तरह से वहां पर होता है।

मैं अपनी बीती भी आपको सुनाना चाहता हूं। इस ओर के बैठने वाले साथी माननीय सदस्य यह आरोप अगर लगाते हैं कि पुलिस वाले कांग्रेस के सभापति के इशारे पर काम करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। १५ अगस्त, सन् १९५७ को मंडौरा में मैं एक सार्वजनिक सभा में बोला था। १५ अगस्त के उस पर्व के दिन पुलिस ने एक दूकानदार को पकड़ कर जूतों से पीटा था। जब मुझे मालूम हुआ तो मेरा फर्ज हुआ कि मैं वहां जाऊं और जांच करके जानने का प्रयत्न करूं, क्योंकि मैं उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का सभापति भी था। श्रीमन्, इससे पहले मैंने अधिकारियों को यह लिखकर दे रखा था कि वहां के एस० ओ० इंचार्ज ने लगभग १ लाख रुपया उस डकती एरिया से वसूल किया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। और वह कार्यवाही हुई और उनको मुअत्तल किया गया, लेकिन जो आने वाले इंचार्ज थे उनको मुझसे खतरा हुआ कि कहीं उसके ऊपर भी इस प्रकार का हमला न हो जाय। तो १५ अगस्त की मीटिंग के दिन उसने यह दर्ज कर लिया कि सुदामा प्रसाद गोस्वामी यहां आये और उन्होंने पुलिस के खिलाफ कहा और एक हिस्ट्रीशीटर का नाम हटवाने के लिये ५ हजार रुपया उससे लेने को तय किया। श्रीमन्, एक वर्ष बाद जब पुराने दरोगा को सजा हुई तो उसने कहा कि मेरे खिलाफ तो आपने यह किया उसके बारे में आपको पता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि १५ अगस्त की रपट नम्बर ४ जो वहां पर दर्ज है मैंने माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन किया कि वह मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अपनी इज्जत बेचने के लिये यहां का सदस्य नहीं हूं। इसके लिये मैंने चारों तरफ प्रार्थना की। डी० आई० जी० से भी मिला और दूसरे अधिकारियों से भी मिला, लेकिन यही उत्तर मिला कि आपका पत्र उचित कार्यवाही के लिये गृह सचिव को भेज दिया गया है, आप उनसे पत्र व्यवहार करें। इस प्रकार हम लोग जो वहां से जन प्रतिनिधि आये हैं उनको सही जवाब मिलना चाहिये ताकि उस एरिया में जो घबराहट है उसको दूर किया जा सके और उनको बताया जा सके कि सरकार क्या करने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है उस पर सरकार विचार करेगी।

मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां पुलिस के चौकी और थानों से ही काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वह बीहड़ और जंगली एरिया है। वहां पर सड़कें बननी चाहिये। उनके लिये

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

वायरलैस और जीप का इन्तजाम होना चाहिये, ताकि पुलिस सूचना पाकर तुरन्त पहुंच सके। वहां पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन जो भी कार्य हो रहा है वह १०० मील के एरिया के लिये काफी नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक थाने को सड़कों से मिला दिया गया है और उधर से डकैत धकेले जा रहे हैं और हमारे यहां वे लोग पनाह पा रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया। कल जब पुलिस का अनुदान पेश किया जा रहा था उस समय माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये। तब मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि मैं देखूं कि वे आंकड़े कहां तक सही हैं। एक पुस्तिका भी यहां बांटी गयी है जो १९५५ से लेकर १९५७ तक के आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। उसमें एक जगह पर यह लिखा हुआ है कि गजटेड आफिसर्स बराबर बढ़ाये गये, सिविल पुलिस बराबर बढ़ाई गयी, आर्म्ड पुलिस बराबर बढ़ाई गयी, लेकिन इसके साथ ही साथ अपराध भी निरन्तर बढ़ते गये हैं। इस पुस्तिका में यह भी कहा गया है कि अपराध घट रहे हैं। लेकिन इसमें ३ साल के आंकड़े दिये हुये हैं, उनमें से कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

	सन् १९५५ में	सन् १९५७ में
गजटेड आफिसर्स रखे गये	३६४	४३४
सिविल पुलिस रखी गयी	३६०६५	३७५०५
आर्म्ड पुलिस	२१७००	२४२२६
घृणित अपराध	८०६३	८३६४

घृणित अपराधों के नीचे जो टिप्पणी दी हुई है उसमें लिखा है "हत्या, डकैती, लूट मार और नकबजनी इसमें सम्मिलित हैं।" इन आंकड़ों से यह दिखाई देता है कि खर्चा निरन्तर बढ़ता जा रहा है, पुलिस के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही साथ अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर कोशिश की जाती है हर थाने में कि जहां तक हो सके अपराध कम किये जायं। बहुत-सी रिपोर्ट्स नहीं लिखी जाती हैं; रिपोर्ट अगर डकैती है तो लिखी जाती है ४५७ की, चोरी की रिपोर्ट अगर होती है तो उससे कहा जाता है कि पहले नकब बंद कर दो तब देखा जायगा। प्रतिदिन इस बात की कोशिश की जाती है कि इल्जाम का नम्बर कम हो, इल्जाम के नम्बर को घटाया जाय। जब स्टेटिस्टीकल विभाग को आंकड़े दिये जाते हैं तो वे आंकड़े दिये जाते हैं जिनसे पोल न खुलने पाये।

इस रिपोर्ट में इस बात की भी प्रशंसा की गयी है कि डकैती का मुकाबला पुलिस वालों ने किया, फलां जगह डकैतों को मार भगाया गया या फलां जगह पुलिस वाले मारे गये। जिन्होंने ऐसा काम किया है उन वीर और शहीद पुलिस वालों को मैं सिर झुकाता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि वह बहादुर सिपाही रहे और उन्होंने डकैतों का मुकाबला किया, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें बहुत-सी मिसालें ऐसी भी हैं जो कि संतोषप्रद नहीं हैं। जहां यह बात ठीक है कि डकैतों का मुकाबला बड़े जोरों से किया गया वहां यह बात भी भूलने वाली नहीं है कि लखीमपुर जिले में गोला गोकर्णनाथ पुलिस कोतवाली से कोई २०० कदम के फासले पर स्टेट बैंक का खजाना १,९०,००० रुपये लूट लिया गया, दिन को १ बजे डाकुओं की गोली चलती रही, उसके रक्षक मारे गये और पुलिस के अधिकारी कोतवाली में बैठे रहे, उठ कर नहीं आये। चारों तरफ मजमा लगा हुआ था और डकैत खजाना लूट रहे थे। एक मोटर जो शुगर केन सोसाइटी की थी वह डकैतों के साथ थी और वह खजाना उस मोटर पर रख कर लूटा गया। फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने एक अफवाह उड़ाई, एक शगूफा फैलाया कि उसमें एक खद्दरधारी भी था। इसी सदन के लखीमपुर के सदस्य जो सब कांग्रेसी ही थे, मैं भी कांग्रेस में ही था, एक एक कांग्रेसी का घर झांका गया, एक एक सदस्य को टटोला गया और तहकीकात करते समय न मालूम खद्दर-धारियों की क्या क्या दुर्दशा की जाती थी। इसके अलावा मैं आपको बतला दूं कि इसी दारुलशफा

में सी०आई०डी० ने पंडित बंशीधर से न मालूम कितनी बार पूछताछ की। वह खजाना लुट गया, उसके बाद उसकी तफतीश हुई और कुछ डकैत पकड़े गये, लेकिन आज भी एक डकैत फरार है जिसके पास तीन पिस्तौल हैं और उस खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा उसके हिस्से में पड़ा है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--माननीय सदस्य किस वर्ष की घटना का जिक्र कर रहे हैं कि खजाना लूटा गया ?

श्री शिवप्रसाद नागर--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि यह खजाना इस कांग्रेसी राज्य में ही सन् १९५४ में लूटा गया। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां पर बड़े ही कर्मठ पुलिस वाले हैं वहां पर ऐसे ऐसे अकर्मण्य भी हैं।

श्री अध्यक्ष--लेकिन बजट तो सन् १९५९-६० का पेश है, इसका आप जरा खयाल रखें, क्योंकि १९५४ में इस पर बहस हो चुकी होगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, इससे एक व्यवस्था का प्रश्न थोड़ा सा उठता है कि ५,६ वर्ष पहले की घटनाओं के बारे में यदि आज कहा जाने लगे तो बहुत सी ऐसी घटनायें निकल सकती हैं और सभी कह सकते हैं। अभी माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद जी भी १९५७ की किसी घटना का जिक्र कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, १९५७ की घटना के सम्बन्ध में जो १९५८ में गलत उत्तर दिया गया, वह उसका जिक्र कर रहे थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अगस्त, १९५७ में हुये किसी मर्डर का जिक्र वह कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष--आपको गलतफहमी है, वे कह रहे थे कि जवाब गलत दिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, मैं तो वह उदाहरण के लिये बतला रहा था। अगर माननीय मंत्री जी अभी की किसी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी उदाहरण पेश कर रहा हूं। अभी दो महीने की बात है, स्टेट बैंक का खजाना लखीमपुर से ४ मील के फासले पर २ १/२ लाख रुपया ट्रेन में लूट लिया गया। बाद में मालूम हुआ कि ४ डकैत थे जो सब के सब ग्रेजुएट थे और उन्होंने ही खजाने को लूटा। उनकी पिस्तौल की गोलियों का निशाना खजांची और एक चपरासी बने और वे दोनों उसी जगह ट्रेन में ही उनकी गोलियों के शिकार हो गये। डाकुओं ने ट्रेन रोक दी और वे खजाना लेकर भाग खड़े हुये। वहीं पर खेतों में काम करने वाले जो गांव वाले थे उन्होंने उन डाकुओं का पीछा करके खदेड़ना शुरू किया और इस तरह से वे उनका मुकाबला करते हुये १२ मील तक निकल गये। बावजूद इसके कि उनके पास पिस्तौल थे और वे बराबर गोलियां चला रहे थे गांव वालों ने उनका पीछा किया और उन्होंने २ डाकुओं को मार डाला तथा २ को जिन्दा ही पकड़ लिया। जब १२ मील तक पब्लिक उनके पीछे दौड़ती रही तब जाकर वहां पुलिस पहुंची।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दावा है कि अगर पब्लिक के लोग ११ मील तक उनका पीछा नहीं करते और उनको न मार पाते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं और चैलेंज करता हूं कि मुलजिमों का पता भी नहीं लगता। पता लगाने के बदले उस पर पर्दा डाल दिया जाता, क्योंकि उसमें लखनऊ के बड़े बड़े अफसरों के लड़के हैं। ऐसे ऐसे कैसेज में बराबर पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही है और पर्दा डाला जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि डाकू सांवल सिंह के मारे जाने की खबर मैंने सुनी तो मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बधाई दी कि आपकी पुलिस रात भर गोली चलाती रही और तब कहीं जाकर डाकू सांवल सिंह मरा और, श्रीमन्, मैंने नरेन्द्र सिंह, थानेदार को एक बड़ा सार्टीफिकेट लिख कर भेजा और मैंने बड़ी बधाई दी। मगर जब उसकी इन्क्वायरी हुई तो कुछ और निकला। उसकी इन्क्वायरी एक मैजिस्ट्रेट करता है, वह कहता है कि रातभर गोली चली और सांवल सिंह मारा गया। मगर जब डी०एस०पी० (कम्पलेन्ट्स) इन्क्वायरी करता है तो वह कहता है कि सांवल सिंह

[श्री शिवप्रसाद नागर]

जिन्दा पकड़ लिया गया था और उससे कहा गया कि तुम अपने अस्लहा लाओ। उसकी बीबी ने एक दुनाली बन्दूक लाकर दी। जब उसकी बंदूक ले ली तब उसको दीवाल के सहारे खड़ा करके गोली मार दी, क्योंकि जो भागे हुये मुलजिम थे उनमें से एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। इस रिपोर्ट की जो इत्तला है यह बिलकुल गलत है, मंत्री जी इस बात की जानकारी करें कि सच्चाई क्या है।

एक बात और कहूं; मेरे जिले में इस वक्त बेतहाशा कत्ल हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है जिस दिन १,२ लाश पोस्टमार्टम के लिये न आवे। एक, एक गांव में एक, एक वक्त ३,४ कत्ल होते हैं। इकबालपुर मौजा है, वहां राइफल की गोली से एक टाइम पर ४ बजे तीन कत्ल हुये और कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुकदमा अदालत में गया मगर मुकदमे को इस तरह खराब किया गया, कई कई हजार रुपया मुलजिमों ने खर्च किया और मुलजिम साफ छूट गये और जिनके घर के तीन आदमियों का कत्ल हुआ था उनके ऊपर मुकदमा उलटे चल रहा है। मैनभीरी में पंचायत सेक्रेटरी मारा गया, मुकदमा नहीं चला, नतीजा यह हुआ कि उसके बदले दो कत्ल और हुये।

नकबजनी बेतहाशा मेरे लखीमपुर के अन्दर हो रही है। कोतवाली के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर चोरी, आर्म्स ऐम्यूनिशन के कमरे में नकब लगाया गया लेकिन आज तक कोई पता नहीं। कोतवाली के मालखाने के डबल लाक से ३६५३ रुपये की चोरी हो गई, मैंने डी०आई० जी० को टेलीफोन किया कि इसको देखा जाय तो पता लगा कि कोई वाकया नहीं हुआ, क्योंकि रुपया चन्दा करके पूरा किया गया। यह तो हाल है। एक जिक्र और बताऊं; मेरे यहां पुलिस लाइन के मालखाने से आर्म्स और ऐम्यूनिशन चोरी चले गये, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। देसी पिस्तौल हमारे यहां हजारों की तादाद में बरामद होती हैं मगर आज तक उनका कोई कारखाना नहीं बरामद हुआ। आप देखें कि आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत कितने चालान हो रहे हैं मगर कोई कारखाना आज तक नहीं पकड़ा गया क्योंकि पुलिस वाले उन कारखानों को चलवाते हैं और पिस्तौलें प्राप्त करके भले आदमियों के पास बरामद करते हैं और पैसा पैदा करते हैं। मेरे खिलाफ भी हमारे यहां के शहर कोतवाल श्री बी०एस०तोमर हैं और इस तलाश में हैं कि कोई मौका मिले नागर जी को दफा ३७६, ३६३/३६६ या ४९८ में कोई मुकदमा कायम करके किसी तरह फंसा दिया जाय। किसी कातिल या डकैत के द्वारा मुखबिरी करा कर मुझे किसी केस में नामजद कराने की कोशिश की गई, कुछ बदमाशों से कहा गया कि तुम्हारी हिस्ट्री बन्द कर देंगे नागर जी को दौरा करते कहीं पाओ तो मार दो। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने मंत्री जी को लिखा, आई० जी० को लिखा, ६ जनवरी, १९५९ को और वह १४ जनवरी को डिलिवर हो गया। मेरे पास जवाब आया कि श्री जे० एस० रस्तोगी से आप बात कीजिये। कल भी मैंने डी०आई०जी० से यहां पूछा कि आप मेरी आइन्दा की हिफाजत के लिये कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई इस सम्बन्ध में चिट्ठी नहीं आयी। अब आप गौर करें कि मंत्री जी को लिखा, आई०जी० को लिखा, डी०आई०जी० के पास तक मेरी वह चिट्ठी नहीं पहुंची। होगा यह कि जब मेरी हत्या हो जायगी तो आप अध्यक्ष महोदय, कन्डोलेंस मीटिंग करेंगे और आप कहेंगे कि नागर जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, एक नेता उधर से खड़े हो कर बोल देंगे कि मेरा उनका बड़ा पुराना सम्पर्क था, बड़ी अदा से बोलते थे। मेरी समवेदना उनके घर वालों तक पहुंचाने की कृपा करें। एक नेता इधर से बोलेंगे और कहेंगे कि मेरा बड़ा पुराना संपर्क था। कोई उधर से कहेगा कि वह तो बड़े कलाबाज थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं इसके बाद अंत में आप कहेंगे कि मैं समवेदना प्रकट करता हूं। यह सब होकर मामला समाप्त हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--आप अपनी काल्पनिक मृत्यु पर शोक प्रस्ताव तो पहले से ही पास कर रहे हैं। अब कृपया बैठिये। माननीय राम प्रसाद देशमुख।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। यह अनुदान बड़े महत्व का है। देश की सुरक्षा के लिये पुलिस की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके लिये तो मैं समझता हूं कि बढ़ौती का प्रस्ताव आता तो देश की कुछ भलाई हो सकती है। आज पुलिस की जो धांधलेबाजी है उसको हर आदमी यहां क्रिटिसाइज करता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि कुछ इसमें हम लोगों की भी कमजोरी है कि जहां सच्चाई होती है वहां पुलिस को सहायता नहीं मिलती है। वहां कोई न कोई जाकर अपना पैर अड़ा देते हैं और सच्चाई को छिपाने के लिये पुलिस से भी लड़ते हैं।

आज सरकार अपनी तरफ देखे। यह १९५८ की रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट में १९५९ तक का हवाला दिया गया है। मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊं। अलीगढ़ का मामला इसमें लिखा गया है। अगर कोई पढ़े और समझे तो मैं कहूंगा कि यह जुडीशियल मामला है और इस रिपोर्ट में आने से क्या जुडीशियल मामले में अफैक्ट नहीं पड़ेगा? अहन कांड का मामला दिया हुआ है और कहा गया है कि मंत्री के ऊपर खतरनाक हमला किया गया था। वह सेशन में भेज दिया गया है। यह सन् १९५९ में भेजा गया है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं भी इसमें मुलजिम हूं। जहां एक तरफ की बात इसमें लिखी जाय दूसरी तरफ की घटना भी होनी चाहिये। इसमें जो लिखा है तो यह १९५९ की रिपोर्ट कैसे आ गई? सरकार का पहले से डिक्लेरेशन था कि वह सेशन में केस जायगा, या हिदायत कर दी गयी होगी कि सेशन में जाय। १९५९ की रिपोर्ट आने से यही प्रतीत होता है।

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना, पीठासीन हुये।)

एक मर्डर हुआ चेयरमैन का। यह कहा कि राजनैतिक चीज थी। वह मरने वाला आदमी आई०जी० के सामने गया था, मिनिस्टर साहब के सामने गया था और कहाया कि मेरा कत्ल होने वाला है। वह जानता था कि पुलिस के द्वारा कत्ल होने वाला है। एक ऐसा थानेदार जिसकी एन्ट्री में लिखा है कि यह थानेदार कभी भी किसी थाने का इंचार्ज न बनाया जाय; लेकिन वह इंचार्ज बनाया जाता है और उस आदमी का कत्ल होता है। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसके द्वारा कत्ल हुआ। मैं समझता हूं कि सरकार इस तरफ देखे।

मेरे सामने एक और समस्या है। क्या अलीगढ़ में और कत्ल नहीं हुए? दिन दहाड़े कत्ल होते हैं, लेकिन आज सरकार उस तरफ नहीं देखती है। हम बार बार कहते हैं कि इस अधिकारी के लिये यह किया जाय। उसकी शिकायत आती है कि एक अधिकारी है, कुछ नहीं कर रहा है। यहां मंत्री जी कहते हैं कि उसका इंतजाम किया जाएगा। लेकिन वहां तो पार्टी है। वह चाहते हैं कि अमुक आदमी अमुक पार्टी का है लिहाजा कोई सुनवाई न की जाय। जहां यह बात है वहां जनता की बात कही जाय कि हम बचा सकते हैं? मैं चैलेंज देता हूं कि नहीं बचा सकते जब कि सरकार की ऐसी नीति है। आज सुरक्षा की बात है, मैं कहता हूं कि पुलिस वालों को इतने अधिकार हैं, हर चीज को वह रोक सकते हैं। अगर बजट कम है तो मैं कहता हूं कि सारी योजनाओं को बन्द कर के लोगों से कहा जाय कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो वह ठीक है, लेकिन ऐसी हालत चल रही है कि आज किसान तबाह है, हरएक आदमी अपनी जान बचा रहा है, हर एक आदमी को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल है, कोई अधिकारी, जिससे शिकायत की जाय, वह सुनने को तैयार नहीं। ऐसी हालत में लोग खामोश हैं और हर तरह के अत्याचारों को बरदाश्त कर रहे हैं। उनकी हालत ही यह हो गई है कि इज्जत बचाने के लिये वह खामोश रहते हैं और बैठ जाते हैं; वे सोचते ही रह जाते हैं कि किधर जायं, सरकार नहीं सुनती, जनता के प्रतिनिधि नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते तो किससे कहें? दिन दहाड़े इज्जत लूटी जाती है, तमाम कत्ल होते हैं, लेकिन कोई केस आगे

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

नहीं बढ़ पाता। किसी की हिम्मत ही नहीं होती। कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिनकी तरफ अधिकारी रहते हैं और वहां यह चीजें चलती हैं कि यह मुलजिम हमारी पार्टी के हैं इनको बचाना चाहिये और हर मुमकिन तरीके से बचाने की कोशिश करना चाहिये।

जहां तक क्राइम्स की बात है, वह घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं यह तो जो रोज के अखबार बताते हैं उससे जाहिर है कि कितनी चोरियां बढ़ रही हैं, कितनी डकैतियां होती हैं, कितने डकैत पकड़े जाते हैं और चोरी में लोग पकड़े जाते हैं। अगर इस तरह की बातें कोई न पढ़ता हो, अखबारों में तो समझा जा सकता है कि क्राइम्स की हालत सुधर रही है, लेकिन हर अखबार के तमाम कालम्स इससे भरे होते हैं कि आज यहां चोरी हुई, आज यहां डकैती हुई। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि क्राइम्स तभी रुकेंगे जब यह सोचा जाय कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में क्राइम्स बढ़ें उसको दंडित किया जाय और निकाला जाय। तमाम घटनायें होती हैं और डकैतियां होती हैं और वह नहीं लिखी जातीं। हमारे यहां अलीगढ़ में दिन दहाड़े चोरी हुई, हमने एस० पी० से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कह दिया गया कि पुलिस ने उनका चालान कर रखा है। मैं जानता हूं कि किस तरह से पुलिस लोगों को फंसाती है और फर्जी चालान होते हैं और जिनको वे चाहते हैं किसी न किसी तरह से छुड़ाने की कोशिश की जाती है। मैं भी ५ साल तक आनरेरी मैजिस्ट्रेट रह चुका हूं। दफा १०७ में उनको अधिकार है, जिसको चाहें बीच आफ पीस में फांस दिया जाता है और कोई न कोई मामला लगा कर फंसाने की कोशिश की जाती है। १०७ और १०९ के केस कौन पकड़ता है, जरा किसी शरीफ आदमी से रंजिश हो गई दिन में उसे बुला लिया और रात तक बिठा लिया और कह दिया कि रात में पुलिस ने गश्त में पकड़ा है। मैं कहता हूं कि अगर वाकई रात को पुलिस ठीक से गश्त करना शुरू कर दे तो मेरा दावा है कि आधी क्या बिलकुल चोरियां और डकैतियां बन्द हो जांय। कुछ ऐसी परिपाटी सी पड़ गई है कि पुलिस अपना सम्बन्ध कुछ फर्जी नेता बने लोगों से रखता है और उसको उनसे नाता रखना पड़ता है और उनकी आड़ में वह क्राइम्स को दबाया करती है या उनका इशारा होता है तो लोगों को परेशान किया करती है, उनके द्वारा रिश्वत ली जाती है और बदमाशों को बढ़ावा दिया जाता है। किसी आदमी की रेपुटेशन का कोई लिहाज नहीं किया जाता है और दूसरों के कहने से किसी के ऊपर भी इल्जाम और केस चला दिये जाते हैं। पहले से पुलिस का एक प्लान होता है और उसके अनुसार वह काम करती है। आज एन्टी करप्शन समितियां बनाई गई हैं, उनके प्रेसीडेंट नानआफिशियल हैं, लेकिन वे भी पुलिस के द्वारा काम कराते हैं, अगर हम कहें कि एक आदमी ने रिश्वत ली है, तो कहा जायगा कि आप झूठ कहते हैं, कोई सबूत नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह भी कहना है कि क्राइम इस तरह से बढ़ेंगे जब तक कि इन चीजों की अच्छी तरह से इनक्वायरी न की जायगी और जुडीशियल तरीके से इस संबंध में छान-बीन न होगी। मैंने एक कांस्टेबिल के खिलाफ मंत्री जी को लिख कर भेजा है। अगर डीवाई० एस० पी० मेरे सामने जांच करते तो सही बात मालूम होती, मगर मेरे पीछे की जाती है और कह दिया जाता है पालिटिक्स का मामला है, हम क्या करें। मेरे सामने लोगों को सताया गया, झूठे किस्सों में फांसा गया है, मैं कहने को तैयार हूं कि जांच की जाय।

एक बीक मनाया है कि ज्यादा से ज्यादा केस आयें---झूठे और सच्चे! दारोगा की हिम्मत तभी पड़ती है यह कहने की कि थाना तोड़ दिया जायगा और क्राइम नहीं बढ़ाओगे। तो उनको बढ़ाने पड़ते हैं। जिस चौकी पर कम क्राइम्स की रिपोर्ट आयेंगी तो कहा जाता है कि इसकी जरूरत नहीं, यह क्या करेगी। तो जब हटाये जाने का सवाल आता है तो वहां उनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जहां चौकी और थाने हैं वहां के क्राइम्स को देखिये और जहां नहीं हैं वहां देखिये; तो जहां चौकी और थाने हैं वहां ज्यादा मिलेंगे। उसकी वजह है कि वहां पुलिस को क्राइम्स कराने पड़ते हैं, क्योंकि उनको नौकरी करनी है। क्राइम रोकने का तो किसी को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, वह तभी मिलता है, जब वह चोरियां कराता है, बहुत सी चोरी

और डकैती दिखलायी जाती हैं। तभी शाबाशी मिलती है कि तुम गवर्नमेंट के फेथफुल आदमी हो और थानेदार से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिये जाओगे। इस तरह से क्या कभी क्राइम रुक सकते हैं ? वहां तो होड़ लगी रहती है कि कौन क्राइम को ज्यादा बढ़ाता है और ज्यादा रिश्वत लेता है। अधिकारी भी पालिटिक्स में पड़कर समझते हैं कि हमारे ऊपर किस का अधिकार है और उसके लिये हम को क्या करना है। मिनिस्टर लोग जाते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं और जी-हुजूरी करते हैं और दूसरी पार्टियों की बुराई करते हैं तो वे कह देते हैं कि ठीक है। इस तरह से क्राइम नहीं रुकेगा। इसका सिद्धान्त यह है कि कि गवर्नमेंट समझ ले कि हमें एक जीवन की रक्षा करनी है चाहे जो कुछ भी हो, उसकी रक्षा करें।

श्री अधिष्ठाता---समय समाप्त हो गया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस अनुदान पर बहस हो रही है, वह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि शान्ति और व्यवस्था, समाज की सुरक्षा, सारी की सारी जिम्मेदारी इसी विभाग पर होती है। हमको यह देखना है कि इस विभाग के अन्दर हमारे जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे समाज के चरित्र को ऊंचा उठाने में और जनता से सम्पर्क बनाने में कितने कामयाब हुए। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी जो कि प्रकाशित हुई है १९५८ की, इसमें भी पहले पेज पर लिखा गया है कि पुलिस और जनता का सम्बन्ध बहुत गहरा हो गया है और जब हम इस सदन के अन्दर, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के माननीय सदस्य हों, उनकी बातों को सुनते हैं तो मालूम होता है कि पुलिस और जनता का सम्बन्ध अभी तक सुधरा नहीं है।

मौजूदा पुलिस को अंग्रेजों ने बनाया था और उनका कुछ मकसद था जिसको हासिल करने के लिये उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनायी थी। आज उस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। चारों तरफ से इस तरह की मांग आ रही है कि पुलिस की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय। क्योंकि आज हम समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित कर चुके हैं इसलिये आवश्यक यह भी है कि पुलिस कोड में परिवर्तन किया जाय। हमारे पुलिस के कर्मचारी चाहे छोटे हों या बड़े, उनको समाजवाद के मूल सिद्धान्तों के अनुरूप बनने और चलने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि आज विकास का युग है।

इसमें, जो पुस्तिका दी गई है, इसमें कुतिया की बात कही गयी है। उसकी बड़ी तारीफ की गयी है और सराहना में कहा गया है कि बहुत से प्रदेशों से मांगें भी आयी हैं कि उनको कुतिया की जरूरत है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि दीना नामक कुत्ता जो ७ सौ रुपये में खरीदा गया था उससे एक मुकदमें में बैजनाथ की हत्या की तफतीश करायी गयी। लेकिन जज ने जजमेंट में यह लिखा कि तफतीश ठीक नहीं हुई और मुकदमा छूट गया। तो मैं कैसे मान लूं कि यह प्रयोग सफल रहा ? जब हमारे गुप्तचर विभाग के बड़े-बड़े, योग्य और सुलझे हुये लोग असफल हो रहे हैं तो ये कुत्ते कहां तक हत्याओं की और दूसरे जुर्मों की तफतीश करने में सफल हो सकते हैं ? इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रयोग को खत्म करें और उसी पुराने तरीके से बल्कि और अधिकार वगैरह देकर सी० आई० डी० वगैरह से तफतीश करावें जिससे ज्यादा से ज्यादा पता लग सके।

श्रीमन्, इस पुस्तक में एक बात और कही गयी है कि जुर्म कम हो गये हैं। अगले साल की बनिस्बत वे जरूर कम हुये हैं, लेकिन जब हम पीछे के आंकड़ों को देखते हैं १९४६–४७ के जब हमारी सरकार बनी थी तो उसके बाद १९५२ में जहां डकैती ७९१ थी, सन् १९५३ में ८५३ थी, आज कई हजार है। हत्यायें सन् १९५२ में १,५७२ थीं, सन् १९५३ में १,५१० थीं, सन् १९५४ में १,९५२ थीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब पुलिस का बजट सन् १९४६ के मुकाबले में दुगुना हो गया है, उस समय ४ करोड़ कुछ लाख था और आज वह ९ करोड़ ४१ लाख हो गया है, जब पुलिस भी बढ़ गई है और बजट भी बढ़ गया है तब अपराधों में भी वृद्धि हुई है। तो मैं कैसे इस बात को मान लूं कि हम कुछ सुधार कर पाये हैं ?

[श्री ऊदल]

इसी में आप देखें कि लिखा हुआ है कि डकैती कम हुई है किन्तु हत्यायें बढ़ गयी हैं। मैं बतलाऊं कि डकैती की रिपोर्ट जब थाने में लोग लिखाने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम चोरी की रिपोर्ट लिखाओ। लखनऊ और बाराबंकी में बहुत-सी ऐसी मिसालें मिल सकती हैं कि डकैती को चोरी लिखा गया है।

इसी तरह से आप देखें कि आज कत्ल बढ़ते चले जा रहे हैं। बाराबंकी का एक उदाहरण दूं। बाराबंकी जिले में एक थाना रुदौली के पास भेलसर है। वहां पुलिस के आदमियों ने दो आदमियों को मार दिया। रिपोर्ट भी आ गयी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

इसी तरह से, मान्यवर, मैं समझता हूं कि बड़े दारोगा साहब मोहनलालगंज के एक गांव में तफतीश पर गये और एक आदमी को उन्होंने मार दिया। बहुत लिखा पढ़ी हुई। अब जा कर उनका तबादला हो गया है, लेकिन जिसको उन्होंने मारा उसके लिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरह का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूं कि मंत्री जी की इच्छा है कि पुलिस और जनता का सम्बन्ध गहरा हो। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने, चाहे इधर के हों या उधर के हों, बताया, आज सम्बन्ध अच्छा नहीं है। आज भी जनता पुलिस से कांपती है, वह उसको दोस्त नहीं समझती।

माननीय मंत्री जी ने कम्प्लेन्ट अफसर का जिक्र किया। बनारस में बड़ा गांव थाना है। पुलिस वाले एक केस में कीवरामपुर के कुछ लोगों को पकड़ कर थाने में ले गये और वहां छोटे दारोगा और हेड मुन्शी ने उन लोगों को मारा। मैंने जा कर कबीर चौरा अस्पताल में उनका मुआयना करवाया और एक लिखित शिकायत कम्प्लेन्ट अफसर के हाथ में दी। उन्होंने एस० एस० पी० को भेज दी, लेकिन आज तक उस की रिपोर्ट नहीं आयी और मैंने गृह विभाग के उप-सचिव महोदय को उसकी कापी दी थी। मंत्री जी ने कल एलान किया था कि कलेक्टर और एस० एस० पी० चाहें तो जांच करा सकते हैं। मैं मांग करता हूं और पुलिस स्टैंडिंग कमेटी में भी यह बात आयी थी कि कम्प्लेन्ट अफसर का सीधा सम्बन्ध होम डिपार्टमेंट से होना चाहिये, एस० एस० पी० या कलेक्टर बीच में दखल न दें। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती तब तक ठीक तरह से जांच नहीं हो सकती।

इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव और है कि पुलिस के लोगों का जलसा करवाया जाय और उसमें उनको आज के बदलते हुये युग के मुताबिक शिक्षा दी जानी चाहिये; नहीं तो जो हम समाजवादी समाज का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं वह कभी पूरा नहीं हो सकता।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---केरल में क्या हो रहा है?

श्री ऊदल---केरल में केरल के कांग्रेसी देख रहे हैं, आप यहां देखिये कि क्या हो रहा है। मैं मंत्री जी से इस बात की सिफारिश करूंगा कि एक ऐसी कमेटी बनवायें जो इस बात पर सोचें कि कैसे पुलिस में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सकता है जिससे पुलिस अपने को जनता का सेवक समझे। आज पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी जरूर अपने को जनता का सेवक समझते होंगे, लेकिन थाने में जो थानेदार होता है वह अपने को जनता का सेवक नहीं समझता। उनके अन्दर से अंग्रेजी जमाने की जहनियत निकली नहीं है। इसलिये उनकी शिक्षा आज के बदले हुये युग के मुताबिक होनी चाहिये। अन्त में मैं मांग करता हूं कि जो बातें यहां माननीय सदस्यों ने कही हैं उन पर मंत्री जी ध्यान दें जिससे जनता और पुलिस के सम्बन्ध अच्छे हों और पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा हमारे देश और प्रदेश का विकास हो।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उपस्थित अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी हमारे भाई इस विषय पर बोले हैं यदि मैं उसी की चर्चा करूं तो वह समय का उचित उपयोग न होगा। इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि आज के जमाने में जुर्म बढ़े हुये हैं और मैं तो यह कहने

के लिये तैयार हूं कि धीरे-धीरे हम लोग अराजकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बतलाऊंगा कि केवल जनता ही आतंकित नहीं है बल्कि सरकारी कर्मचारी भी डाकुओं द्वारा, बदमाशों द्वारा सताये जाते हैं। मैंने एक सवाल दे रखा था और मैं समझता था कि उसका जवाब जल्दी ही आयेगा। उसके बीच में जो घटनायें अखबारों में निकलीं उनकी कटिंग मैंने रखना शुरू किया। लेकिन बाद में मैंने उनको रखना छोड़ दिया क्योंकि जब तक जवाब आयेगा उस समय तक एक बहुत लम्बा पुलिन्दा हो जायगा और मेरा प्रयत्न बेकार होगा। आप देखें कि १५–२–५९ के स्वतंत्र भारत में निकला है कि जिला फतेहपुर, थाना, खागा के क्षेत्र में पं० राम प्रसाद द्विवेदी अमीन की आंखें निकाल लीं और उनकी हत्या कर डाली। इसी तरह से १४–२–५९ के स्वतंत्र भारत में निकला है कि किस तरह से बहराइच के थानेदार को डाकुओं ने मार दिया। मैं सरकार का और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसको कौन पसन्द करता है? इसमें किसी की दो रायें नहीं हैं और न कोई मतभेद है कि जुर्म कम हों। लेकिन बावजूद हमारी इच्छाओं के, हमारे प्रयत्नों के, अधिकारियों तथा मंत्रियों के प्रयत्नों के कि किसी प्रकार हालत नार्मल हो और हम एक ऐसी जिन्दगी बसर कर सकें कि हम तमाम उपयोगी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें; इसके बाद भी यदि ऐसी घटनायें होती हैं और शान्ति स्थापित नहीं हो रही है तो हमें ठंडे दिल और दिमाग से इस पर विचार करना चाहिये।

मैं जो कहूंगा उसमें विरोधी दल के लोग नाराज होंगे और शायद उन्हें अच्छा न लगे, लेकिन सत्य है और भले ही वह कटु हो, मैं उसको कहना चाहूंगा। विरोधी भाइयों की तरफ से आता है कि ज्यों-ज्यों कांग्रेस सत्तारूढ़ है त्यों-त्यों जुर्म बढ़ रहे हैं। मैं आंकड़ों की तरफ न जा कर उनके ही वाक्य को कहना चाहता हूं कि जब इस सदन में कांग्रेस की बहुत बड़ी तादाद में मैजारिटी थी तो क्या वजह थी कि जुर्म कम थे और अब क्या वजह है कि ज्यों-ज्यों विरोधी भाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों जुर्म भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इस पर हमें विचार करना चाहिये। मैं उनकी तरफ की एक बात रखना चाहता हूं कि जहां मैं कहता हूं कि विरोधी भाइयों की संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हमारे अधिकारियों के दिमाग में यह बात तो नहीं काम कर रही है कि यह विरोधी भाइयों ने कहा और सच भी हो तो भी विचार न करें। सम्भव है कि एक विचार यह भी काम कर रहा हो।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी बात हो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यदि सब लोग इससे ऊब चुके हैं तो सब भाइयों की तरफ से एक सुझाव आना चाहिये कि एक समिति बनाई जाय जिसमें राजनीतिक व्यक्ति न हों और प्रदेश क चुने हुये व्यक्ति हों जो इन जुर्मों को वाकई मिटाना चाहते हों; तब तो मैं समझता हूं कि कोई रास्ता निकल सकता है वरना मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि आजकल जो एक तरीका चल गया है कि अपने को लोकप्रिय जाहिर करना या आने वाले चुनाव में प्रकट करना कि हमने कमाल का काम किया तो सरकारी विभागों की और विशेष तौर पर पुलिस विभाग की जितनी सख्त से सख्त आलोचना हो सके, वह करें, जितनी सख्त से सख्त आलोचना हो सके हम करें और उस आलोचना के जरिये हम अपने को लोकप्रिय साबित करना चाहते हैं। तो हम सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में न पड़ें, जुर्म कम करने की तरफ ध्यान रखें। मेरा एक तजुर्बा है जो मैं उपस्थित करता हूं। जिला स्तर पर जो समितियां बनी हुई हैं जिनमें बैठ कर विधायक बातें करते हैं, मासिक या त्रैमासिक सुपरिन्टेंडेंट पुलिस मीटिंग करते हैं और अपने आंकड़े पेश करते हैं उनमें जिस ढंग से हम वार्ता करते हैं मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वह ढंग भी जुर्मों को बढ़ाने की तरफ काफी संकेत करते हैं। वहां पर हम बैठक कर इस ढंग से बात नहीं करते जिसमें जुर्म कम हों। हम इस ढंग से समर्थन या मुखालिफत करते हैं कि थानेदार, सर्किल इंस्पेक्टर या सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस हमारे पक्ष में किस प्रकार झुकें और किस प्रकार हम इसका उपयोग पार्टी के लिए करें। इससे जुर्म कम होने वाल नहीं हैं।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि सरकार हिम्मत से क्यों नहीं कहती, सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को क्यों नहीं जिम्मेदार बनाती। जिस जिले की अपराध संख्या बढ़े तो उसको पदावनत कर दिया जाय, उसकी आगे की उन्नति रोक दी जाय। उन पर इस तरह की जिम्मेदारी डाली जाय तो मेरा ख़याल है कि अपराधों की संख्या में कमी होने में सहायता मिलेगी।

एक निवेदन मुझे और करना है। विरोधी पार्टी के भाई हर छमाही आन्दोलन चलाया करते हैं। कुछ आदत सी पड़ गयी है अपने को जनता में कायम रखने के लिये। उस आन्दोलन से भी कानून तोड़ने की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। मैंने यहां तक देखा है, मेरे पास तारीख नोट है। उस समय के गृह मंत्री, और आज के मुख्य मंत्री जी, मैंने उनको लिखा था कि मेरे सीतापुर जिले के अन्तर्गत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने एक प्रदर्शन किया। उसमें इस तरह के नारे लगाये गये और पुलिस थाने तक बढ़ कर आये और कहने लगे कि इस दारोगा की मूंछ उखाड़ कर बन्द कर दो। मैंने संख्या लिखी थी ३२ या ४० हिस्ट्री शीटर प्रोसेशन में थे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज हमारे अधिकारियों में एक डिमारेलाइजेशन पैदा हो गया है। वह विरोधी भाइयों की आलोचना से घबड़ाया करते हैं और सही बात करने में हचकते हैं। इस बात की कोशिश करते हैं कि विरोधी भाइयों का मुंह बन्द रखें ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे, उनका तबादला न हो जाय। हमारे अधिकारियों को इस बात से कतई नहीं घबड़ाना चाहिये और सही बात को करने में अगर हिचकेंगे तो शासन, जैसा कि मैंने निवेदन किया, धीरे-धीरे अराजकता की ओर और बढ़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चौधरी परागीलाल, एम० पी०, का एक हमारे यहां सुपरिन्टेंडेंट पुलिस तैनात थे, मि० अग्रवाल, वह हरदोई चले गये, उन्होंने अपमान किया और जब जिला कांग्रेस कमेटी ने रुख लिया तो बिगड़ गये। मालूम नहीं क्या-क्या खुफिया रिपोर्ट भेजी, भगवान जाने। तो मेरा निवेदन है कि आखिर आप किस आदमी की इज्जत करेंगे? आज एम० पी० से ज्यादा कौन आदमी जन प्रतिनिधित्व करने वाला है? मगर उसका भी आप अपमान करते हैं और अपमानित करके चाहते हैं कि शासन का मस्तक ऊंचा हो। यह नामुमकिन बात है।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं। जुर्म जहां बढ़ रहे हैं वहां मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ऊधापुर ग्रामसभा है जिला बाराबंकी में। वहां के प्रधान एक भाई हैं कहार। उनकी आंखें करौली से निकाल ली गईं। उन्होंने रजिस्टर्ड लेटर भेजे, इत्तला दी सम्बन्धित डी० सी० और एस० पी० को कि ऐसी घटना घटने वाली है, हमको शंका है। उनकी आंख निकाली गई। यदि इस तरह से घटना हुई और कोई कार्यवाही न हुई तो प्रदेश की हालत और बदतर होती चली जायगी। भले ही हम एक दूसरे को गिराने या उठाने की कोशिश करें, लेकिन अन्त में हमें यह सोचना ही पड़ता है कि प्रदेश की हालत दुरुस्त करने के लिये कोई उचित कदम उठाना चाहिये। एक निवेदन और करूंगा श्रीमन्, मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे यह सूचित किया गया था; मेरे १५-१२-५८ के प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के जवाब में है:—

> "उक्त मामले से सम्बन्धित व्यक्ति का विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध होने के फलस्वरूप हत्या की घटना को राजनीतिक रूप देने की असफल चेष्टा की गई थी। इसके अतिरिक्त अपराध की विशेषता को दृष्टि में रखते हुए मामले की जांच सर्किल इंस्पेक्टर के अधीन होना उचित समझा गया।"

मैं बहुत विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इस जवाब के पाने के बाद मेरे माइंड में यह असर हुआ कि यदि राजनीतिक व्यक्ति का सम्बन्ध हो किसी जुर्म में तब तो सरकार उसको प्रधानता देती है तफसीश वगैरह में और यदि राजनीतिक सम्बन्ध न हो तो चाहे हत्या हो जाय उसकी परवाह नहीं की जाती। इस इम्प्रेशन को मिटाना होगा गवर्नमेंट को। जब तक यह इम्प्रेशन बना रहेगा तब तक जो मामूली किस्म के लोग हैं वे सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्तुत अनुदान के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस अनुदान के ऊपर कल से बहस हो रही है इस सदन में। हम लोगों ने पक्ष और विपक्ष दोनों ही के भाषण सुने। किन्तु अभी जो माननीय सदस्य ने भाषण दिया उस भाषण से स्पष्ट यह विरोधी दल पर चार्ज लगाया है कि जब से विरोधी दल इस सदन में बढ़ा है उसी समय से क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे उन्होंने इनको दबाने की कोशिश की हो, और यह भी कहा कि विरोधी दल के लोग आन्दोलन करते हैं और उस आंदोलन से जनता में क्राइम्स करने की भावना पैदा होती है, तो मैं क्या उनसे पूछूं कि सन् १९४२ का आन्दोलन क्या इसलिये था और जब कांग्रेस अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो आन्दोलन करती थी उस समय क्या हम यह कहते थे जनता से जाकर कि तुम क्राइम करो? इस तरह की कोई घोषणा नहीं होती थी और मैं यह स्पष्ट कहता हूं कि इस तरह की कोई घोषणा विरोधी दल की तरफ से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री शीटर इन आंदोलनों में जाते हैं। इस पर मैं यहां पर बतला देना चाहता हूं कि सन् १९४२ में और बीच में जो हिस्ट्री शीटर थे, उनकी हिस्ट्री शीट कटी और वे कांग्रेस के सदस्य हैं और इस आदरणीय सदन में सदस्य बनकर बैठे हुए हैं। क्राइम्स जो बढ़े उसकी जिम्मेदारी विरोधी दल की नहीं है बल्कि उधर के लोगों की है जो आज सत्ताधारी हैं जो क्राइम करवाते हैं, पुलिस और वकीलों की दलाली करते हैं, लोगों के छुड़वाने की दलाली करते हैं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या यह पार्लियामेंटरी भाषा है?

श्री मलिखान सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप व्यवस्था दें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मलिखान सिंह—तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९४७ में जबकि हम स्वतंत्र हुए उसके पहले एक विदेशी हुकूमत यहां पर शासन कर रही थी। उस समय हमारे यहां कत्ल कम हुए, डकैती कम पड़ी और जब हम आजाद हुए तो उसके बाद डकैतियां बढ़ती चली गई, कत्लों की संख्या बढ़ती चली गई। पिछली बार बजट पर माननीय मंत्री जी का भाषण मुझे याद है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में क्राइम ज्यादा होता है। कल भी एक माननीय सदस्य ने भाषण दिया, उन्होंने यह कहा, रूमसिंह जी ने, कि वे नागरिक अधिकारों को लोग समझ गए हैं इसलिये यह ज्यादा हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह नागरिक अधिकार हैं क्या? यदि नागरिक अधिकार यही कहते हों कि भाई भाई को मारे, यदि यह कहते हैं कि दूसरे की चीज को छीन लो, यदि यह कहते हैं कि देश में अशान्ति फैलाओ तो मैं उन अधिकारों को नागरिक अधिकार नहीं मानता बल्कि मैं यह कहता हूं कि वे उन अधिकारों को समझते नहीं। वे पहले नागरिक अधिकारों को समझें। नागरिकता का मतलब तो यह है कि एक दूसरे की सुरक्षा के लिये बसुधैव कुटुम्बकम का नारा लगाकर सब लोगों की चीज एक हो, हमारे देश की उन्नति हो इस तरह की भावना पैदा हो, तब हम उस नागरिकता के अधिकार का पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह कह देना सच्चाई के ऊपर परदा डालना है जो कि माननीय सदस्य ने कल कहा है।

इसके बाद, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान पुलिस की तरफ दिलाना चाहता हूं। पुलिस को अंग्रेज ने यहां पर शासन करने के लिये कुछ थोड़ा सा रुपया देकर के रखा था। जगह जगह उनकी व्यवस्था की थी, इन्चार्ज और सब इंस्पेक्टर तैनात किये थे। उनका केवल एक दृष्टिकोण था कि हमारे शासन की व्यवस्था ठीक हो, हमारा शासन ठीक रहे। लेकिन आज हमको यह सोचना होगा कि उस एकतंत्र युग में जो क्रिमिनल ऐक्ट बना था वह आज के प्रजातंत्र के युग में उसी समय से लागू है। उसमें विचार करके तरमीम

[श्री मलिखान सिंह]

करनी पड़ेगी । एक इन्चार्ज जिसके पास इतने अधिकार हैं वह जब चाहे किसी को बरगलाकर के किसी को किसी जुर्म में फंसा सकता है, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इंचार्ज पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई गजटेड पोस्ट का रहना चाहिये जिसकी कि तनख्वाह इतनी हो जिससे कि ईमानदारी के साथ वह उस क्षेत्र में काम कर सके, सच्चाई के साथ वह वहां पर काम करे । माननीय मंत्री जी पूछ रहे हैं कि मैं तनख्वाह भी बता दूं । मैंने गजटेट पोस्ट पहले ही कहा है । उससे वह स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि क्या तनख्वाह होनी चाहिये । अधिष्ठाता महोदय, जब तक पुलिस क्रिमिनल ऐक्ट में तरमीम नहीं होगी, जब तक इन्चार्ज को इस गजटेड पोस्ट का नहीं रखा जायगा, तब तक किसी के साथ न्याय होने की सम्भावना इस प्रदेश में कोई चाहे तो बहुत मुश्किल है ।

इसके बाद मैं कुछ आजकल की पार्टीबन्दी के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना करना चाहता हूं । चार्ज तो हमारे ऊपर लगाये ही गए । लेकिन मैं एक ज्वलंत उदाहरण दूं कि हरदोई के राजेन्द्र सिंह एम० एल० ए० ने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा कि वहां का इंचार्ज सर्किल इंस्पेक्टर शिवदर्श राय हमारा कत्ल कराना चाहता है, हमारे ग्रुप के लोगों को झूठ मूठ फंसाना चाहता है । उसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । अभी मालूम हुआ कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह उसकी जांच करायेंगे और कार्यवाही करेंगे । यह विरोधी दल के लोगों के साथ और एम० एल० ए० के साथ व्यवहार होता है । माननीय मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल के ऊपर ३५३, ३९२, ३९३ के केस लागू किये जाते हैं । अभी अभी इधर के माननीय सदस्य बलदेव सिंह जी को कत्ल में फंसाया गया और कहा यह जाता है कि लोग क्राइम करते हैं । इस तरह के ज्वलंत उदाहरण हैं कि शासक दल के लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके जिले के सरकारी कर्मचारियों को दबाकर के विरोधी दल के लोगों के ऊपर नाजायज तौर से मुकदमें कायम करना चाहते हैं । ज्यौति गांव के प्रधान को पुलिस मुजामत में फंसाया गया । वहां के एक कांग्रेसी, मैनपुरी के, जो कि भारत सेवक समाज के संयोजक भी हैं, पार्टीबन्दी करके उस प्रधान को पुलिस की मुजामत में फंसाते हैं । कुरावली थाने के इन्चार्ज ने रिश्वत लेकर भरतपुर के कल्लू लोधे का कत्ल कराया जिसकी रिपोर्ट मिनिस्टर के यहां, आई० जी० के यहां तथा दूसरी जगह १३ कापी फारवर्ड की गईं । एक कापी मेरे पास भी आई है । उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस थानेदार को मुलजिम करार दिया जाय, इसने ५ हजार रुपया लेकर यह कत्ल कराया है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । लखौरा के पास तिलोकपुरा गांव के कुम्हारों को लूटा गया । पुलिस ने इन गरीबों की रपट भी नहीं दर्ज की । उनसे कह दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता । इस तरह से केसेज दबाये जाते हैं । तो फिर हम कैसे इन आंकड़ों को सही मानें कि डकैती कम हो रही है ? आज आप गांव की स्थिति को देखें कि वहां पर क्या हो रहा है । गांव में पुलिस तब जाती है जब डकैती पड़ जाती है, डकैत निकल भागते हैं । हमारे मैनपुरी जिले में गांव के लोगों ने बहादुरी का काम किया है । उन्होंने नाजायज हथियारों से २ डकैतों को मारा, थाने से थानेदार उस समय पहुंचे जब कि वहां पर डकैत मरे हुये पड़े थे । वहां पहुंचकर पुलिस ने जलूस निकाला कि पुलिस जिन्दाबाद । गांव वालों को प्रोत्साहन देना चाहिये था, लेकिन पुलिस जिन्दाबाद वहां पर वे कहते हैं । मरे तो गांव वाले---उसमें एक गांव वाला मर गया, लेकिन नाम पुलिस अपना करना चाहती हैं । इस तरह के काले कारनामे आज पुलिस प्रदेश में कर रही हैं ।

आज पुलिस बहुत से आदमियों को १०९, ११० मे फांसकर पार्टीबन्दी के आधार पर घसीटना चाहती है । मेरा निवेदन सरकार से यह है कि जब तक एक एक गांव में २,२ और ३, ३ हथियार नहीं होंगे, बन्दूक के लाइसेन्स नहीं होंगे तब तक गांव में डकैती बन्द नहीं हो सकती है । जिन गांवों में बन्दूक हैं उन गांवों में डाके नहीं पड़ते हैं । डाकू लाठी इस्तेमाल नहीं

करते हैं। अगर गांवों में ४, ६ आदमियों को बन्दूक के लाइसेन्स दे दिये जायं तो फिर गांवों में डकैती नहीं पड़ सकती है। डकैती उसी गांव में पड़ती है जहां पर बन्दूक नहीं होती है। जो नगले होते हैं जिनमें आर्म्स नहीं होते हैं उनमें डाकू जाते हैं। सरकार को इस तरफ अपना ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद में आपको बताऊं कि पुलिस लोगों को फंसाने के लिये गुंडों को अपने हाथ में रखती है। यही दलाल का काम भी करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो आदमी पुलिस केस में ३ बार से अधिक गवाही देने के लिये जाय उसके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। पुलिस केस में बहुत बार जाने से यह साबित हो जाता है कि यह पुलिस का दलाल है। दूसरे वे लोग जो थानों में अधिक जाकर बैठते हैं उनको भी समझ लेना चाहिये कि ये थानेदार के पिट्ठू हैं। इस तरह की जब योजना बन जायगी तब हमारे प्रदेश में क्राइम्स कुछ कम हो सकते हैं। पार्टीबन्दी के आधार पर और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से सरकार का लाभ नहीं होगा, उसमें तो विरोधी पार्टी की संख्या ही बढ़ेगी। जब तक प्रदेश में डकैती बढ़ती रहेगी और चोरी बढ़ती रहेगी, विरोधीदल की संख्या भी बढ़ती रहेगी और जनता का विश्वास इस सरकार के ऊपर से हट जायगा। जनता यह समझती है कि इस सरकार के हाथ में हमारी सुरक्षा नहीं है और यह शासन अयोग्य हो चुका है और शासन सत्ता यह संभाल नहीं सकती, इसलिये जनता को इस सरकार को बदलकर विरोधियों के हाथ में इस शासन को देना चाहिये।

श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर)---अनुदान संख्या १८ जो गृह मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कल से आज तक दोनों तरफ से बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये। किसी भी जनतान्त्रिक सरकार के लिये, उसके भविष्य के लिये उसका लोकप्रिय होना बड़ा जरूरी होता है और उसकी लोकप्रियता उसके प्रशासन पर निर्भर करती है। हमारी सरकार की लोकप्रियता, जो अंग्रेजी राज्य के बाद में बनी है, काफी बढ़ी है और वह अधिक बढ़ सकती थी यदि वह पुलिस को अधिक सुधार सकती। सरकार ने पुलिस का जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिये बहुत काम किये हैं। पुलिस ने बहुत से काम ऐसे किये हैं जो किसी भी सरकार के लिये सम्मान की बात है। लेकिन यह पुलिस अंग्रेजी जमाने की है और उसी समय के नियम हैं। अंग्रेजी सरकार इसलिये पुलिस रखती थी कि वह देश में देशभक्त न पैदा होने दे और अंग्रेजी हुकूमत को जनता का शोषण करने में साथ दे। लेकिन आज की सरकार इसलिये नहीं है। पुलिस में आज मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता है। कुछ बुनियादी खामियां हैं जिनकी वजह से आज जितने ऊंचे स्तर पर पुलिस को पहुंचना चाहिये था उतने ऊंचे स्तर पर वह नहीं पहुंच पायी है। जब तक पुलिस के कानूनों में पूरी तब्दीली नहीं होगी तब तक पुलिस ऊंचे नहीं पहुंच सकती। आज पुलिस के अधिकार में ऐसे कुछ असीमित अधिकार हैं जिनसे वह किसी भी भले आदमी को परेशान कर सकती है। दफा १०७, १०८, १०९, ११० ऐसी धारायें हैं जिनके द्वारा पुलिस किसी भी भले आदमी को फांस सकती है।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी। इसमें शक नहीं कि जितना कम वह होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है। पुलिस भी भ्रष्टाचारी है, परन्तु साथ में जनता का नैतिक स्तर भी जिम्मेदार है। हमारे उधर के बैठनेवाले बहुत से भाई ऐसा स्वांग रच देते हैं कि उन्हें सब जगह भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। पुलिस के दलाल जनता में से ही होते हैं और कभी कभी पार्टीबन्दी की वजह से भी पुलिस के अधिकार बढ़ जाते हैं और वह ऐसा काम कर देती है जो कि उसे नहीं करना चाहिये। बहुत सी कमेटियां पुलिस के सुधार की हैं। थाना कमेटी है जिसके निर्माण में ज्यादातर थानेदार का ही हाथ रहता है। वही उसको नियुक्त करता है और अपने ही आदमी या दलालों को उसमें रख लेता है। इस प्रकार कोई सुधार नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है कि ग्राम सभा से निर्वाचित या जनता के चुने हुए लोग उसमें जावें, तो वह थाना

[श्री रामलखन सिंह]

कमेटी ज्यादा अच्छी होगी। इसी तरह से जिले के स्तर पर कप्तान के यहां पुलिस कमेटी है जिसमें सदन के माननीय सदस्य भी होते हैं। पुलिस कप्तान महीने दो महीने में उनकी मीटिंग बुलाकर चाय पिलाकर ऐसी वैसी बातें कर देते हैं और अपने सुझाव रख देते हैं, लेकिन उसमें कोई सही राय नहीं लेते। कभी कभी हम लोग भी अपने क्षेत्र के किसी सब-इंसपैक्टर की शिकायत करके या तारीफ करके उनका मुंह बन्द कर देते हैं। वहां भी कुछ ऐसा सुधार होना चाहिये कि जो भी काम हों वे कमेटी के सामने रखे जावें और भविष्य में होने वाले कामों पर भी वह अपनी राय दें।

जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक समितियों को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिससे वे भ्रष्टाचार बंद कर सकें। अगर कोई दरख्वास्त आती है, डी० एम० चाहे तो उसकी तहकीकात करावे और न चाहे तो न करावे। कम्पलेंट्स के डिप्टियों को पूरा अधिकार रहता है कि वे किसी सब-इंसपेक्टर या सिपाही के खिलाफ जो चाहें कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि भ्रष्टाचार निरोधक समितियों के अधिकार बढ़ाये जावें और दरख्वास्तों की जांच करने के लिये कम्पलेंट अफसर नियुक्त किये जावें और कमेटी के सदस्य भी जिनकी दिलचस्पी हो नियुक्त किये जावें या एक या दो सदस्य नियुक्त किये जावें। तब सही माने में इनक्वायरी हो सकती है।

मैं अपने जौनपुर जिले के दो एक मामले सदन के सामने आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं। ४, ५ महीने की बात है कि वहां सराबाजा थाने के दरोगा की गांजा बेचने वाले से सांठ-गांठ थी और वह उन्हें रुपया दिया करता था। जब रुपया देना बन्द कर दिया तो उसने उस पर छापा मारा और ३००, ४०० रुपया भी उठा ले गये। छापा मारा सो तो ठीक और चालान करके मुकदमा चलाया वह भी ठीक मगर उसका रुपया नहीं मिला यद्यपि कम्पलट्स अफसर ने जाकर इनक्वायरी भी की। इससे सरकार के प्रति भी जनता की लोकप्रियता कम होती है और पुलिस तथा जनता का सम्पर्क स्थापित नहीं होता। जनता और पुलिस का सम्पर्क स्थापित करने के लिये जब तक बुनियादी रद्दोबदल नहीं होगी तब तक जनता पुलिस का विश्वास नहीं करेगी। जैसे पुलिस के आदमी अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में रहते थे वैसे ही अब भी रहते हैं, उनकी वर्दी भी वही है। उसमें परिवर्तन होना चाहिये। वह वर्दी हमारे गरीब गांवों के रहने वाले भाइयों को उसी तरह से डरावनी मालूम होती है जैसी कि सन् ४२ या उसके पहले होती थी।

पुलिस के अधिकार सीमित होने चाहिये। एक कांस्टेबिल की तनख्वाह केवल ५०, ६० रुपये है और उससे हम यह उम्मीद करें कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, यह नहीं हो सकता। इसलिये कांस्टेबिलों का वेतन बढ़ना चाहिये। मेरी राय है कि किसी भी नौकर की तनख्वाह १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। कांस्टेबिल की तनख्वाह भी १०० रुपये हो जायगी, तो हम उससे आशा कर सकते हैं कि वह अपने चरित्र में कुछ सुधार करे।

बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक समाज में अपराध करने वाले हैं तब तक पुलिस का रहना जरूरी है और पुलिस रहेगी। हमारे पूज्य बापू कहा करते थे कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिये जिसमें न पुलिस की जरूरत पड़े, न जल की जरूरत पड़े और न मिलिटरी की जरूरत पड़े। लेकिन राज्य आने में बहुत देरी है। उसके लिये हम प्रजातांत्रिक तरीकों से ऐसे बढ़ते रहें कि एक समय ऐसा आ जाय। और जब तक समाज में व्यक्तिगत संपत्ति है, जब तक समाज ऊंचे स्तर पर नहीं आ जाता है, जनतंत्र के पूर्ण शिखर पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमें पुलिस रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ पुलिस और जनता में जो खाई है उसको दूर करने के लिये प्रयास करना जरूरी है और पुलिस के जो पुराने नियम हैं उनको बदला जाना चाहिये।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस अनुदान के सम्बन्ध में एक कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो बहस कल से हुई है उसके दो भाग हैं। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि जुर्म बढ़ने का कारण है कि जनता नाकाबिल है, जनता अयोग्य है। लेकिन इधर के साथियों का यह विश्वास है कि सरकार नाकाबिल है, इसलिये जुर्म बढ़ते हैं।

जब कोई अभियान चलता है और देश तरक्की की ओर जाता है तब तो कहा जाता है कि यह हमारी सरकार ने किया है, लेकिन जब किसी गिरावट की ओर जाता है तब उसका दोष जनता के सिर पर मढ़ देते हैं। यह तो हुई इनकी बात, अब हाल सुनिये।

आपके प्रदेश की आबादी ६,३२ लाख है जिनमें से ८६ लाख शहरों में रहते हैं और साढ़े पांच करोड़ देहात में। लेकिन ये कत्ल, डकैती तथा और जरायम कहां होते हैं? शहरों में केवल चोरी एक आध हो गयी या और कोई थोड़े बहुत जुर्म हो गये, लेकिन ये जुर्म वहां होते हैं जहां आपके प्रदेश की साढ़े पांच करोड़ जनता रहती है। वहां का इन्तजाम कौन करता है? आपकी ग्राम पुलिस, जिसमें ५० हजार चौकीदार हैं जिन पर ३१ लाख रुपया आप खर्च करते हैं और शहरी पुलिस पर ६,४२ लाख रुपया। शहरों में तो इतना खर्चा और जहां कत्ल और डकैती होती हैं वहां ३१ लाख रुपया ही।

मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव मद नम्बर (ङ) और (व) पर रक्खा है। मद (क) में आकस्मिक व्यय रखा गया है १७,७१,२०० रुपये और (ङ) में रखा गया है ३,७५,००० रुपये दोनों को मिलाकर हो जाता है २१,५६,२०० रुपये। इसके अलावा भत्ता अलग है, नौकरों की तनख्वाह अलग है, मोटर का अलाउन्स अलग है। सब चीजें तो अलहदा है फिर यह आकस्मिक व्यय किस लिये है जिसके लिये ९,४१ लाख रुपये की मद में से ६० लाख रुपया आकस्मिक व्यय में रखा गया है और यह बढ़ता ही जाता है? इसके लिये ही मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। या तो इसको खत्म कर दिया जाय या जिस तरह से और चीजों के पूरे आंकड़े दिये जाते हैं, वैसे दिये जायं।

अब गांवों की हालत क्या है? उधर से मांग की जाती है कि उन सुधार की बातों को बता दीजिये जिनसे गांव का सुधार हो सके। सुनिये, देहात में हर बिरादरी के पंच होते हैं। जो कोई सुधार आप करना चाहते हैं उसके लिये गांव के हर बिरादरी के पंचों की एक कमेटी बना दीजिये। कांग्रेस के जमाने में हमने इसको खूब देखा है। ३-३ साल तक हमने एक भी आदमी को अदालत नहीं जाने दिया। बिरादरी की पंचायत में हर बिरादरी का एक एक चौधरी हो, उसे बुला कर इकट्ठा करो और उसके जिम्मे गांव का सभी इन्तजाम करो। आप तो इन्तजाम रखते हैं ऊपर और नीचे को चलते हैं। ऊपर से इन्तजाम नहीं चलता है। अगर आप नीचे इन्तजाम लावेंगे तो आपका इन्तजाम ऊपर को आवेगा। आजकल की जो पंचायतें हैं वे तो एकांगी हैं। ५१ और ४९ की हैं, उसमें आधे तो विरोधी हैं जिससे गांव पंचायतों का काम नहीं चलता। लिहाजा ५१ और ४९ को छोड़ दीजिये। जितनी बिरादरी हैं उनका अधिक काम गांव में ही होता है। वे अपनी बिरादरी के ठेकेदार बन जाते हैं। अगर आप इस इन्तजाम में सुधार करना चाहते हैं तो आप ऐसा इन्तजाम लावें कि जो कुछ भी काम करना हो वह गांव वालों की मदद से ही करें। अगर गांव वालों की मदद के लिये रखवाला रखना हो, चौकीदार रखना हो, तो वह गांव वालों से पूछ कर रखें। अगर कोई सिपाही गांव में किसी मुजरिम को पकड़ने के लिये आवे तो वह भी पंचायत के पास ही आवे कि मुझे फलां मुजरिम को पकड़ना है, उसे बुलवा दिया जाय। वह अपने आप किसी मुजरिम को पकड़ने के लिये उसके घर में न घुसे। उसे यह अधिकार हो कि उसकी कही हुई बात झूठी न मानी जाय। अगर आप कुत्ता कुतिया रख कर उसके जरिये कानूनी शहादत दिलाना चाहते हैं तो इससे काम नहीं चलने वाला है। मुझे बतलाया जाय कि कानून में यह कहां लिखा हुआ है कि कुत्ते और कुतियों की शहादत मानी जायगी। आप कुत्ते

[श्री टीकाराम]

कुतियां रखने पर हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं। कानूनी शहादत के लिये जब कोई वकील के पास आता है तो उसे वह सबक सिखाता है और जब वह गवाही देने जाता है तो कह देता है कि मैं वकील के पास नहीं गया था, मैंने मुद्दई की शक्ल तक नहीं देखी है और मैं हलफ लेकर यह बात कहता हूं। यानी उससे झूठा हलफ उठवाया जाता है।

(इस समय २ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

कानूनी शहादत यह है कि चश्मदीदी गवाह होने चाहिये, लेकिन फिर भी सैकड़ों कत्ल के मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें लोग छोड़ दिये जाते हैं। आखिर वे क्यों छूटते हैं? इसका कारण यही है कि वह डाकू के खिलाफ सही गवाही नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि डाकुओं के खिलाफ पुलिस उनकी रक्षा कर सकेगी। लिहाजा किसी डाकू के खिलाफ या किसी कातिल के खिलाफ वे शहादत देने में घबड़ाते हैं और शिनाख्त नहीं करते। वे कहते हैं कि मेरा तो घर लुट जायगा और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी पुलिस जनता की हिफाजत करने में बिल्कुल अपंग हो गयी है, गांव वालों का अब उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है।

इस सम्बन्ध में अपने जिले बदायूं के कुछ जुर्म के उदाहरण मैं दे दूं। थाना कोतवाली के हजरतगंज गांव की एक लड़की लहड़ पर आ रही थी जिसे बदायूं से चौथे मील पर ३ डाकुओं द्वारा दातागंज सड़क पर लूट लिया गया। १२ आदमी जो बस से जा रहे थे वे उस लड़की को बचाने के लिये बस से उतर कर आये, लेकिन वे डाकू उसका सामान उतरवा कर चलते बने। इसी तरह से एक वाकया आपको बतला दूं कि एक आदमी उसी सड़क पर साइकिल से अपने गांव को जा रहा था जिसका डेढ़ सौ रु० छीन लिया गया और वह आदमी रोता हुआ अपने गांव को गया। इसी तरह से आम गांव का रघुबीर जा रहा था जिसका डेढ़ सौ रुपया सरेशाम छीन लिया गया। इसी तरह से चकटिया के लल्लूरी का कत्ल हुआ, आलमपुर का रामचन्द्र मारा गया। जब उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिये एक आदमी थाने में गया तो थानेदार ने उसको फटकार कर भगा दिया। एक वाकया मैं दलीपनगर का बतला दूं कि पुलिस डकैतों को किस तरह से पकड़ती है। पुलिस ने एक बदमाश को बुलाकर एक आदमी के घर पर रखा और थानेदार को खबर कर दी। थानेदार साहब आये और उस डाकू को पकड़ कर ले गये तो पुलिस इस तरह से गड़बड़ी करती है किसी डाकू को पकड़ने में जबकि वहां गोलियां चलती हैं, एक खरोच तक नहीं आती, एक जख्म तक नहीं होता, जब कि मकतूल के जिस्म से छर्रे और टिकलियां निकलती हैं। यह कत्ल और डकैतियों का मुकाबला बदायूं जिले में है। अभी गुलड़िया, थाना दातागंज, में डाका पड़ा जिसमें १६ आदमियों को पकड़ा गया, उस गांव को घेरकर डाका पड़ा और वहां मुठभेड़ हुई। २ आदमी मारे गये और गांव वाले जख्मी हुए। आपकी पुलिस की यह निगरानी है।

थाना उसैत खेड़ा जलालपुर में फूल सिंह को कत्ल करने की साजिश डकैत कर रहे हैं, मेरे पास चिट्ठी आयी हैं जो मैंने मंत्री जी को दे दी है; उसमें लिखा है हमारे कार्यकर्ता ने कि मैंने पुलिस की बुराई की है, मेरे पीछे डकैत लगा दिये गये हैं, घर में छुपा बैठा रहता हूं। इसी तरह थाना अलापुर में रामचन्द्र कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्य-कर्ता को पिछले फरवरी के महीने में सरेशाम गोली से मारा, ७ गोली मारीं। कमालपुर मौजा गिधौल थाना अलापुर में मैं देख कर आया हूं २ तारीख को जिसमें एक औरत मर गयी और तीन के छर्रे लगे हैं और उसकी रपट अलापुर थाने में न लिखकर बदायूं आये लिखाने। दफा १०७, ११७, १५१ हम लोगों के ऊपर लगती है उसका तो कुछ कहना ही नहीं। यह हालत है। अभी २ अक्तूबर को दिन दहाड़े तीन, तीन दफा गोली चली, एक कत्ल हुआ मुकदमा चल रहा है। बराबर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आर्म्स को फ्री क्यों नहीं कर देते। डकैतों के पास ५०, ५० कारतूस और लाइसेंसदारों के पास ४ कारतूस भी नहीं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह कहना चाहता हूं कि १२ मिनट का अभी तक समय था। मैं समझता हूं उसको कुछ कम कर देना चाहिये। ८ मिनट अगर कर दिये जायं तो कुछ और माननीय सदस्यों को मौका मिल जायगा, क्योंकि केवल पौने दो घंटे का समय अब विवाद के लिये बाकी है, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---१० मिनट कर दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छी बात है।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। पुलिस के अनुदान पर कल से विवाद बराबर जारी है और इसी के सिलसिले में कल जो कटौती के प्रस्ताव एजेण्डे पर आये थे उनमें से कुछ आज नहीं हैं। तो क्या वे प्रस्ताव कल के ही लिये थे ?

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा है, जिस समय कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों के नाम पुकारे गये उस समय वे सदन से गैरहाजिर थे, इसलिये उन्होंने अपने हक को खो दिया। इसी कारण उनके नाम व प्रस्ताव एजेण्डे पर नहीं छपे।

***श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पुलिस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी माननीय सदस्य ने यह विरोध नहीं किया कि पुलिस न रखी जाय। बजट में पुलिस की कमियों और उसके कर्तव्यों की चर्चा अधिकतर हुई। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर मानव विकास की तरफ चलता है, मानव जंगल की तरफ नहीं चलता, तो पुलिस और फौज रखनी पड़ेगी। कहीं भी किसी राज्य में चाहे साम्यवादी हो, चाहे दूसरे ढंग का राज्य हो आज तक यह देखने को नहीं मिल रहा है कि पुलिस कहीं न रखी जाय, पुलिस का कोई बजट न हो। हम साढ़े छः करोड़ जहां रहते हैं, मुल्क जर्मनी के बराबर हमारा प्रदेश है। जर्मनी में तो फौज रखी जाती है। हमारे प्रदेश में नौ-दस करोड़ की मांग होती है सुरक्षा के लिये पुलिस रखने को। तो कोई माननीय सदस्य यह नहीं कहता कि पुलिस न रक्खी जाय, बल्कि हर आदमी कहता है कि पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह जिक्र किया कि अंग्रेजी गवर्नमेंट के जमाने में जैसी पुलिस थी और जो कानून था वही आज भी चल रहा है और उसी तरह का पुलिस काम कर रही है। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो कुछ माननीय सदस्य इस सदन में हैं जिन्होंने अंग्रेजी गवर्नमेंट के जमाने में मुकाबला किया है पुलिस का। मैं तो उस जिले में रहता हूं जहां तीन साल तक लगातार १९४२ में जौनपुर की जनता ने अंग्रेजी गवर्नमेंट की बर्बर पुलिस का और उसके कानून का मुकाबला किया था। हमको मालूम है कि क्या उस पुलिस का काम था। और आज की पुलिस क्या कर रही है। आज की पुलिस और पुलिस कानून को नहीं कह सकते कि खराब है। मैंने देखा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको देखा भी नहीं था कि पुलिस अंग्रेजों के राज में कैसी थी और आज कहते हैं कि पुलिस का जमाना उससे बढ़ गया है। पुलिस का जमाना नहीं बढ़ा। पुलिस का कानून ढीला है और पुलिस बहुत ढीले ढंग से चल रही है। हो सकता है कि व्यक्ति में दोष आ गया हो। कोई व्यक्ति पुलिस का गलती कर सकता है।

मैंने सन् १९३० में देखा था जब सीने पर बैठ कर यह कहा जाता था कि तुम अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ बन्देमातरम् नहीं कह सकते। मैंने ३२ के युग को देखा है। कहते थे कि हम तीन आने और छः पैसे देंगे, खाना हो तो खाओ, अगर कोई खिलाने वाला आता है तो उसका और तुम्हारा सिर तोड़ देंगे। मैंने सन् १९४० को देखा है, उस जिले में जहां गांधी जी ने नारा लगाया था कि दिल्ली चलो। आज के युग को भी मैंने देखा। आज की पुलिस को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

भी देखा। आज के निर्माण और विकास को भी देखा। आपने भी देखा। बात यह है कि जितने भी हमारे राजनीतिक ग्रुप थे वह चाहे कहीं रहे हों, उनकी कुछ भी विचारधारा रही हो, उस समय की पुलिस और उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। हम आजाद हुए और गुलाम नहीं रहे। आज हमारी लड़ाई है, पार्टियों की लड़ाई है कि किस तरह से इस गवर्नमेंट को बदनाम करें। अगर पुलिस की ही बात होती तो हम मान लेते, लेकिन कोई भी बजट यहां आता है, सब निकम्मे हैं, यह गवर्नमेंट किसी तरह से चल नहीं सकती, मंत्री जी किसी तरह से चला नहीं सकते, यह कहा जाता है। इसके माने यह हो जाते हैं कि हमारी और आपकी कीमत उठती चली जाती है। अगर हम सत्य को पेश करें कि फलां आदमी जुर्म कर रहा है, फलां बजट का यह हिस्सा गलत है तब तो आप और हम इस देश में प्रजातंत्र का जो सच्चा रूप है उसको चला सकेंगे। नहीं तो, अगर यही रवैया रहा तो मैं कह दूं कि यह मुश्किल है। यह तो फ्रांस और जर्मनी का तरीका हुआ। रूस हो, चीन हो, चाहे अमेरिका हो, ग्यारह-बारह साल के अन्दर अहिंसा का रूप धारण करके किसी सरकार ने इतना विकास और निर्माण किया हो, यह कोई उदाहरण दे दें तो मैं चाहूंगा कि उनकी राजनीतिक विचारधारा को लूं और उनका शिष्य बनकर रहूं। लेकिन उदाहरण नहीं है, बोलने के लिये भले ही हो, कहने के लिये भले ही हो।

एक बात जरूर है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो ठीक होनी चाहिये जैसे कुछ राजनीतिक लोग जो अंग्रेजी राज्य के खिलाफ सन् १९३०,४० और ४२ में लड़ते थे उनकी निगरानी उस जमाने में होती थी, लेकिन आज भी वह कहीं-कहीं जारी है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा अगर आई० जी० और डी० आई० जी० साहब से कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ गुलामी मिटाने के लिये लड़ाई लड़े उनकी निगरानी को खास तौर से अब काट देना चाहिये वर्ना यह अपराध है, गलत है और सही नहीं है। ऐसे आदमी जो पोलिटिकल काम करते हैं अच्छी शिक्षा पाये हुए हैं उनके नाम चोरी की दफा में, ३७९ में डकैती में दर्ज हैं, यह अन्याय है। यह भी मुनासिब नहीं है कि कोई कत्ल कर के आये तो उसके लिये कानून ढीला कर दिया जाय। रेल चल रही है, किसी ने किसी के ढेला मार दिया, चोट लग गयी, पुलिस न बोले तो यह शासन की कमजोरी है। एक राय हम आप संयुक्त रूप से दें कि हमें अपने शासन को मजबूत बनाना है, यह जरूरी नहीं है कि आज हम इधर हैं, हम ही रहेंगे, कल आप भी आ सकते हैं परसों कोई और भी आ सकता है। प्रजातंत्र में किसी की बपौती नहीं है। अब वह इतिहास तो दोहराना नहीं है कि आज पिता राजा है तो कल उस का लंगड़ा पुत्र भी राजा हो।

आज एक ईमानदारी से कांग्रेस इस देश में काम कर रही है, उस ने एक विधान और एक उसूल यहां की जनता के सामने रखा है और उसी के अनुसार काम किया है और उसी का यह फल है कि आज प्रजा हमारे साथ है। आज कोई आदमी बता दे कि चाहे रूस हो, चीन हो या अमरीका हो, सब आज जो हमारे कांग्रेस के लक्ष्य हैं उन को ही अपने देश में मनवाने में लगे हैं, हमारे पास केवल एक अहिंसा का हथियार है जिस को लेकर हम दुनिया के एटम बम्बों से लड़ रहे हैं और दुनिया के गलत उसूलों के खिलाफ अपने सीधे सच्चे नये उसूल कायम कर रहे हैं। तो अब इससे काम नहीं चलेगा कि कुल पुलिस खराब है, कुल शासन खराब है, कुल कर्मचारी खराब हैं। ऐसा कहते-कहते तो डर है कि खराब ही न हो जायं। यह लोग कोई कहीं और के तो हैं। नहीं यह भी आप के ही भाई, आप के ही बच्चे हैं। अगर कोई गलत चीज है तो हम आप शिक्षा के तौर पर उन में सुधार लायें तो सुधार हो भी सकता है, लेकिन अगर हम खड़े हो कर कहे जायें कि शासन निकम्मा है तो उस का नतीजा उल्टा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा है कि माननीय सदस्य ईमानदारी से इस का समर्थन करेंगे।

श्री बलदेव सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। किसी व्यक्ति के शरीर में गन्दगी हो, उस पर मक्खियां भिनक रही हों और

दुनिया के लोग उसे नफरत की निगाह से देखें और वह यह समझता हो कि हम तो साफ हैं, वही दृश्य इस मंत्रालय और सरकार का है। आज जितने सदस्य उठे, सिवा उन के जो अभी बोल चुके हैं, मैंने सब को सुना एक तरफ से सब को इस बात को कहते हुए कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जाने दीजिये, चाहे दुनिया कुछ कहे, लेकिन हर जगह थू-थू है। मगर यह जो पत्रिका छपी है इसमें बार-बार सराहना की गयी कि बड़ा अच्छा कार्य हुआ। चाहे कत्ल की संख्या बढ़ी, डकैती बढ़ी, चाहे चोरी बढ़ी, लेकिन उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस मंत्रालय के लिये? जितना वर्णन किया जायवह सब कम है। उपाध्यक्ष महोदय, बताया यह गया कि अपराध कुछ कम हुए हैं। सम्भव है, आज से २५-३० वर्ष पहले गोंडा और बहराइच जिले मिलाकर एक जज रहता था। बहराइच का मुझे पता नहीं, लेकिन गोंडा में ५ सेशन जज वर्क कर रहे हैं और केस कम नहीं हो रहे हैं, हवालात में साल-साल भर से आदमी पड़े हुए हैं। तो अपराध बढ़े हैं या नहीं, मैं कह नहीं सकता। और सैकड़ों आदमी, यही रक्षक जो हमारे हैं वह चोरी में, कत्ल में, डकैती में इन्हीं पुलिस के आदमियों पर मुकदमे चल रहे हैं। यह हमारी नीति और व्यवस्था है, चाहे प्रशंसा की जाय और जिस रूप से की जाय, उसका कोई कम वर्णन करना ठीक नहीं है।

अभी बड़े जोरों की बात कही गयी कि यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि डाकुओं का मुकाबला करने में, पकड़ने में—यह इस किताब में छपा है—बड़ी गड़बड़ी वाराणसी में थी तो वाराणसी के विश्वविद्यालय के छात्रों के दबाने में और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के दबाने में यह पुलिस बिलकुल सफल रही। लेकिन रूपा, चरना या कहीं डकैती यदि होती हैं, कत्ल होते हैं, उनके नजदीक भी नहीं पहुंच पाते और पता भी नहीं चला पाते और माननीय मंत्री जी बताते हैं कि छान-बीन हो रही है। तो मैं इसको क्या आपको बताऊं? गोंडा जिले में अभी ७ मार्च को बलरामपुर शहर में, स्टेशन से मिली हुई पुलिस चौकी से ५० गज पर, हमारे यहां के बहुत बड़े आदमी जसवन्त सिंह जी का लड़का अमेरिका से लौटकर आया ऊंची तालीम हासिल करके। चौराहे पर पुलिस चौकी से ५० गज के फासले पर एक बदमाश ने फरसा से उसको काट कर फेंक दिया। तमाम यात्री उसको चारों तरफ से घेरे थे और उसका पीछा करते थे। वह भगा, जब ५० बीघे से आगे निकल गया तब पुलिस चौकी से निकली। तब तक नहीं निकली जब तक वह आड़ में नहीं हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं बताऊं अपने को। क्या बताऊं, मुझे आश्चर्य होता है, इसी साल मेरे ऊपर भी कत्ल का मुकदमा और आतिशजनी का मुकदमा इस सरकार की कृपा से चला और मुझे इतनी साहस की कमी इन पुलिस के अधिकारियों में मिली कि जिन-जिन से मिला और बात की, सबने मुझे बताया कि पुलिस की जो रिपोर्ट आयी है उससे सिद्ध है कि आप मुजरिम नहीं हैं, लेकिन उस चीज की नकल के लिये मैं हर जगह अदालत में यह कहता फिरा कि मुझे मिल जाय। दरख्वास्त दी, ऐफिडेविट लगाया, लेकिन रिपोर्ट गायब कर दी गयी और मुझे असंभव हो गया कि मैं अदालत में पेश कर सकूं। फिर भी मैं आपको एक जुमला उस अपने जजमेंट का सुनाना चाहता हूं। जज ने लिखा है कि "Taking all these circumstances into consideration I am satisfied that the prosecution case is false and got up one."

हमारे एक और विधान सभा के सदस्य हैं। इस विभाग के अधिकारी भी यहां बैठे हुए हैं और माननीय मंत्री जी भी हैं उनसे कहना चाहता हूं दावे से कि अगर उनमें साहस है तो जांच करायें। गोंडा जिले में एक वजीरगंज थाना है वहां से थोड़ी दूर पर २०-२५ चमरमंगतों का एक दल आकर ठहरा, बड़ा दुख होता है कहते हुए, लेकिन उनके पास एक खूबसूरत औरत थी और दारोगा साहब से न रहा गया। वह वहां गये। लेकिन चमरमंगतों ने हमला किया और उनके सिपाहियों और उनको वहां से खदेड़ दिया। इस बिना पर दूसरे दिन चमरमंगतों को पकड़ लिया गया कि वे दारोगा जी के क्वार्टर में चोरी करने आये थे और कुछ लोग बाहर बैठे थे। उनमें

[श्री बलदेव सिंह]

किसी का दफा १०९ और किसी का चोरी में चालान हुआ। इस चीज को यहां के एक विधान सभा के सदस्य हैं? उन्होंने पुलिस कप्तान से कहा, उच्चाधिकारियों से और डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि यह बड़ी ज्यादती हुई है। मुकदमा चला, कुछ उनमें से छूट गये और कुछ को सजा हुई। पुलिस के पास गवाहियां भी थीं। लेकिन उसकी जांच करने के लिये कोई नहीं गया। उसके बदले में वह विधान सभा के सदस्य जो ट्रेजरी बेंच के हैं उनको एक अपराध में ३०२ के अन्दर पुलिस ने चालान कर दिया। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मंत्री जी चाहें तो इसकी जांच करा लें कि वाकया कितना सही है।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और सुगमता से विभाग चले तो भ्रष्टाचार निवारण समिति जो जिले में बनी हुई हैं वह हर तरह से निरर्थक हो गयी हैं। मैं भी उसका मेम्बर हूं, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा मुझे भी उसमें जाने से कई बार अरुचि हुई, क्योंकि अगर जाऊं और वहां कुछ कहूं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि आप इस भ्रष्टाचार निवारक समिति को पूर्ण अधिकार दें कि वह किसी मामले में जांच कर सके और आपके सामने तथ्य को रख सके। इस चीज का कोई अधिकार उनको नहीं है कि वह कर सकें। जो हमारे कम्प्लेंट्स आफिसर हैं वह जिलों में हैं और उनकी पूरी सर्विस कप्तान साहब के मातहत है और वह उनकी मर्जी के खिलाफ लिख नहीं सकते। कुछ से मेरी बातें भी हुई। जब कभी मौका लगा तो वह बराबर कहते हैं कि हम दबा देते हैं, मजबूरी है, क्या करें? तो अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से जांच हो तो उसकी सर्विसेज कप्तान साहब के अन्डर से हटाकर दूसरे किसी आफिसर, डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत, कर दीजिये जिससे वे कुछ हिम्मत कर सकें अपना काम करने के लिये।

एक और बात है जो कई लोगों ने कही है और मैं भी उसको मुनासिब समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उस तरफ ध्यान दें। पुलिस विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी चौकीदार है जिसकी तनख्वाह आज भी ५ रुपये महीने हैं। वही सबसे ज्यादा गाली सहने वाला आदमी है, पुलिस आफिसरों की भी और गांववालों की भी और आफिसरों के घोड़े की घास लाने वाला भी वही है।

उसके बाद कांस्टेबिल की स्थिति आपको बताऊं। एक थाने के एक सिपाही ने मुझसे कहा कि वहीं पास में एक रेलवे की गुमटी है। उस के गेटमैन को ८५ रुपये मिलते हैं। वह उससे कह देता है कि पल्ला बन्द नहीं है, खोल लो और चले जाओ। वह कहता है कि वह आदमी तो पड़ा रहे और ८५ रुपया पावे और हम जो डकैतों को पकड़ने के लिये भेजे जाते हैं और मारे भी जाते हैं तो हम पावें ५० रुपये, ५५ रुपये।

इसके साथ ही थानेदार साहब के घोड़े के लिये ४५ रुपये और कप्तान के घोड़े के लिये ७५ रुपये। तो यह फर्क भी दूर होना चाहिये। जब आज समाजवादी ढांचा आ रहा है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो इन छोटे अधिकारियों की जो सौ रुपये से कम पाने वाले हैं उनकी हालत दुरुस्त करें, तभी वह ईमानदारी से रह सकते हैं और समाज और देश का कल्याण कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब ७ मिनट का समय रखा जाय, क्योंकि काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

एक सदस्य—श्रीमन्, कांग्रेस दल के लोगों को यहां बोलने का समय न भी दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है? क्योंकि वे तो पार्टी मीटिंग में भी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसे अनियमित प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। हर सदस्य को इस सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने कल और आज, दोनों दिन इस सदन के माननीय सदस्यों के कुछ विचार इस अनुदान पर सुने। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारा प्रदेश हर दिशा में उन्नति करे और हम सुख और शांति का जीवन व्यतीत करें तो यह सबसे पहली बात होगी कि हमारे प्रदेश की पुलिस निहायत ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन करे। हमारे मित्र, श्री बलदेव सिंह जी ने अभी कहा कि वेतन कम है, इसलिये भी कुछ भ्रष्टाचार होता है। मैं उनकी इस बात से कभी सहमत नहीं हूं। मैं तो उन व्यक्तियों का आदर और सम्मान करने को तैयार हूं जो कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करके और भूखों मर कर भी अपने कर्त्तव्य का पालन करें। अगर यह बिल्कुल ठीक बात है कि यदि मुसीबतों का सामना करके भी हमारे प्रदेश की पुलिस अपने कर्त्तव्य का पालन करे तो किसी अधिकारी या माननीय सदस्य को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं और ये तमाम चीजें अपने आप ठीक हो जायंगी।

दूसरी बात एक और भी है। जब कभी मैं अपने जिले हरदोई में गया और जनता ने मुझसे शिकायत की कि यहां चोरी हो रही है या किसी का खेत काट लिया जाता है और मैंने वहां के थाना इंचार्ज से बात की तो उन्होंने भी अपनी दिक्कत बतलाई और कहा कि हम अगर किसी व्यक्ति को जिसे हम जानते हैं कि इसने चोरी की है, या खेत काटा है, पकड़ते हैं तो कुछ लीडर टाइप के लोग आकर सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि यह बेकसूर है, इसे छोड़ दो। मुझसे कुछ पुलिस अधिकारियों ने बतलाया कि हम बखूबी जानते हैं कि यह आदमी चोर है, बदमाश है, लेकिन क्या करें, उसका चालान करते हैं तो सिफारिशें चली आती हैं और अगर हम उनकी सिफारिश को नहीं मानते हैं तो लिखते हैं कि इसका ट्रांसफर किया जाय। तो ये दिक्कतें पुलिस अधिकारियों के भी सामने हैं। इसलिये हमें भी अपने चरित्र को देखना चाहिये और किसी भी अधिकारी से अपने स्वार्थ में आकर या अपनी लीडरी को कायम रखने के लिये या बढ़ाने के लिये कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिये। क्योंकि अगर वह हमारे कहने से एक गलत काम करेगा तो २० गलत काम हमारी नजर के सामने अपनी तरफ से करेगा और हम उसे रोक नहीं सकेंगे।

श्रीमन्, मेरे सामने कुछ ऐसी भी बातें हैं। चार साल पहले इसी लखनऊ के कैसरबाग थाने में एक हरिजन नाबालिग लड़का चोरी के अपराध में गिरफ्तार हो गया। उसके पिता ने मुझ से कहा कि आप चल कर सिफारिश कर दीजिये, मेरा नाबालिग लड़का बे कसूर है। मैंने जा कर देखा, वह बन्द था। उसकी कोई ११ साल की अवस्था थी। जब मैंने सारी बातें उस लड़के के पिता के सामने बतलायीं तो वहां के थाना इंचार्ज ने कहा कि वह सब-इंसपेक्टर जिन्होंने पकड़ा है, इस समय मौजूद नहीं हैं। लेकिन अगर यह बात सही है तो आप बेफिक्र रहें यह लड़का छूट जायगा। मैंने उसके बाप से कहा कि आप कल आ जाना। मुझे तो जाना है हरदोई। दूसरे दिन हुआ क्या? वह एक वकील के चक्कर में पड़ गया और मुझे उसका पता नहीं चला, लेकिन दो साल बाद जब मैं हरदोई पद-यात्रा के सिलसिले में गया तो वह मिला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा लड़का कहां गया तो उसने बताया कि जिस समय आपने दरोगा जी से कहा कि कल छुड़ा दिया जायगा तो एक वकील के दलाल ने मुझ से कहा कि वाल्मीकि जी ने कुछ दरोगा जी को दिलाया है? उसने कहा कि मैंने उनको पान दिया था, वह तक नहीं खाया और न दरोगा को कुछ दिलाया। उसने कहा कि तुम बड़े बेवकूफ हो। जब उन्होंने कुछ दिलाया नहीं तो क्या काम कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं तुमको वकील साहब के पास ले चलता हूं और तुम्हारा लड़का छुड़वा दूंगा। उसने उसके ढाई सौ रुपया खर्च करवा दिये, इसलिये बगैर रिश्वत के हम काम करने की बात करते हैं तो कभी-कभी हमारा भी विश्वास नहीं किया जाता है। जब रिश्वत लेने वाला पाप करता है तो देने वाला भी महापाप करता है। इसलिये दोनों तरफ से यह चीज बन्द होनी चाहिये।

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के सामने एक बात मैं भी कह दूं। हमारी बिरादरी का एक आदमी है सम्मन नाम का, जिसकी उम्र ८० वर्ष की है। वह नजीबाबाद, बिजनौर का है। उसको गलत तौर से वहां की पुलिस द्वारा फांस लिया गया। वह बेकसूर है, पर थाने में उसके ऊपर हाथ रखकर पहचनवाया गया। वह वाल्मीकि है और इतना बीमार है कि शायद मर जाय। मैं कटोन्मेंट में रहता हूं और वहां के थाना इंचार्ज व सब-इंस्पेक्टर का नाम तक नहीं जानता हूं, लेकिन जब कभी मुझे वहां जाने का मौका मिलता है तो वह लोग बड़े सम्मान से बातचीत करते हैं और उनके व्यवहार के प्रति मुझे कोई शिकायत जनता में भी नहीं मिली है। इसी तरह से कैसरबाग कोतवाली में मैं एक दिन गया। वहां कोई मुसलमान सब-इंस्पेक्टर थे। मैंने नहीं बताया कि मैं विधान सभा का सदस्य हूं। मैंने वहां निर्भयसिंह जी के लिये पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बताइये कि क्या काम है, मैं कुछ सेवा कर सकता हूं? इस तरह से पुलिस में अच्छे अधिकारी भी हैं और खराब भी होंगे। एक हरिजन सब-इंस्पेक्टर हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि वह भूखों रह कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है और अपने वेतन से वह घर का काम नहीं चला पाता है, पर रिश्वत नहीं लेता। इस तरह के लोग भी हैं कि जब वह चार्ज लेकर किसी थाने में पहुंच जाते हैं और ३-४ महीने हो जाने पर १०९ का केस नहीं दे पाते तो. . .

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किल्लते वक्त मेरे दरमियान सद्दे राह है और वाकयात व खयालात के तूफानी दरिया नुत्क की वादी में नहीं बहा करते, ताहम मैं कोशिश करूंगा कि सरकारी नीति के बारे में जो खयालात रखता हूं वह पेश करूं। हालांकि मेरी मुश्किल मंत्री महोदय ने बहुत कम कर दी है जब कि उन्होंने ग्रांट पेश करते। वक्त यह फरमाया कि यह तो एक जाब्ते की ग्रांट है। तो इसके मानी यही हैं कि हर साल वही बातें इसमें दोहराई तेहराई जाती रहती हैं और वही कायम रहनी चाहिये। खैर, ठीक है। हर एक का खयाल एक नहीं। कोई कंजरवेटिव खयाल का है, कोई समझता है कि उनमें तब्दीली होनी चाहिये। उनका यह खयाल उनके लिये मुबारक हो, लेकिन उनके इस खयाल से हर एक आदमी इत्तफाक करने से कासिर है। चुनान्चे मैं भी उनमें से एक हूं।

सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि इस मुहकमे पर हैवी और टापहैवी एक्सपेंडीचर है। हैवी एक्सपेंडीचर मैंने इसलिये कहा कि गैर-मुमालिक की सरकार के जमाने में और उसके बाद भी इस मुहकमे पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च होता था। लेकिन अब चन्द सालों से बढ़ कर यह खर्चा साढ़े नौ करोड़ हो गया है। गुजिश्ता चन्द सालों में सवा नौ करोड़ था, लेकिन इस साल करीब साढ़े नौ करोड़ है। जिस जमाने में डेढ़ करोड़ का बजट था तो उस जमाने में हमारे सूबे की आबादी ६ करोड़ थी। आज आबादी साढ़े ६ करोड़ के हैं। आबादी में सिर्फ ५० लाख का इजाफा हुआ है लेकिन हमारी पुलिस के बजट में करोड़ों का फर्क पड़ गया है। तो ऐसी हालत में हम जरूर यह समझते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हिफाजत हासिल होगी। मौजूदा सरकार, जो पापुलर गवर्नमेंट है और हमारी वेलफेयर स्टेट है, उसका फर्ज भी यही है कि वह हमारी हिफाजत मुकम्मल तौर से करे।

साथ ही साथ जो मैंने कहा कि टाप हैवी एक्सपेंडीचर है, उससे मेरी गरज यह है कि तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी है उसको हमारी सरकार अब तक खत्म करने में नाकामयाब रही। एक चौकीदार की तनख्वाह ५ रुपये है तो डी० आई० जी० और आई० जी० के भत्ते और तनख्वाहें हजारहा रुपये माहवार हैं, लिहाजा मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिये इससे बड़ा लांछन नहीं हो सकता और इससे ज्यादा गलत पालिसी भी किसी सरकार की नहीं हो सकती। इस डिस्पैरिटी को खत्म कीजिये। चूंकि आपके हाथ में खजाने की कुंजी है, आपके हाथ में कलम है और आपके साथ में मैजारिटी है इसलिये आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते तो मैं समझता हूं कि आप अपने फरायज को अंजाम देने से कासिर रहते हैं।

मैं एक बात का और जिक्र करूं। यह तो इस सदन में हर गोशे से आवाज निकली कि करप्शन इन्तहा पर है और उसके सिलसिले में बहुत सी बातें तफसील से कही गयीं। उनको दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। वह तो छिपी बात नहीं है। हम कोई विदेशी नहीं हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि पर्दे में रहते हों। जब दरहकीकत ऐसी हालत है और उसका अहसास है तो उसके खत्म करने के जरायों पर अमल करने में क्या रुकावट है? सरकार ने ऐसे मुहकमे जरूर कायम किये जैसे ऐंटी-करप्शन। तो क्या दरहकीकत इस मुहकमे ने कोई काम किया? अगर किया है तो उसका नतीजा कहां है? तो क्या यह खर्चा पब्लिक फंड पर जायज है? मेरी राय में तो यह चीज बेकार है। साथ ही साथ जब जरायम का इनकशाफ नहीं होता तो सी० आई० डी० का मुहकमा भी बेकार सी ही मद है। इन दो मुहकमों पर ऐसी सूरत में खर्च करना, मैं समझता हूं कि सरकार की फिजूलखर्ची है। जहां तक जरायम का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जरायम बढ़े हैं। मुमकिन है छोटे जरायम में कमी हुई हो, लेकिन संगीन जरायम, डकैती कत्ल और बलवे, इनमें इजाफा हो गया है।

अभी इस सदन में कहीं डकैती का जिक्र किया गया, तो कहीं कत्ल का जिक्र किया गया। तो इसके साफ माने यह है कि हमारी पुलिस का मुहकमा नाकारह हो चुका है। छोटे जुर्म से लोगों की तवज्जह हटी और अब बड़े-बड़े जरायम करने की हिम्मत हो गयी। मैं समझता हूं, यह एक बड़ी खौफनाक और चिन्ताजनक हालत है। इस पर हमें या आपको आंखें नहीं बन्द कर लेनी चाहिये। जहां तक जरायम के इंदराज का सवाल है, असलियत यह है कि बड़े-बड़े जुर्म एक मामूली तरीके से खफीफ बना दिये जाते हैं। जो इत्तिला करने के लिये आता है, न उसकी जबान होती है, न उसके वाकियात होते हैं, बल्कि लिखने वाला जिस तरह से चाहता है लिख देता है और वह थाने में ही लिखे जाते हैं, इसलिये कुछ जुर्मों में तखफीफ नजर आती है।

अब आखिर में एक बात और कहूंगा और वह यह है कि हमारे मुल्क में पुलिस का क्या इस्तेमाल है जो हमारी सरकार कर रही है? जब कभी मिनिस्टर साहबान में से या और कोई ऐसी मुअज्जिज हस्ती दौरे पर जाती है यह पुलिस टिड्डी दल की तरह खड़ी हो जाती है, या उनके बंगलों पर रहती है। शान और हिफाजत पुलिस का पहला फर्ज है या जहां कहीं लोग अपने मतालबों की आवाज उठावें वहां लाठी चार्ज या गोली चलाकर उनकी जबान-बन्दी करे, यह दूसरा फर्ज है। अभी ऐसे ही लखनऊ और कानपुर में नाखुशगवार वाकयात हुए जो सब को मालूम हैं। काबिल नफरत व अफसोस! मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि इस तरह का पुलिस का इस्तेमाल गवर्नमेंट के लिये शान शायां नहीं। अहिंसा का नाम बार-बार लिया जाता है। अहिंसा की मूर्ति तो एक थी और वह अहिंसा अपने साथ से ले गयी और इस मुल्क में अब अहिंसा का जिक्र करना, मैं समझता हूं कि इस नाम पर जिसकी तस्वीर सामने लगी है तिजारत करना है। तजवीज मैं क्या पेश करूं? मैं तो यही कहूंगा कि पब्लिक के दुख और दर्द का नक्शा इस मिसरे में पेश करता हूं---

तकलीद मेरे दीदए तर की अगर करे,
करले तमाम बहर को जेरे नगी हुबाब।

यह हालत अवाम की है। जाइये, देखिये, मालूम कीजिये। बड़ी तनख्वाहों और छोटी तनख्वाहों के फर्क को इनसाफ पर लायें। फेवर, डिस्फेवर, लाइकिंग, डिस्लाइकिंग और डिसपैरिटी को खत्म कीजिये, डिसिप्लिन लाइये।

चैरिटी बिगिन्स ऐट होम, फिजिशियन हील दाइसेल्फ।'

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो गृह मंत्री महोदय ने अनुदान पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। कल से इस पुलिस अनुदान पर बहस हो रही है। दोनों तरफ से मुखतलिफ खयालात पेश हुए और करीब-करीब सब ने पुलिस में करप्शन का इजहार किया। लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि इसकी वजह क्या है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

जो जड़ है करप्शन की उसको खत्म करना है और मैं समझता हूं कि करप्शन पुलिस में ही नहीं, हमारे दूसरे मुहकमों में भी है और आम जनता में भी है और हम में भी हो सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि सोसाइटी का स्तर ठीक हो हिन्दुस्तान में।

सन् १९४७ में एक इन्क्लाबी बाकया हुआ। इस देश में शाहन्शाहियत हुकूमत थी और एकदम डेमोक्रेसी आयी। तब्दीली हुई और उसमें हमने देखा कि जमींदारी गायब हुई, राजे महाराजे गायब हुए, लोगों के दिलोदिमाग पर असर हुआ और हर एक ने यह समझा कि हम आजाद हैं और ठीक हैं। आजादी आयी, डेमोक्रेसी आयी। लेकिन इसके साथ ही साथ देश की, चाहे जनता हो, चाहे कोई हो, उसमें डिसिप्लिन की भावना न थी और यह तो जरूर है कि जहां डिसिप्लिन नहीं, वहां काम खराब होता है और ऐसे लोग सोसाइटी में होते हैं जो मौका महल देखकर दूसरे जो कमजोर हैं उनको खा जाने की सोचते हैं, और यही वजह है कि डाके, राहजनी और इस तरह की बातें होती हैं। तो ऐसे लोग उस सोसाइटी में से उठ खड़े हुए जिन्होंने सोचा कि अब आजादी है और उन्होंने इस तरह के काम करने शुरू किये। जब डेमोक्रेसी इस देश में आयी तो जरूरी है कि हुकूमत का काम बढ़े और उसके साथ-साथ आबादी भी बढ़ी। आबादी के बढ़ने की वजह से और इस डेमोक्रेसी की वजह से पुलिस विभाग भी बढ़ा और ज्यों-ज्यों आबादी किसी देश की बढ़ती है उसका पुलिस विभाग भी बढ़ता चला जायगा, क्योंकि पुलिस ला ऐंड आर्डर को मेंटेन करती है, अमन कायम करने के लिये होती है। इस वास्ते पुलिस का विभाग बढ़ने की आवश्यकता होती है। हमारा सूबा एक बड़ा सूबा है और इसकी आबादी के बढ़ने के लिहाज से पुलिस विभाग भी बढ़ा और उसकी कई शाखायें बढ़ीं और खर्च भी बढ़ा, जैसा कि गृह मंत्री ने अपनी तकरीर में बताया था, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता।

अब सवाल यह है कि आप जो हमारे सामने विरोधी दल में बैठते हैं और हम लोग, हमारी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम सोसायटी के एक आला तबके के आदमी समझे जाते हैं। लोगों ने आपको चुना तो आला समझ के ही तो चुना। अगर हमारा स्तर ठीक है और हम लोगों पर अपनी जिन्दगी का असर डाल सकते हैं तो मेरे खयाल में बहुत बड़ा असर हुकूमत पर पड़ता है और लोगों के ऊपर पड़ता है। अभी विरोधी दल वालों ने यह कहा कि कांग्रेस वाले पुलिस वालों पर रोब डालकर अपना काम कराते हैं और यह भी कहा कि पुलिस का शासन, ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। तो मैं इनसे पूछता हूं कि आप कितनी मदद करते हैं इसमें? जब खाद्य का मसला उठा तो हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने कहा कि भाई, घेरा डालो। अब आप समझिये कि घेरा डालने का क्या मतलब है? किसी ने कहा गोदाम लूटो, किसी ने कहा कुछ करो। तो पुलिस जो है उसको इन्तजाम करना पड़ता है। उस पर आप कहते हैं कि उन्होंने जबर्दस्ती हम पर की। कहीं जाकर स्टूडेन्ट्स को उभार देते हैं जिनका पुलिस को सामना करना पड़ता है। अगर अच्छी बातों को लेकर सोसाइटी के ऊपर असर पैदा करें तो मेरे खयाल में ऐसी बातें नहीं होंगी।

कल हमारे जनसंघ के यादवेन्द्रदत्त जी दुबे ने एक रिमार्क मिशनरीज के ऊपर कसा और उनके ऊपर उन्होंने एक लांछन लगाया। इस तरह से किसी की गैरहाजिरी में कहना कहां तक सही है कि पुलिस उस तरफ खयाल नहीं करती। मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसी कार्यवाही होगी तो पुलिस छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं दुबे जी से कहना चाहता हूं कि जनसंघ के हिमायती लोगों ने पाकिस्तान को ऐसी ऐसी चीजें सप्लाई कीं कि जिससे वहां पर जाकर बम बने और दूसरी इसी तरह की बातें हुईं। फिर आप इस तरह से कैसे दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं– हालांकि वह इस जुर्म के मुर्तकिब नहीं थे– जिस तरह से उनके ऊपर रिमार्क कसे गये? हम जानते हैं कि मिशनरीज यहां पर क्या काम करते हैं अस्पतालों के जरिये या अपने एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के जरिये। इस तरह की इर्रेस्पांसिबिल टाक यहां पर नहीं होनी चाहिये। यह जगह इस तरह की इर्रेस्पांसिबिल बातों को कहने के लिये नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष---आपने दो बार इस 'इर्रेस्पांसिबिल' शब्द को इस्तेमाल किया है। इसको वापस लीजिये।

श्री एस० जी० दत्त---मैं इसको वापस लेता हूं। इस तरह के इन्सिनुएटिंग रिमार्क्स यहां पर पास नहीं होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि मुतवातिर एक साल तक उठने बैठने के बाद आज मुझे यह समय मिला है।

आज दो दिन से जो यह अनुदान पर बहस चल रही है, यह हमारे प्रान्त के लिये एक बहुत महत्व का विषय है। इस अनुदान पर चलने वाली बहस के सिलसिले में जिन जिन माननीय सदस्यों के भाषण हुए हैं उन भाषणों को सुनकर तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक दूसरे की बातों को काटने के अलावा और कोई दूसरी बात समझ में नहीं आयी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि मंत्री जी ने जो पुस्तिका हाउस के सामने रखी है उस पुस्तिका के अन्दर जो यह जरायम बढ़ने और घटने की फेहरिस्त रखी है उसका क्या कारण है ? इस बात को शायद मंत्री जी नहीं जानते होंगे कि यह क्यों घटे और बढ़े। उसको मैं आपको द्वारा मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं। आज जो जरायम देश में बढ़ते चले जा रहे हैं उसका मुख्य कारण पुलिस ही है। पुलिस ही मुख्य कारण इस गरज से है कि आप जानते हैं कि देहात के अन्दर ९० फीसदी लोग रहते हैं। जिन लोगों के यहां चोरी और डकैती होती है वे थाने पर रिपोर्ट लिखाने के लिये जब पहुंचते हैं। तो जो अफसर वहां पर बैठे रहते हैं, जिनको हमारे यहां देहात में मलिकुल मौत कहते हैं और यहां पर हेड कांस्टेबिल कहते हैं, वे उनके ऊपर डांट फटकार करते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि वह रिपोर्ट डकैती के बजाय चोरी की लिखी जाती है और कभी कभी लिखी भी नहीं जाती है।

मैंने अपने इलाके में जहां से मैं चुनकर आया हूं, सीतापुर जिले में थाना पिसावां के अन्दर जाकर देखा है कि सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक अधिकांश डकैती चोरी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गयीं। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन घटनास्थल पर जब मैं गया, बात सही मिली। मैं आपको बताऊं कि वहां पर १२ डकैती पड़ीं। जब मैंने वहां जाकर पता लगाया कि रिपोर्ट लिखी गयी है या नहीं तो मालूम हुआ कि एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है और जिन लोगों के घर पर डकैती पड़ी थी उनके घर पर स्वयं दारोगा ने जाकर कहा कि तुम रिपोर्ट लिखाओगे तो तुम्हारा समय बरबाद होगा और तुम्हारे यहां बैकड़ों आदमी आकर खायेंगे, हम लोग रुकेंगे, सब लोग खायेंगे, उसमें खर्चा होगा, तुम्हारी एक डकैती पड़ चुकी है, दूसरी हम लोगों के द्वारा पड़ेगी, तुम उस डकैती को न लिखाओ, खामोश होकर बैठ जाओ। जिस आदमी के घर में डकैती पड़ती है उस आदमी के हाथ पैर पकड़ कर आग जला कर सेका जाता है और फिर उसकी डाक्टरी भी नहीं करायी जाती है।

जरायम बढ़ने का कारण एक यह भी है कि असलियत पर पर्दा डाला जाता है। इसके अलावा डकैती करने वाले क्यों बढ़ रहे हैं ? आप जानते हैं कि जिस इलाके में डकैती पड़ती है उस इलाके में बदमाश पकड़े नहीं जाते हैं। रिपोर्ट लिखने के समय पर उससे कहा जाता है कि फलां-फलां आदमी का नाम लिखा दो और वह पुलिस के कहने के ऊपर लिखा देता है। पुलिस अपनी मर्जी के मुताबिक मालदार आदमियों के नाम लिखा देती है। तब निर्दोष आदमी पकड़े जाते हैं। नतीजा उसका यह होता है कि जब उस आदमी को कैद हो जाती है और वहां पर आजन्म कैदियों के साथ रहता है तो वहां से शातिर बदमाश बनकर निकलता है। जब वह जेल से बाहर आता है तो उसकी हिस्ट्रीशीट खोल दी जाती है, उसका नाम जरा जरा सी बात पर लगा दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उसको पीछा छुड़ाने के लिये पैसा देना पड़ता

[श्री मूलचन्द]

है। जब घर में देने के लिये पैसा नहीं होता तो चोरी डकैती द्वारा ही उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री जी को उन बातों पर अमल करना चाहिये जिनसे चोरी, डकैती, बदमाशी और अपराध घट सकते हैं।

इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब से यू० पी० के अन्दर कांग्रेस राज्य कायम हुआ है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। सरकार की तरफ से हर जिले के अन्दर भ्रष्टाचार निरोधक कमेटियां कायम की गयीं हैं। मैं तो कहूंगा कि वह भ्रष्टाचार निरोधक कमेटियां न होकर भ्रष्टाचार बढ़ोत्तरी कमेटियां हैं। आज उनके अन्दर ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के लोग ही भरे हुये हैं। जब उनके सामने कोई दरख्वास्त आती है, अगर कोई आदमी अपनी गुजारिश को लेकर जाता है तो मैं तो यह समझता हूं, अगर इसमें सदन के अपमान का सवाल न उठे, कि उसमें हिस्सेदारी की बात की जाती है।

*श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। किन्तु मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि जब १२ मिनट समय दिया जा रहा था, मैं उस समय से उम्मीदवार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपको १० मिनट का समय दे दिया जायगा।

श्रीमती चन्द्रावती—मान्यवर, यह जो प्रस्तुत अनुदान माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, जिसका ९ करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं तथा उसका समर्थन करते हुये यह कहना ठीक समझती हूं कि अगर इस विभाग का बजट और अधिक होता तो उसमें कोई खेद की बात न होती। यह सही है, मैंने जितने भी भाषण सुने, उनके ऊपर जो आरोप लगाये गये वह मैं बिल्कुल सही मानती हूं। इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अपराधों की संख्या, हत्याओं की संख्या, बलात्कारों की संख्या यानी जितने भी इस विभाग द्वारा कार्य होते हैं उनकी संख्या घटी नहीं है वरन् बढ़ी है। यह भी सही है कि अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था ही चली जा रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। होना तो यह चाहिये था कि जब अंग्रेजों का शासन बदला तभी इसमें आमूल परिवर्तन होना था, लेकिन यह नहीं किया गया और उसी का नतीजा हम आज यह देखते हैं कि जैसी मशीन पहले चल रही थी वही आज भी चल रही है। "पुलिस" जो नाम दिया गया है वह अंग्रेजी जमाने का ही है। आज तो इसके बदले उसका नाम जन-रक्षण विभाग होना चाहिये था। जहां ये जन-रक्षण करते हैं वहां लोग कहते हैं कि पुलिस जो है यह जन-सेवक है। लेकिन अगर मैं इस बात को कहूं कि यह विभाग जन-रक्षण नहीं बल्कि जन-भक्षण का विभाग है तो कोई गलत न होगा।

यदि कोई बात यहां आकर, या किसी घटना का उल्लेख हम करते हैं जो सही है तो उसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ एक आरोप के माने में उस पर विवाद करने के लिये खड़े हुये हैं। मैं यहां पर अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती हूं, जिले के स्तर पर भी नहीं जाना चाहती। जहां पर राज्य शासन की बागडोर है, उसी प्रमुख स्थान लखनऊ शहर का जिक्र मैं करना चाहती हूं। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा मेरे एक प्रश्न का उत्तर जो दिया गया था वह सदन को याद दिलाना अनुचित न होगा। मैंने प्रश्न किया था कि महिलाओं का जो पुलिस विभाग था उसे क्यों तोड़ दिया गया, तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था उस पर मुझे आश्चर्य तो नहीं हुआ लेकिन खेद अवश्य हुआ कि उन्होंने एक बात कह कर इस पवित्र सदन को एक हास्यास्पद स्थल बना दिया कि औरतों के झगड़े की वजह से उसे तोड़ दिया गया। अगर कोई बात पूछी जाय और इतने जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हंसी और मजाक में उसका उत्तर दिया जाय, इसे मैं ठीक नहीं समझती हूं। महिला विभाग द्वारा जितने काम किये गये अगर उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाय तो हम आज इस बात को सही-सही समझ सकते हैं कि आज उनके न होने की वजह से ही आये दिन बलात्कार और लड़कियों के भगाने आदि के कार्य चालू हो गये हैं। मान्यवर, अभी कुछ दिन हुये महिला कालेज की एक छात्रा, उमेश राठौर, जिसका केस मैं समझती हूं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, ३ दिन के अन्दर ही हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा उसका पता लगवाया गया जबकि वह काफी दिनों से गुम थी। ऐसी संस्थायें यहां पर स्थापित हैं जिनका व्यापार ही इस किस्म का होता है।

मैं सोचती हूं कि जिले के स्तर की बात तो जाने दी जाय, आप एक प्रमुख शहर में रहते हुये भी वहां की व्यवस्था ठीक नहीं कर सके हैं तो इसका दोष किस पर आता है? आज यह कहना कि हमारे जनसेवक, यानी पुलिस, की कार्य व्यवस्था बहुत अच्छी है और वह बहुत अच्छे रूप से कार्य कर रही है, बिल्कुल गलत है। मैं अपना एक निजी अनुभव बतलाती हूं कि मैंने एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा जिसमें मैंने शिकायत की थी जो अमीनाबाद में पुलिस द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। जब मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखायी तो हेड कांस्टेबिल ने मुझको नहीं पहचाना कि मैं एम० एल० ए० हूं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनके ड्रेस से तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये एम०एल०ए० हैं लेकिन हम सदस्यायें चूंकि साड़ी पहनती हैं इसलिये बिना बतलाये हुये उनको अपना परिचय नहीं दे पातीं कि हम एम० एल० ए० हैं। लिहाजा डरने की कोई बात नहीं। मैंने अपना परिचय नहीं बताया और जो उसने व्यवहार किया, उससे मैं दंग रह गई। उसने रिपोर्ट लिखने के लिये इतना व्यंगात्मक व्यवहार किया कि जिसको मुझे जहर की तरह पीना पड़ा। आखिर में मैं रिपोर्ट लिख कर ले गई और जब एम० एल० ए० की पूंछ उसमें लिखी हुई मिली तो उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन मिला।

एक और अनुभव बताती हूं। यहां अभी कुछ दिन हुये, माननीय हार्डिकर आये हुये थे। उनका लेक्चर सुनने मैं गई हुई थी। वहां बारिश हो रही थी। करीब ९ बजे का समय था। जब मैं रिक्शे पर बैठकर चलने लगी तो बारिश की वजह से मैंने आगे का पर्दा डाल लिया था। वह मुझे रकाबगंज ले गया और उस दिन मैं यहां से अपने बिल का करीब ९०० रु० भी ले गई थी, उसने वहां जाकर बड़े जोर के साथ चिल्लाना शुरू किया। मैंने कहा कौन-सा स्थान है तो उसने अजीब तरह से कहा कि उतरिये। मैंने उससे कहा कि मुझको तो हुसेनगंज जाना था, यह तो रकाबगंज है। उसने ऐसी बातें कीं जिसके परिणामस्वरूप ४, ५ आदमी इकट्ठे हो गये जो मुझे गुन्डे ही लगते थे। ऐसा वातावरण देख कर मैं ड्यूटी पर खड़े पुलिस वाले के पास गई और उससे कहा कि भाई देखो यह रिक्शावाला इस तरह का काम कर रहा है और मुझे फलां जगह जाना था। तो उस जन-सेवक ने मेरे इतना कहने पर, एक स्त्री होने के नाते कुछ लिहाज न करके, बल्कि रिक्शावाले का सहायक बना और उसने कहा कि क्या रिक्शा वाला झूठ बोल सकता है? आपने ऐसा ही कहा होगा। मैंने सोचा, आज तो बड़े चक्कर में पड़ गई, मैं तो रकाबगंज का नाम भी नहीं जानती हूं। मुझे उसी वातावरण का संदेह हुआ। तब मैंने दूसरे कांस्टेबिल से जो वहां आया उससे कहा, वह भी उसी गिरोह में शामिल हो गया। इतने में जनता के एक भले सज्जन ने मुझसे पूछा कि बहन जी आपको कहां जाना है? मैंने बताया कि हुसेनगंज जाना था और इस तरह का मामला है। उसने थोड़ा भाग लिया और उसके बाद पुलिस का सिपाही जो मेरे पास आकर खड़ा हुआ, पूछने लगा कि आप कहां जायेंगी। मैंने कहा कि बता तो दिया कि कहां जाऊंगी। इसी बीच में मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि आप जरा अपनी पेटी का नम्बर बता दें। बस इतना कहना था कि उसने रिक्शा वाले से तुरन्त कहा कि इनको छोड़ आओ।

ऐसी घटनायें रात दिन होती हैं। औरतों के भगाने में, रेप के मामले में पुलिस का हाथ पूरी तरह से होता है। भोली-भाली जनता को फंसा कर लूटने का इनको तरीका मालूम है। गुन्डों को इस तरह से पालते हैं जैसे मक्खियों को शहद के लिये पाला जाता है। इस तरह से जनता की रक्षा की ऐसी व्यवस्था बन गई है कि पुलिस जनता की रक्षक नहीं, भक्षक हो गई है। जिलों में देखिये, शहरों में देखिये कितनी अशांति कितनी डकैतियां, चोरियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और उधर उनकी घूस का बाजार बढ़ता जा रहा है।

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि यह सही है कि जैसा मेरे किसी भाई ने कहा कि यहां इनकी तनख्वाह कम है, मैं मानती हूं कि बहुत कम है, इनसान का पेट भर दें फिर काम लेना

[श्रीमती चन्द्रावती]

चाहिये और थोड़े से वही नैक्स पेयर का रुपया जो इनके पेट का काट कर फिर ७,८ गुना देना पड़ता है तो क्या उचित नहीं है कि उनके वेतन-क्रम में वृद्धि की जाय और इनसे काम ज्यादा सख्ती से लिया जाय जो उनका दायित्व है ? आज हमारे सामने बहुत-सी चीजें ऐसी हैं, अभी का जिक्र बताऊं । मैं बाहर गई हुई थी, मेरे जिले बिजनौर का जिक्र है । एक डिप्टी साहब जो कैम्पिंग कर रहे थे जलीलपुर में, अभी दो-तीन दिन हुये, उनके सामने एक आदमी का पेट फाड़ दिया गया और निर्मम हत्या कर दी गई । दिन दहाड़े ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, तो क्या हम मानने से इंकार कर दें ? मैं समझती हूं कि यह अनुचित होगा । जो सत्य है वह सत्य है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के बुनियादी कार्य के विषय मे मौजूदा सरकार का जो विचार पहले था वही आज भी है । पुलिस के मौजूदा ढांचे का सृजन अंग्रेजों ने किया और उनका अपना खास मतलब था एक विशेष प्रकार के पुलिस ढांचे को बनाने का । मुझे बहुत दुख है इस बात के कहने का कि मौजूदा सरकार ने पिछले बारह वर्षों के अन्दर भी यह जरूरत नहीं समझी कि पुलिस के ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाय जबकि उद्देश्यों में एक के बाद दूसरे परिवर्तन हो गये । आज तो समाजवादी उद्देश्य की घोषणा के बाद निहायत ही जरूरी हो गया है कि इस ढांचे में परिवर्तन किया जाय, पुलिस की जरूरत पहले भी थी, आज भी है और जब तक राज्य रहेगा, रहेगी । पुलिस, फौज, कचेहरी और जेल-एक स्टेट के चार खंभों में यह प्रमुख खंभा है, लेकिन उसके ढांचे में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुआ करता है । मुझे फिर यह कहना पड़ता है कि इस सरकार ने उधर कोई भी ध्यान नहीं दिया है । मैं चाहूंगा कि आज यह निहायत जरूरी है कि एक हाई पावर कमीशन इस बात के लिये तैनात किया जाय कि पुलिस के ढांचे एवं नियम उपनियमों में जितना जरूरी परिवर्तन संभव हो किया जाय । यह भी साफ हो चुका है कि दुनिया की और देश की हालत अगर यही रहेगी तो हिन्दुस्तान में कोई ब्लडी रिवोल्यूशन नहीं होगा । कोई परिवर्तन हो गया दुनिया में तो बात दूसरी है । कोई भी पार्टी वहां बैठेगी, उसको इसी ढांचे से काम लेना पड़ेगा । और पुलिस के ढांचे का, पुलिस के एक-एक आदमी का और अधिकारी का अगर यही बुनियादी रवैया बना रहा कि जो लोग पावर में हो उनकी हां में हां करो और उनका साथ दो, और जो विरोधी हों उनको पीटो, तो कल यह डंडे पड़ सकते हैं इनके ऊपर जो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि पुलिस के कोड में परिवर्तन किया जाय हाई पावर कमीशन की जांच के बाद जब यह बात दिखाई पड़ रही है कि आज यह पार्टी सरकार में है और कल कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, और एक प्रदेश में आ गई है और सन् ६२ में अन्य प्रदेशों में आयेगी तो ऐसी हालत में बहुत जरूरी है कि इसमें परिवर्तन किया जाय । हम चाहेंगे कि उस हाई पावर कमीशन में इस हाउस के भी मेम्बर रहें ।

पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में और उसके बहुत से कामों के बारे में हमारी बहिन जी ने बताया है । उस पर मैं कुछ नहीं कहता । मेरा अपना विश्वास होता जा रहा है कि यह सरकार और इसके उच्च अधिकारी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं चाहते अथवा कर नहीं सकते । मेरा विश्वास हो गया है, एक मोटी सी बात मैं पेश करता हूं । आपको भी निजी अनुभव होगा । एक थानेदार, एक कप्तान के अखराजात को मोटे तौर पर देखा जाय और उसकी आमदनी देखी जाय । कहां से आता है यह मार्जिन ? एक मोटी अक्ल का आदमी भी मार्क कर सकता है । उसके लिये क्या उपाय किया गया ? केवल एक विभाग बना दिया जो खुद फंस गया भ्रष्टाचार में । चोर की चोरी का पता लगाया जाय और चोरों के गिरोह को जिम्मेदारी दी जाय कि तुम जांच करो । पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार की अगर जांच करना जरूरी है तो मेरी मांग है कि गैर-पुलिस अधिकारी की नियुक्ति जिलों में की जाय । एक डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड का आदमी दिया जाय और उसके नीचे स्टाफ भी हो । वह जांच करे तो कुछ रोकथाम होगी । मेरा विश्वास है कि अगर यह सरकार, अधिक नहीं तो दो-चार जिलों में ही एक्सपेरीमेंट के रूप में ऐसा करे तो उसका

नतीजा उसके सामने आ सकता है। जो कुछ आज हालत चल रही है उसके परिणाम तो उसके सामने हैं ही और इस सुझाव के अनुसार काम करके भी देख लिया जाय और यदि वे लाभकर हों तो सब जगह अमल में उनको लाया जाय।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं मानता कि पुलिस विभाग के सभी आदमी खराब हैं, ऊपर से नीचे तक। विभाग में भले और अच्छे सब तरह के लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने स्वतंत्र भारत की बदली हुई स्थिति में अपने को ऐडजस्ट किया है, अपने को अकोमोडेट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनकी खूनी आदतें आज भी हैं, जिन के मुंह से खूनी लारें आज भी टपकती है और खासतौर पर उस मौके पर जब उन्हें विरोधी पार्टियों पर डंडा चलाने का मौका मिलता है। चाहे आजमगढ़ में २ सितम्बर के लाठी चार्ज की बात हो, चाहे गोरखपुर में फरेंदा की लाठी चार्ज की बात हो या फैजाबाद चौक की लाठी वर्षा की हो, वहां पुलिस द्वारा हर प्रकार का जुल्म किया गया है। जिस जगह भी विरोधियों को पीटने की बात आती है तो उनके वह दिल उभरते हैं, वह डंडे चलते हैं, वह करामातें दिखाई जाती हैं जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, चोर बाजारों को पकड़ने के लिये, समाज के द्रोही गल्ला चोरों को पकड़ने की जब बात होती है तो उनकी वह सारी करामात और खूबी गायब हो जाती है।

श्रीमन्, आप को भी अनुभव होगा, आप भी उसी पार्टी से आये हैं जिससे हम आये हैं और एक जमाना था जब हम व आप बम और पिस्तौल लेकर चलते थे और किस तरह से पुलिस वाले हमारे तमाम षड़यंत्रों का पता मिनटों में लगा लेते थे। वह पुलिस अब कहां चली गई? मैंने यह बात एक बार एक पुलिस के सी० आई० डी० के अफसर से पूछी। उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने पूछा कि आप की वह खूबी कहां चली गयी, वह करामात क्या हुई। उन्होंने कहा कि अब कोई इनाम तो मिलता नहीं अब तो देश भक्ति के नाम पर प्रचार होता है, हम किसी को पकड़ भी लें और कोई किसी का रिश्तेदार निकल आये और सिफारिश हो जाय तो इतना बड़ा जूता सिर पर पड़े कि सब छानबीन रखी रह जाय। ये उसके शब्द हैं। मैंने यह सुना तो मैं दंग रह गया। मैं चाहता हूं कि इन चीजों को माननीय मंत्री जी नोट कर लें। मैं सदन के माननीय सदस्यों को बताऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री बी० टी० रणदिवे के काल में एक कम्युनिस्ट के पीछे एक सी० आई० डी० अफसर की ड्यूटी लगाई गई, वह कहीं गये थे वहां से वापस लौट रहे थे। रात का वक्त था, जब उसकी ड्यूटी लगी थी। वह सी० आई० डी० मुझ से रास्ते में कहीं मिल गये, मैंने उन से पूछा कि कैसे आ गये, उन्होंने बताया कि इस-इस तरह से ड्यूटी लगी थी। कहने लगे कि क्या करें, इनाम तो अब मिलता नहीं, वेतन तो वही मिलेगा, कोई जान तो देनी नहीं है। काम करते हैं, ऊपर कागजी रिपोर्ट चली जाती है, बस हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जरूरत इस बात की है कि अधिकारियों में ऐसी प्रेरणा पैदा की जाय जिससे वे अपने कर्त्तव्य को समझें और उसका पालन करें। मंत्री जी अपने अधिकारियों से बुलाकर पूछें कि उनकी वह लगन वह तत्परता कहां चली गई, जैसे उन पर कोई छाया मार गई हो। मुझे यह भी शिकायत मिली है कि हमारे पुलिस के अफसर या कांस्टेबिल जो डाकुओं आदि की मुठभेड़ में कर्त्तव्यपालन करते मारे जाते हैं सचमुच उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, केवल उनके आश्रितों को कुछ दस पांच रुपये का इनाम मिल जाता है। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। वह कांस्टेबिल या वह अफसर जितनी पेंशन रिटायर होने पर पाता उतनी पेंशन या करीब-करीब उतनी उसके आश्रितों को अवश्य मिलनी चाहिये। जो लोग ठिकाने से ड्यूटी करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये ताकि वह इस प्रदेश के अन्दर सेवा भाव से काम कर सकें और जिससे यह पता लग सके कि हमारी सरकार क्या अन्तर बेईमान और ईमानदार कर्त्तव्यशील लोगों में करती है और क्या अन्तर समाज करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा कदम, कहा जाता है, सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अब 'सोशलिस्टिक पैटर्न' नहीं रह गया है, अब हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज

[श्री झारखंडे राय]

हमारे चौकीदार और कांस्टेबिल की जो हालत है, उसके जो वेतन हैं वे बहुत कम हैं । अब इस बात के माने जाने की जरूरत है कि १,००० रुपये से अधिक वेतन किसी पुलिस अधिकारी का न हो । यह निहायत जरूरी हो गया है कि १०० रुपये से कम किसी का न हो, चाहे मामूली कांस्टेबिल भी हो ।

जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, हम भुक्तभोगी हैं । आज भी कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे पुलिस घूमती है । क्यों ? हम तो रोज जो बात यहां बोलते हैं वही बाहर बोलते हैं । न आर्म्ड इनकलाब की बात बाहर करते हैं, न यहां करते हैं, तो क्यों हमारी स्पीचेज को नोट किया जाता है और पुलिस क्यों हमारे पीछे घूमती है ? मेरे पीछे न घूमती हो, लेकिन थानों में वही रेकार्ड हैं । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि श्री आसिफ अली, जिनका देहान्त हो गया, जब उड़ीसा के गवर्नर थे तब जिस थाने में उनका घर था वहां क्रिमिनल लिस्ट में उनका नाम टंगा हुआ था । जब उनको पता लगा तो बड़ी तहकीकात हुई और तब उनका नाम काटा गया । यह डिपार्टमेंट का तरीका है । चला जा रहा है डर्रा । तो हम चाहते हैं कि इन रुखों में परिवर्तन किया जाय । हम पोलिटिकल आदमी हैं । अगर हमें आर्म्स से लड़ाई करनी होगी तो ऐलानिया करेंगे, लेकिन जब ऐलान कर दिया कि ऐसा करना नहीं है तब हमारी पार्टी की स्पीचेज नोट करना और पार्टी के लोगों का पीछा करना यह एक ऐसी अपमानजनक बात है जो बरदाश्त नहीं हो सकती । मैं मुरादाबाद से आ रहा हूं । उनकी खास शिकायत थी कि दिन रात चौराहे पर, सड़क पर हमारे पीछे पुलिस लगी रहती है, न मालूम क्या बात है । इसकी सफाई सरकार करे । पोलिटिकल पार्टी होने के नाते पोलिटिकल तरीके से वह हमारी चीजों को देखें, सोचें कि हमारा ऐलान क्या है, हमारी प्रैक्टिस क्या है, क्या राजनीति है, कार्य क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है । जब वे समझते हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों की जाती हैं ?

एक शिकायत और है बहुत भारी कि सम्पत्तिजीवी वर्ग से एक खास हमदर्दाना बर्ताव पुलिस का रहता है । अगर एक गरीब की, किसी हरिजन की घटना हो जाय तो उसकी रिपोर्ट अव्वल तो लिखी ही नहीं जायगी, अगर लिखी भी जायगी तो बड़े बे मन से लिखी जायगी, बिगाड़ दी जायगी ताकि मुकदमा कामयाब न हो सके और अगर कोई पैसे वाला आदमी है, पुराना जमींदार है, कोई साहूकार है, अगर वह पूजा न भी करे, हम नहीं कहते कि वह दक्षिणा दे करके, चांदी के सिक्के देकर के लिखाये, तब भी बहुत जल्दी उनकी बात सुनी जाती है । यह तो वेस्टेड इंटेरेस्ट्स के साथ एलाउंस है, इसका खास कारण यह है कि इस विभाग के उच्चाधिकारी अन्य उच्चाधिकारियों की भांति शोषक वर्ग और सम्पत्तिजीवी वर्ग से आये हैं । जब तक शोषित वर्ग के आदमियों को आप पुलिस में नहीं लेंगे तब तक उनमें शोषित वर्ग के प्रति वह हमदर्दी नहीं बनेगी जो उनके लिये अपेक्षित है ।

एक बात और कहूंगा, अपने जिले के बारे में । हमारे जिले में एक कप्तान साहब हैं, छोटे हिटलर और खाद्य आन्दोलन के लाठी चार्ज के बाद मन बढ़ गया है । वह इसलिये कहता हूं कि एक थानेदार हैं, घोसी थाने के जिन्होंने ३ सत्याग्रहियों के जनेऊ तोड़ दिये । इस पर बहुत झगड़ा हुआ और उनसे कहा कि हम इस चीज को ऊंचे अधिकारियों तक ले जायगे । इस पर वह कुछ डर गये, उन्हें स्वयं पश्चात्ताप भी शायद था और कप्तान साहब के पास गये कि हमसे गलती हो गयी, नेताओं से झगड़ा हो जायगा, हमारा तबादला कर दीजिये, हमें तो नौकरी करनी है, यहां नहीं तो वहां रहेंगे । कप्तान ने कहा कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा, हम एम० एल० ए० फेम-एल० ए०, पार्टी-वार्टी कुछ नहीं जानते । उन्हें हम देख लेंगे । इस प्रकार के अधिकारी आज पुलिस में मौजूद हैं । माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, हमारी उनसे अपील है कि हमारे जिले के कप्तान साहब को वहां से हटाइये, नहीं तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, सरकार के ऊपर और विभाग के ऊपर होगी ।

***श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उस समय बोलने का अवसर दिया जब आजमगढ़ के एक सज्जन अभी बोल रहे थे।

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह जो अनुदान आया हुआ है यह बहुत ही न्यून है। यह शिकायत मुझे उससे है। भाषण सुने गये और इन भाषणों को सुनते-सुनते पहले से जो कुछ भी सोचकर आया था वह यहां निकल गया और उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहां किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। जो भाषण हुये उनमें पुलिस नीति के बारे में बहुत कम सुझाव दिये गये। अधिकतर व्यक्तिगत कारणों का ही विशेष रूप से उल्लेख किया गया। श्रीमन्, भारत सम्प्रति प्रयोग काल से गुजर रहा है और इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी प्रयोग सोलहों आने पूर्ण हो गया है। पूर्णतया, बहुत देर के बाद आती है। पुलिस विभाग हो, चाहे और कोई विभाग हो, मैं तो अपने को बड़ा अपूर्ण मानता हूं। तो ऐसी दशा में यह देखना है कि १०–१२ वर्षों के भीतर जो पुलिस विभाग का कार्यक्रम था, उसकी जो गतिविधि थी उस में कुछ अन्तर हुआ या नहीं। मेरी अपनी जानकारी है कि उसमें बहुत कुछ अन्तर हुआ। त्रुटियां भी हैं, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन त्रुटियों को दूर करने का जो हमारा प्रयास हो रहा है उससे तो वह वे नहीं हो सकती। मेरा अपना मत है कि अगर किसी की बुराई दूर करनी है, किसी को अच्छे मार्ग पर ले आना है, तो मित्रभाव से और सत्परामर्श दे कर उसको अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं। जहांतक हम लोगों का संबंध है, चाहे उधर के बैठने वाले हों और चाहे इधर के, जब हम लोग यह तय कर लेंगे कि यह पुलिस के लोग, चाहे सिपाही हों या बड़े से बड़े आफिसर, यदि इनमें कोई त्रुटियां मिलती हैं तो हम उनको बुलाकर, अपने भाइयों की तरह, जनसेवकों की तरह से उनको समझायें और उनकी बुराइयां दूर करें तो इसमें ज्यादा कामयाबी हो सकती है अन्यथा यहां चाहे कुछ भी कहा जाय और बराबर वर्षों से लोग कहते चले आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इसमें यह भी है कि सोलहों आने सब के सब खराब हैं, यह बात नहीं है। कुछ अच्छा काम करने वाले भी हैं। यदि उन सभी के कार्यों को तिरस्कृत किया जाय तो यह भी हो सकता है कि वे अच्छे आदमी भी यह मानने लगें कि हम चाहे जितने अच्छे काम भी करें तब भी सदन में तो यही बात होगी, तो इससे हानि भी हो सकती है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर जनसेवक और हर एम०एल०ए० को चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपने क्षेत्र में वह अपने थानेदार और अपने सिपाहियों को परामर्श दे इस खयाल से कि अपने को सेवक मानकर काम करे, तो मैं समझता हूं कि जो भी त्रुटियां रह गयी होंगी और हैं वे भी दूर हो सकती हैं।

मैं इस सम्बन्ध में दो एक सुझाव देना जरूरी समझता हूं। अब ऐसा जमाना आ गया है कि जब सिपाही ६० रुपये में काम नहीं करेगा। उनके बाल बच्चे हैं, उनके ऊपर बड़ा खर्चा है। इससे काम नहीं चल सकता। इसलिये चाहे जहां से भी हो, दूसरे खर्चों को काटकर उनकी तनख्वाहों को सौ रुपये से कम न किया जाय। उसमें अगर हमारी तनख्वाहें कम करने से भी काम चले तो मैं पहला आदमी हूं कि आप सौ रुपये हर महीना मेरी तनख्वाह में से काट दीजिये और मैं उसके लिये तैयार हूं, लेकिन इनकी तनख्वाह ६० रुपये किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर)

उपाध्यक्ष जी, मुझे ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---अब समय नहीं है। आप दो मिनट में ही अपने सब सुझाव दे दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---कुछ हमें ध्यान दिलाना है कि पुलिस अगर किसी बदमाश को पकड़ती भी है तो उसके पास सबूत का बड़ा अभाव हुआ करता है और उन बदमाशों के डर के मारे हम लोग भी उसमें हाथ नहीं डालते हैं और वह सबूत नहीं दे पाते हैं, इसलिये उनके खिलाफ केसेज कोर्ट में छूट जाते हैं। इसलिये बदमाशों की हिम्मत बनी रहती है और वह बदमाशी करते रहते हैं। दूसरी चीज उनके काम करने में बाधक यह भी है कि पहले डिप्टी कलेक्टर लोग ऐसे मुकदमों को देखते थे। वे जिले की पूरी जानकारी रखते थे। अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट देखते हैं। उनको जिले की हालत का कुछ पता नहीं रहता। मुकदमा छूट जाता है और बदमाश अपना काम करते रहते हैं।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि हर थाने पर आज ८ सिपाही और १ थानेदार रखा गया है। इससे काम नहीं चल सकता। पी०ए०सी० के लोग बहुत काफी हैं, उनको गांवों में बिखेर देना चाहिये और जब जरूरत हो तो उनको बुला लिया जाय। कोई भी ऐसा थाना नहीं होना चाहिये जिस पर २ से कम सब-इंस्पेक्टर हों और १५ से कम सिपाही हों।

जहां तक यह कहा गया कि अब बड़े-बड़े अपराध हो रहे हैं, तो भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि बड़े-बड़े अपराध होंगे और बहुत कुछ होगा। तो हम चाहे कुछ भी कर डालें, वे तो होते ही रहेंगे। अभी तो जो उसमें लिखा हुआ है उनका १/१०वां हिस्सा ही हमारे आपके सामने है।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी। भ्रष्टाचार की एक व्यापक व्याख्या है कि वह कहां है, कैसे है, किस तरह दूर हो सकता है। इस पर तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। उसके लिये सबको अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिये और उन कर्त्तव्यों का पूर्णतया पालन करने में यहां कोई समर्थ नहीं है तो फिर अकेले पुलिस वालों से ही यह कैसे कहा जा सकता है कि वे अपने कर्त्तव्यों का पूर्णतया पालन करें।

जहां तक आजमगढ़ के एस० पी० का सम्बन्ध है, मैं उसके लिये विश्वासपूर्वक बता सकता हूं कि उसने कई डकैतों को पकड़ा, जिले में बहुत ही सफल रहा और अभी तक दस वर्ष के बीच में ऐसा सफल कोई एस० पी० वहां आया नहीं। जहां तक एक सब-इंस्पेक्टर के बारे में कहा गया, तो कम्युनिस्ट लोग तो जनेऊ पहनते नहीं और अगर किसी ने पहना और वह तोड़ा गया तो बड़ा गलत है। अगर उस थाने का इन्तजाम वही थानेदार ठीक से करे तो बदलने की क्या जरूरत?

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अवस्थी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पुलिस का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसका सम्बन्ध सरकार के प्रत्येक विभाग से बहुत घनिष्ठ है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार के प्रत्येक विभाग को सुचारु-रूप से चलाने के लिये पुलिस का सहयोग अनिवार्य है। इसलिये किसी भी सरकार को पुलिस के संचालन, उसकी सुविधायें उसकी प्रगति, उसके बल और योग्यता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं होनी चाहिये कि जब प्रांत के किसी स्थान पर अराजकता फैल जाय या ऐसी विषमता फैल जाय कि बिना गोली चलाये सरकार के सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है तो जरूर गोली चलायी जानी चाहिये। यदि यह सिद्ध हो जाय कि गोली चलाना आवश्यक नहीं था, गोली मूर्खता से चलायी गयी, कोई दूसरा रास्ता निकल सकता था, तो क्या ऐसी दशा में हमारे गृह मंत्री के पुलिस मैनुअल में कोई ऐसा प्राविधान है कि उस अधिकारी को दंडित किया जाय अथवा पदच्युत किया जाय? जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। हमारा पुलिस मैनुअल उसी समय का बना हुआ है जब विदेशी यहां राज्य करते थे और उन्होंने हमको अपनी दासता की जंजीरों में फसाये रखने के लिये पलिस मैनुअल, पलिस

कोड आफ कांडक्ट ऐसा बनाया जिससे कि वे जनता को दबायें रखें। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि पुलिस मैनुअल तथा पुलिस कोड आफ कांडक्ट में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

आज प्रदेश में ऐसे हथियार बहुत काफी हैं, जोकि यहीं पर घरेलू उद्योग-धंधों में बनाये जाते हैं और उन हथियारों का मुकाबला करने के लिये देहात में लाइसेंस्ड हथियारों के होने की बहुत आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सन् १९५४ में जिला एटा में एक गिरोह पड़ा हुआ था और वह मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ और एटा इन चार जिलों में आतंक फैलाये हुये था और उसने बहुत से कत्ल तथा डाके डाले और पुलिस उनको पकड़ने के लिये प्रयत्नशील थी, लेकिन कामयाब न हो सकी। संयोगवश हम लोग बरात में गये थे। हम लोगों को सूचना मिली कि पास ही में राहजनी हो रही है। उसके पाते ही हमने गिरोह का पीछा किया और ६ मील पीछा करने के बाद बड़ी-बड़ी युक्तियों से उसे पकड़ा। हमारे एक आदमी की बांह में गोली की चोट आई, कुछ लोगों के लाठियों से चोटें लगीं और गिरोह के आदमी भी घायल हुये। हमारे पास ६ बंदूकें थीं। वे ८ आदमी थे और एक के पास मिलिटरी राइफिल, एक के पास पुलिस राइफिल तथा ६ के पास देशी तमंचे थे। हमने उनको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

श्रीमन्, अगर इतना बड़ा काम कांग्रेसी नेता या पुलिस अधिकारी करते तो न जाने क्या-क्या मेडिल मिलते और अखबारों में न जाने कितना प्रचार होता। आज ५ साल हो गये कुछ कार्यवाही नहीं की गई। एक सनद हमें दी गई जिसकी भाषा थी कि आपने रोशन डाकू को पकड़ने में जो मदद दी उसके लिये आपको धन्यवाद है। हम उसे एस० पी० महोदय को वापिस दे आये कि हमें इस भाषा की सनद की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिन्होंने जान की बाजी लगा कर गिरोह को पकड़ा था उनको हथियार जरूर दीजिये। अधिकारियों ने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि हमारे पास कोई फंड नहीं है और हमें अधिकार भी नहीं है। मैंने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले के मालखानों में हथियार हैं आप उनमें से दे सकते हैं। इसके संबंध में बातचीत चल रही है। मैंने इसलिये यह उदाहरण दिया कि यदि हमारे पास हथियार न होते तो हम गिरोह को पकड़ने में सफल नहीं हो सकते थे। गृह मंत्री जी विचार करेंगे कि देहाती क्षेत्र जो थाने से दूरी पर हैं वहां के लोगों को लाइसेंस अवश्य दिये जायं।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं-कहीं पर हमारी प्रगतिशील कहलाने वाली सरकार ब्रिटिश सरकार से भी पीछे हट जाती है। शिकोहाबाद में एक अहीर कालेज है, वहां के दो विद्यार्थी हर साल सब-इंसपेक्टर की ट्रेनिंग के लिये जाते थे, लेकिन जब से जनतंत्रीय सरकार के कमल रूपी चरण यहां पधारे हैं, वह दरवाजा बंद कर दिया गया है। इस से कालेज को ही ठेस नहीं पहुंची बल्कि जो बैकवर्ड क्लास के लड़के वहां फ्री पढ़ा दिये जाते हैं उनको भी निराशा हुई है। इसलिये मुझे विश्वास है कि मंत्री जी कृपा करेंगे कि वहां से दो उम्मीदवार सब-इन्सपेक्टर की ट्रेनिंग के लिये प्रति वर्ष लिये जाया करें।

भ्रष्टाचार की बात चारों तरफ से कही गयी। एक पुलिस के ही नहीं, बल्कि सरकार के विभिन्न विभागों में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं और उनकी जो शिकायत यहां कही गई हैं वह मेरी समझ में एक तरह से ठीक नहीं है। उनको जब तक गैर-सरकारी लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक वे भ्रष्टाचार करने में सफल नहीं हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस स्थान का स्थानीय वातावरण अच्छा होगा सरकारी नौकर कभी भी भ्रष्टाचार में सफल नहीं हो सकते। अगर वहां का वातावरण ही खराब है तो सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों की उपेक्षा क्यों करें? अगर कोई ईमानदार कर्मचारी एवं अधिकारी भाग्य-वश आ भी जाय तो उसको परेशान किया जाता है। जैसा वहां के नेता कहते हैं वैसा अगर वह नहीं करता है तो उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि उधर के बैठने वाले यह समझें कि उनको लांछन लगा रहा हूं। करते वे हैं जो शक्तिशाली हैं, जिनकी यहां तक

[श्री रघुवीर सिंह]

चल जाती है । श्रीमन्, इसके विषय में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि उधर से एक माननीय सदस्य ने कहा, यह तो नहीं कहना चाहता कि जब से सदन में विरोधी आये हैं, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा, लेकिन मुझे जिला एटा के सम्बन्ध में मालूम है कि जितने विरोधी सज्जन यहां चुन कर आये हैं उनमें से कोई छूटा नहीं है जिस पर १०७/११७ न लगा दी गयी हो। अधिकारियों को बाध्य किया गया। मुझे ३०७ की दफा में जकड़ा गया और मेरे ऊपर एक रिपोर्ट भी करायी गयी। अगर उधर के माननीय सदस्य यह सोचें कि मैं यहां यों ही कह रहा हूं तो मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि उसकी जानकारी कर ली जाय। उसकी तीन बार तहकीकात करायी गयी। एक तहकीकात में मेरे ऊपर दोष साबित नहीं हुआ। तब अधिकारियों पर जोर डाल कर दोबारा तहकीकात करायी। फिर तिबारा हुई, लेकिन पुलिस को जब एक इंच भी जगह दोषी रखने को नहीं मिली तो उन्होंने विवश हो कर कह दिया कि हम कैसे ३०७ दफा लगा दें, हमें कोई भी दोष नहीं मालूम होता है।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त हो गया ।

***श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल की ओर से कटौती का प्रस्ताव लाया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। कल से जो वाद-विवाद हो रहा है उसे मैं ध्यानपूर्वक सुनता रहा। मैंने देखा कि दोनों पक्षों की ओर से जो बातें कही गयीं उनसे स्पष्ट होता है कि पुलिस अपने कार्य में असमर्थ रही है और दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। गत वर्ष की अपेक्षा हमारे यहां चोरियां, डकैतियां और कत्ल सभी बढ़े हैं और उन लोगों को पकड़ने में पुलिस पूरी तरह से असमर्थ रही है। उदाहरण के लिये मैं अपने क्षेत्र की ओर आ रहा हूं। हमारे यहां दो थाने लगते हैं--भेलसर और मवई। उन थानों के बीच में सुमेरगंज गांव है। वहां पर डाकुओं ने एक चलते हुए इक्के को लूट लिया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने थोड़ी-सी उत्सुकता दिखायी और पूरी कोशिश कर के जानकारी की। मैंने डी० एस० पी० से बातचीत की। उनको पूरी जानकारी करायी। उन्होंने कहा कि हां, मालूम होता है ऐसा ही हुआ है, यही लोग हैं। उन्होंने स्थानीय थानेदार को आज्ञा दी, लेकिन मैं नहीं जान पाया कि क्या हुआ। वह पकड़े नहीं गये। मालूम हुआ कि कुछ लोगों को पकड़ा गया जो उससे सम्बन्धित नहीं थे। उनसे रुपया प्राप्त किया और जिन लोगों के नाम थे उनसे भी पैसा हासिल कर के छोड़ दिया। आज कई महीने बीत चुके जबकि चीज पूरी तरह से साफ हो गयी, मामला सामने नहीं आ सका है। इसी पर एक और डाका पड़ा जलालपुर गांव में। गांव वालों ने बहादुरी कर के एक डाकू को मार डाला और एक डाकू को जिन्दा पकड़ लिया लेकिन पुलिस के लोगों ने गांव वालों को इस तरह से भड़काया कि उस डाकू को भी मरवा डाला। बाद में इन्क्वायरी के समय जब पुलिस गई तब उन लोगों में से, जिन लोगों ने डाकू को मारा था, एक आदमी को मार डाला गया और बाद में उसकी लाश को पटरी के ऊपर डाल दिया गया और वहां से पुलिस गायब हो गई। जब उसकी जांच हुई तो कहा गया कि खुद जा कर उसने पटरी पर जीवन दे दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार पुलिस अपने काम में असफल रही है।

एक बात और यहां कही जाती है कि पुलिस की तनख्वाह कम होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि तनख्वाह उसकी अधिक होनी चाहिए। मगर यह भी नहीं है कि उसकी तनख्वाह १०० रु० हो जायगी तो भ्रष्टाचार ठीक हो जायगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये हमारी पुलिस ही जिम्मेदार है, लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि चोरी को दूर करने के लिये चोर ही नियुक्त किया जाता है। चोरों के ऊपर कुछ साहों की देखभाल होनी चाहिए। जिले के लेविल पर और सारे जिलों में जो यह भ्रष्टाचार निरोधक समितियां बनी हुई हैं ये बिलकुल असफल रही हैं। अगर इनकी तरफ से कोई कंप्लेन्ट्स दी जाती हैं डी० वाई० एस० पी० वगैरह को तो उनको कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पता नहीं चलता है और न इनको कोई अधिकार ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा फ्लाइंग दस्ता बनाया जाय जो पुलिस के कारनामों की देखभाल कर सके। अगर कहीं से भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आवे या किसी प्रतिष्ठित आदमी की तरफ से किसी किस्म का सुझाव आवे तो तुरन्त वह दस्ता उसे देखे और जानकारी करे। जिस तरह से रेलवे मैजिस्ट्रेट, जो बगैर टिकट लिये चलते थे उनके केसेज को तुरन्त फैसल करके निपटा देते थे और उससे देखा गया कि काफी इसमें सुधार हुआ इस तरह से कोई दस्ता बनाया जाय तो मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। उस दस्ते को यह भी अधिकार हो कि हमारे जितने भी अधिकारी हों उनमें किसी किस्म का भ्रष्टाचार हो तो वह तुरन्त हो पहुंचे। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दस्ता किसी एस० पी० वगैरह के अधिकार में न रहे, बल्कि सीधे सरकार के अधिकार में रहे।

एक सजेशन हमें और देना है। यह जो वर्दी पुलिस की है, जो कि ब्रिटिश के जमाने से चली आ रही है, यह बिलकुल बदल देनी चाहिये, जिससे कि हम लोगों के ऊपर इसका लांछन मिट जाय और हम यह समझ सकें कि यह हमारी गवर्नमेंट की, समाजवादी गवर्नमेंट की पुलिस है और यह जन-कल्याणकारी समाज बनाने में सहायक होगी।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन्, आप देखें कि विवाद में जितना उत्साह हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने लिया उतना ही कांग्रेस पक्ष के लोगों ने भी लिया। चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के, दोनों ने ही पुलिस विभाग का भयानक रूप से खंडन किया है। आशा है, श्रीमन्, गृह मंत्री जी अवश्य इस पर ध्यान देंगे और विचार करेंगे। यदि पुलिस की आवश्यकता को देखा जाय, तो श्रीमन्, पुलिस सिर्फ दो बातों के लिए जनता के बीच में रहती है: एक तो शांति सुरक्षा और दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता। इन दोनों बातों के बारे में चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के सबने अपने-अपने जिलों की घटनायें कह कर साफ कर दिया है कि न तो यह शान्ति सुरक्षा के लिये है और न व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये है। मैं अधिक क्या कहूं ? बहन चन्द्रावती जी का तो कथन है उनके कथन की ओर ही मैं उनका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि जब हमारी नारियों, हमारी बहनों की ही सुरक्षा इस पुलिस के द्वारा नहीं है तो और क्या हो सकता है ? यही कसौटी है, इसी से पता चलता है कि पुलिस बिलकुल निकम्मी हो गई है। यह एक अटपटी सी वस्तु हो गई है जो किसी कार्य के योग्य भी नहीं रह गई है। मैं तो यह कहूंगा कि यह पुलिस बिलकुल न हो, इसकी जगह पर चाहे अनार्की हो वह ज्यादा हमें पसन्द हो सकता है लेकिन इस तरह की पुलिस हमें पसन्द नहीं है। मैं तो, श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के सामने माननीय सदस्यों ने जो बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में रखीं उन्हीं को समराइज करके दो-तीन बातें कहना चाहता हूं और उन्हीं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभी लोगों ने मिल कर इस बात को कहा कि इस पुलिस का संगठन इस प्रकार से सेंट्रलाइज न हो कर डिसेंट्रलाइज रूप में हो यानी किसी प्रकार से इसको जिले की शासन-समितियों के सुपुर्द करें। चाहे हमारे शब्द को, चौखम्भा को स्वीकार करें या उससे उचकते हों तो इंग्लैंड की पुलिस के ही मुताबिक कांउंटी पुलिस या बारो पुलिस के मुताबिक उसका संगठन करने के ऊपर विचार करें।

दूसरी जो सब से ज्यादा शिकायत है वह कम्प्लेंट्स विभाग की है। हम यह आशा करते थे कि उस विभाग से कुछ सुधार होगा लेकिन कम्पलेंट्स विभाग के ही विरुद्ध हमारी कम्प्लेंट्स हैं। इसमें कुछ स्वतंत्र विचार के लोग आने चाहिये। उसमें स्वतंत्र रूप से भर्ती किये हुए लोगों से यह विभाग बने।

तीसरी चीज है प्रारम्भिक रिपोर्ट, एफ० आई० आर० के बारे में। वह बड़ी ही दोषपूर्ण है। प्रदेश में कोई भी थाना बचा हुआ ऐसा नहीं है जहां कि प्रारम्भिक रिपोर्ट को सही रूप में बिना तोड़े-मरोड़े वह लिखने को तैयार हों या बिना कुछ लिये दिये। कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह कहा कि उनकी फीस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ही कुछ मुकर्रर कर दी जाय। इसको देखते हुये कि बिना कुछ लिये दिये वह लिखते ही नहीं, उन्होंने यह सुझाव दिया। इतने पर भी क्या माननीय मंत्री जी इस पर कुछ ध्यान नहीं देंगे? हम समझते हैं कि कुछ ऐसी सरप्राइज विजिट्स होनी चाहिये या कोई ऐसा निगरानी करने वाला मुहकमा होना चाहिये जो इसी बात पर ध्यान दे कि प्रारम्भिक रिपोर्ट सही रूप में लिखी जाती हैं या नहीं। एक बात जो पालीवाल जी ने कही और भी बहुत से सदस्यों ने कही कि जितने भी गोलीकांड हों उनकी प्रत्येक की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिये, चाहे जज के द्वारा हो, चाहे किसी और के द्वारा हो, लेकिन जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कुछ लोग जुडिशियल जांच के पक्ष में हैं, लेकिन चाहे जिससे जांच हो जांच अवश्य होनी चाहिए और किसी उच्च अधिकारी के द्वारा होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में अशान्ति हो रही है। माननीय सदस्य कृपया शान्ति रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर पुलिस के सम्बन्ध में आप कोई निगाह रखना चाहते हैं तो एक कमेटी मुकर्रर करके इन पुलिस आफिसरों की निजी आमदनी की जांच करा ली जाय और देख लिया जाय कि किसके पास कितनी आमदनी हो चुकी है। इससे पता लग जायगा कि कितने आफिसर प्योरिफाइड हैं, चरित्रवान हैं और कितने भ्रष्टाचार से ओतप्रोत हैं। यह भ्रष्टाचार न केवल पुलिस बनाम जनता में है बल्कि पुलिस में आपस में भी भ्रष्टाचार है। जब दो सब-इंस्पेक्टर आपस में बैठ कर बातें करते हैं तो वे कहते हैं कि हमको तनख्वाह तो मिलती है दो सौ, ढाई सौ रुपया, लेकिन हमको दो सौ, ढाई सौ रुपया और ऊपर से खर्च करना पड़ता है ऊपर के अफसरों के स्वागत वगैरा में। मैं एक थानेदार का नाम ले सकता हूं, जिसने मेरे सामने बैठे हुये ऐसा कहा था कि कानपुर में आकर मैंने सीखा, तनख्वाह तो है दो सौ रुपया लेकिन अफसरों के स्वागत-वागत का खर्चा है ढाई सौ रुपया, अगर न करूं तो किसी थाने में टिक न सकूंगा।

तो मुझे ज्यादा नहीं कहना है। एक ही बात और कहूंगा कि आज विरोधी पार्टी बनाम पुलिस एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। उधर से लोग कहते हैं कि विरोधी पार्टी पुलिस में सुधार नहीं होने देती और पुलिस भी यह समझती है कि हम जो कुछ भी आज हैं विरोधी पार्टी का ही मुकाबला करने के लिये हैं। इस प्रश्न को आप सोचें। या तो इसको हल करने का एक तरीका यह स्वीकार कर लें कि विरोधी पार्टी या मैं अपनी सोशलिस्ट पार्टी कहूं, उसको आप इल्लीगल करार दें और खत्म कर दें, या अगर इसको जीवित रखते हैं जैसे कि आज हम हैं तो कम से कम हमारे जितने मौलिक अधिकार हैं उनका हमें उपभोग करने दें। मैं तो देखता हूं कि कानपुर में एक साल में एक बैठक होती है, उसमें सोशलिस्ट मेम्बर भी बैठता है; एक घंटा बैठक होने के बाद हमारे निकलते ही सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस कांग्रेसमैनों की एक अलग से बैठक करते हैं और उसमें अन्तिम निश्चय करते हैं। तो इससे मालूम होता है कि हम लोगों को इस प्रकार से सस्पीशस रूप में देखने की न केवल आपकी नीयत हो गई है बल्कि फ्राम टाप टु बाटम हरएक पुलिस अधिकारी की यह नीयत बन गई है कि वह इस विरोधी पार्टी को सशंकित दृष्टि से देखते हैं। अगर सरकार इस पार्टी को इसी दृष्टि से देखना चाहती है, तो जैसा कि मैंने कहा आप इसको गैरकानूनी घोषित करें जिससे यह समाप्त हो, फिर बाद को जैसा होगा हम देख लेंगे। परन्तु आज इस पार्टी के साथ सरकार का रवैया बहुत सन्देह का है। मेरे पास इसका प्रमाण मौजूद है कि सरकार का रुख इसके प्रति कैसा है। कल यहां पर एक मीटिंग हो रही थी। वह एक सार्वजनिक मीटिंग थी और विचारों की स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुसार मिली हुई है, उसके अन्तर्गत थी। उस मीटिंग में डा० लोहिया का भाषण होने वाला था। वह मीटिंग नियमित रूप से थी, किसी तरह भी अनियमित नहीं थी। उस मीटिंग के सम्बन्ध में सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ, का एक आर्डर निकला है जिसमें लिखा है कि :

"Full record of all the speeches delivered may be kept and if any objectionable speech is delivered immediate action may be taken."

इसमें लिखा है इसकी स्पीचेज को वरबेटम रिपोर्ट कीजिये और अगर कोई भी चीज मालूम हो कि एतराज के काबिल है तो फौरन पकड़ लीजिये। यह हमारे यहां भाषण की स्वतंत्रता है जो कि फंडामेन्टल प्रिन्सिपल के मुताबिक हमको मिली हुई है। इसलिये मैंने यह कहा कि आज पुलिस बनाम विरोधी पार्टी का सवाल पैदा हो गया है। आज कोई काम भी अगर कांस्टीट्यूशनली करना चाहते हैं तो उसके लिये रोक सरकार की तरफ से लगाई जाती है। अगर शान्तिपूर्वक और सम्मान के साथ किसी पार्टी को सरकार जीवित रहने नहीं देना चाहती है तो उसको इल्लीगल करार दे दिया जाय, फिर अगर हममें ताकत होगी तो हम वायलेन्स कर लेंगे या नहीं कर लेंगे।

इसलिये, श्रीमन्, ज्यादा समय न लेकर मैं आप से यही निवेदन करूंगा कि नागरिकों के फंडामेन्टल अधिकारों की सुरक्षा और शान्ति रखने की व्यवस्था इन दोनों में यह पुलिस का फोर्स बिलकुल फेल हो रहा है। इस बात को चाहे इधर से पूछा जाय या उधर से पूछा जाय सभी लोगों ने इस बात को मेरे पक्ष में कहा है। माननीय कमलापति जी जो यहां पर विद्यमान हैं अब जो बातें कहेंगे उनको हम सुनेंगे। हमारी बात आप चाहे न सुनें क्योंकि हम विरोधी माने जाते हैं, पुलिस के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन आपके मुख से हम जरूर सुनेंगे कि आप इस पुलिस के लिये क्या नये सुधार करने वाले हैं। यदि आप पुलिस के लिये कोई क्रान्तिकारी सुधार करना चाहेंगे तभी पुलिस में सुधार स्थापित हो सकता है और जनता का कुछ कल्याण हो सकता है, वरना आप कितना भी चाहें इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। बस, मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष––(गृह मंत्री से) आप ४०, ४५ मिनट ले लीजिये। यदि अनुदान पर मतदान की आवश्यकता होगी तो उसके लिये समय बढ़ा दिया जायगा।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––मान्यवर, पुलिस के बजट के सम्बन्ध में कल से ही विचार विमर्श यहां पर हो रहा है। प्रायः १० घंटे से इस बजट पर बहस हो रही है। इस बार के इस बजट पर जो बहस हुई है उसमें दो-तीन बातें विशेषरूप से हुईं। एक तो कुछ सुझाव आये जिनके विषय में आपकी आज्ञा से कुछ निवेदन करूंगा और दूसरे कुछ खास दो-तीन सवाल हैं जिनके ऊपर बार-बार जोर दिया गया कि पुलिस में ये कमियां हैं और इनके सम्बन्ध में विचार किया जाय। तीसरा एक पहलू यह था इस बहस का कि प्रायः प्रत्येक माननीय सदस्य जो इस बजट के सम्बन्ध में बोलने के लिये उठा उन्होंने अपने जिले की शिकायतें पेश कीं और अपने पूरे जिले की नहीं बल्कि जिस क्षेत्र से आये हैं वहां के खासकर अपने थाने की और वहां के दरोगा की। ये ३ पहलू विशेषरूप से दिखाई देते हैं और बार-बार इन्हीं तीन बातों का दर्शन प्रत्येक माननीय सदस्य के भाषण में हुआ।

मान्यवर, जहां तक जिलों या थानों की शिकायत का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में तत्काल यहां ही कुछ कह देना कि क्या वाकयात थे सम्भव नहीं है, क्योंकि वे बातें यहीं तत्काल कह दी गई हैं। कहीं किसी जिले के थाने में सुबह कोई घटना हुई हो और उसका उल्लेख यहां कर दिया जाय और उसके सम्बन्ध में मैं दूसरा पक्ष तत्काल यहां रख सकूं, मैं समझता हूं कि ऐसा सम्भव नहीं है।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इतना ही आश्वासन मैं दे सकता हूं कि जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं वे हमने नोट की हैं और उनकी जांच-पड़ताल की जायगी और कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी। एकाध माननीय सदस्य ने ऐसी बात का जिक्र किया जो ४, ५ वर्ष पुरानी रही हैं, और भी दो-एक ऐसे उल्लेख हुये। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र हो गया, उस समय मैंने टोका नहीं क्योंकि मैं पूरी तरह से नहीं जानता था––जो कि अदालत में मामले

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हैं, सब-जुडिस हैं, पर हैं वे जिलों से ताल्लुक रखने वाले और उनके बारे में तत्काल ही उत्तर दे सकना मेरे लिये सम्भव नहीं है। उन्हें अंकित कर लिया गया है और उनकी जांच-पड़ताल करने की कोशिश की जायगी।

एकाध बात जो मुझे मालूम है वह मैं अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं। माननीय नागर जी ने सनवाल सिंह डाकू का जिक्र किया जो पुलिस से मुठभेड़ में मारे गये थे। नागर जी ने कहा कि मैजिस्ट्रेट और डी० एस० पी० की रिपोर्ट भिन्न हैं। डी० एस० पी० ने लिखा कि सनवालसिंह पकड़े गये, जिन्दा हैं और फिर दीवाल के सहारे खड़ा करके गोली मार दी गई। मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी कि वह एनकाउन्टर में मारे गये। मैंने यहां से वहां तक सारा पता लगा डाला और मेरी सूचना यह है कि इस मामले में डी०एस०पी० ने कोई इनक्वायरी की ही नहीं और न उन्हें यह काम सौंपा गया था। मैजिस्ट्रेट की यदि रिपोर्ट है तो वह होगी। जिस रिपोर्ट से तुलना करने की बात उन्होंने कही वैसी कोई रिपोर्ट नहीं है। गोंडा के बारे में तथा और भी एकाध जिलें के बारे में घटनाओं का यहां जिक्र किया गया जिनका मैं इस समय उत्तर देना उचित नहीं समझता। तालबेहट में हुई किसी डकैती के लिये माननीय सुदामाजी ने कहा कि रात को १ बजे डकैती हुई, ६ बजे खबर लगी और ७ बजे पुलिस पहुंची या २ बजे थाने में खबर दे दी गई और ८ बजे पुलिस पहुंची। उसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रात को १ बजे के करीब वह डकैती हुई, थाने में रिपोर्ट पहुंची ४ बजे के करीब और ६ नहीं बजा था कि पुलिस वहां पहुंच गई और घायल आदमी को उठाकर अस्पताल में ले आई। ऐसा मैं समझता हूं कि पूरा अधिकार है माननीय सदस्यों को कि यदि किसी अनुदान के विषय में वादविवाद हो रहा हो तो अपने जिलों की बातों को कहें ताकि सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो और जांच-पड़ताल की जा सके। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा भी समझता हूं कि उसके साथ-साथ अनुदानों पर विवाद करने का जो समय मिलता है उस समय का कुछ और भी सदुपयोग हो सकता है, यदि उन छोटी-बड़ी शिकायतों के अलावा, जिनकी ओर सरकार का ध्यान प्रश्नों और पत्रों के द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य आकर्षित करते रहते हैं, उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जो हमारे लिये, सदस्यों के लिये और विभाग के जो काम करने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध हो सकें।

दो- तीन सुझाव दिये गये। एक सुझाव तो बार-बार यह दिया गया कि हमारे यहां ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन को ठीक रखने के लिये लाइसेंस अधिक उदारता के साथ दिये जाने चाहिये। मैं भी समझता हूं कि यह एक अनुभव की बात है कि जिन गांवों में १,२ या ३ लाइसेंस हैं वहां पर लोगों को कुछ इत्मीनान भी रहता है और यदि डकैती वगैरह पड़ने की कोई अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है तो हिम्मत के साथ लोग मुकाबला भी करते हैं। बड़े धाकड़ डकैतों की बात तो जाने दीजिये, लेकिन प्रायः ऐसा भी देखने को मिलता है कि साधारणतः अगर किसी गिरोह को यह मालूम है कि इस गांव में लाइसेंस हैं तो वहां आने की उनको हिम्मत भी बहुत कम पड़ती है। ऐसा हमारा और अधिकारियों का भी अनुभव है। इस विषय में पहले से भी सरकार की ओर से कार्यवाही की जाती रही है, लेकिन अब हमारे यहां से यह आदेश जारी हुए हैं कि जो डिफेन्स सोसाइटीज हैं, जो प्रायः बहुत से गांवों में बन गयी हैं, उनको उदारता के साथ लाइसेंस दिये जायं, उनके आदमियों को चुन कर बंदूक के लाइसेंस दिये जायं। जिन गांवों में ये सोसाइटीज नहीं भी हैं वहां पर भी इत्मीनान के आदमियों को ढूंढ़ कर और यह देखकर कि बिना किसी आशंका के उनको लाइसेंस दिया जा सकता है, उनको लाइसेंस दिये जायं। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि इस विषय में भारत सरकार भी बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। उससे पत्र-व्यवहार भी होता रहता है। वे नियम बनाने वाले हैं या नियमों में संशोधन करने वाले हैं, जिसके सम्बन्ध में वे विचार कर रहे हैं, और वे अभी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रुझान उनका ऐसा प्रतीत होता है कि इस लाइसेंस

देने की व्यवस्था में, नीति में एक सम्यक् परिवर्तन करने वे जा रहे हैं और आशा की जाती है कि बंदूकों के लाइसेंस प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई न रहेगी और लोगों को एक व्यापक रूप से लाइसेंस दिये जायेंगे ।

हमारे एक हरदोई के माननीय सदस्य ने कुछ ऐसा कहा कि कदाचित् उनको लाइसेंस नहीं दिया गया । मैं नहीं जानता कि किस सज्जन को और कहां यह लाइसेंस नहीं दिया गया, या इन्कार कर दिया गया । मैं उनको यह सूचित कर देना चाहता हूं कि सरकारी आदेश तो यह है कि विधायकों में से जो भी लाइसेंस लेना चाहें उनको न रोका जाय और लाइसेंस दे दिया जाय । यदि कहीं ऐसी कोई बात हुई है, उसकी तरफ उन्हें सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहिये और मैं समझता हूं कि उस विषय को बड़ी गम्भीरता से देखा जायगा ।

एक सुझाव मान्यवर, बार-बार यह दिया गया और बहुत से सदस्यों ने कहा तथा आज प्रातः काल हमारे आदरणीय पालीवाल जी ने विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया पुलिस रेगुलेशन के सम्बन्ध में। सभी सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है और यह कहा जाता रहा है कि यह कानून पुराना हो गया और हमारी व्यवस्था बहुत आगे बढ़ चुकी है । आज के परिवर्तित युग के अनुकूल किसी प्रकार का सुधार उसमें होना चाहिये । मैं भी मानता हूं कि इस सुझाव में बहुत बड़ा तथ्य है । यदि मैं भूल नहीं करता हूं तो यह रेगुलेशन्स शायद सन् १९०५ या १९०६ में बने थे और जब कि ५०-५२ वर्ष हो गये तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ गयी, गंगा के भीतर से भी न जाने कितने जल का प्रवाह हो गया और आज देश में एक परिवर्तित व्यवस्था है, नये समाज की, नये व्यक्ति की और नये जीवन की रचना करने का प्रयास है । हम सब का यह प्रयास है कि एक नयी व्यवस्था देश के गौरव के अनुकूल यहां स्थापित की जा सके तो यह आवश्यक है कि उस रेगुलेशन्स को देखा जाय और जो कुछ सोचना है वह यह है कि इस रेगुलेशन्स की ओर हमारा ध्यान गया भी है और विभाग द्वारा इस रेगुलेशन्स में संशोधन का काम आरम्भ भी हो गया है और मैं समझता हूं कि विभाग के सुझावों के साथ संशोधन शीघ्र ही सदन के सम्मुख प्रस्तुत भी होगा । इस सम्बन्ध में पालीवाल जी का सुझाव था कि सारे रेगुलेशन्स को लेकर आगे इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ विचार करने के रास्ते को पकड़ना आवश्यक है । मैं भी समझता हूं कि यह सुझाव ऐसा है जिस पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिये । दूसरे प्रदेशों में कहीं-कहीं इस प्रकार का काम आरम्भ हो रहा है । आज की इस परिवर्तित स्थिति में और आज के युग में प्रशासन की मूल भीति पुलिस पर है, जिसके ऊपर आज इतना उत्तरदायित्व का काम है—समाज की सुरक्षा तथा सुव्यवस्था और शान्ति कायम करना, आज के इस युग के अनुकूल किस प्रकार व्यवस्था करे कि वह अनुकूल ढंग से ही हो, और वह उस लक्ष्य को सिद्ध कर सके जो कि आज के समाज के सम्मुख और इस प्रदेश की जनता के सम्मुख उपस्थित है । इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये समय भी चाहिये और गम्भीरता के साथ विचार भी करना चाहिये । कोई चलती हुई व्यवस्था, बातचीत करते हुए उलट-पलट देना खतरनाक हुआ करता है। मान्यवर, रेल की पटरी पर कोई गाड़ी चलती हो तो उस गाड़ी को डिरेल कर के नीचे गिरा देना तो आसान हो सकता है, लेकिन फिर उस गाड़ी को खड़ा करके पटरी पर खड़ा कर देना और उसे चला देने का कार्य बहुत कठिन होता है । यह करोड़ों आदमियों के जीवन का प्रश्न है । एक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में समुचित सुधार, उसका समुचित विकास, समुचित संशोधन, समुचित परिवर्धन, परिवर्तन आज के युग की आवश्यकता के अनुसार होना वांछनीय है और यह हम सबकी आकांक्षा है । पर चलते-चलाते किसी चीज को जो कि चल रही हो उसे गिराने का नक्शा बनायें तो यह कदाचित् खतरनाक बात हो सकती है तथा उस पर गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है । मैं आपसे इतना और भी कह सकता हूं कि इन सुझावों पर हम अवश्य विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई एक ऐसा यन्त्र हम खड़ा कर सकते हैं जिसके द्वारा इस आवश्यक प्रश्न पर विचार किया जाय, उसकी एक रूपरेखा बने, उसका एक चित्र और नक्शा बन कर सामने आवे और प्रदेश की जनता

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उस पर विचार करें और तदनुकूल उसकी व्यवस्था का संगठन हो। ये दो सुझाव जो, श्रीमन्, मुख्य रूप से दिये गये इसके सम्बन्ध में जैसा मुझे लगा वह मैंने आपकी आज्ञा से निवेदन किया।

अब दो, तीन विशेष शिकायतों की ओर बार-बार ध्यान दिलाया गया। एक तो एफ० आई० आर० के बारे में इस बहस की एक विशेषता यह भी रही कि एक ही बात को प्रायः सब ने दोहराया। यदि यही है तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि केवल दो, तीन बातें रह गई हैं पुलिस विभाग में जो कि लोगों को बताने की अपनी समझ में आवश्यकता पड़ी। उसके बाद और कोई बात नहीं रही। क्योंकि उसी को दोहराया गया। पहले तो मैं डरता था, मालूम नहीं क्या बड़ा भारी कोई तूफान है इसके भीतर जिसके लिये कल से ही प्रायः कुछ टीका खड़ी की गई। पर बहुत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बस दो, तीन प्रश्न हैं जिन्हें जनरेलाइज किया गया। अब हैं वे—एक जगह हों, १० जगह हों, २० जगह हों, थोड़े स्थानों में हों, अधिक स्थानों में हों, वही प्रश्न हैं जिन्हें कि सब पर लागू कर दिया गया और वही तीन सवाल हैं। एक तो एफ० आई० आर० की बात कही गई। दूसरी इस बात की शिकायत की गई कि पुलिस के अधिकारी नीचे पैसा लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। और तीसरी इस बात की शिकायत की गई कि झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं और शान्ति और व्यवस्था को स्थापित करने में और सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस के लोग समर्थ नहीं हुए और उनका बर्ताव लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा। यह तीन बात विशेष रूप से कही गईं। जहां तक एफ० आई० आर० का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं.....

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी अगर बैठें तो मैं बोलने दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं अस्वीकार करता हूं। जब खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। कल से १० घंटे तक बैठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप उनसे न कहें, अपनी बात कहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं कह रहा था, तीन शिकायतें यह की गईं। चौथी बात कही गई कि क्राइम्स हमारे यहां बहुत बढ़े हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्राइम्स की तुलना १९४६-४७ से की गई और यह कहा कि उससे भी अधिक आज बढ़ गये हैं। अंग्रेजी राज्य का भी जिक्र कर दिया गया कि उस समय जो क्राइम्स की संख्या थी उससे आज बढ़ गई है। हमारे पास जो सूचना है सन् १९४७ में डकैतियां १,२४५ पड़ीं, १९५७ में ९०७ और १९५८ में ८२५। १९४६-४७ में राबरी ७४२, १९५७ में ५१७ और १९५८ में ४७७। मर्डर १९४७ में २,१४६, १९५७ में १,४६८ और १९५८ में १,६३७। राइट हुए १९४७ में ३,५५७, १९५७ में ३,००२ और १९५८ में ३,०४५। चोरियां १९४७ में ३०,६११, १९५७ में १८,३२८ और १९५८ में १७,५८९। सन् १९४७ से तुलना करना बड़ी ही अनुचित बात है। अभी हमारे शिकारपुर के चौधरी साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि डेढ़ करोड़ का बजट था १९४६-४७ में पुलिस का जब ६ करोड़ की आबादी थी। अब जो है ९ करोड़ का बजट हो गया और केवल ५० लाख की आबादी बढ़ी है। मेरे पास जो फिगर्स हैं, वह हैं कि १९४६-४७ में ५ करोड़ ८१ लाख की आबादी थी और साढ़े तीन करोड़ के ऊपर का बजट था जब कि ४४ करोड़ का सारा बजट प्रदेश का था। १४ परसेन्ट उस समय पुलिस पर स्टेट रेवेन्यू का परसेन्टेज रेशिओ में खर्च होता था। आज हमारे यहां ६ करोड़ ७९ या ८० लाख की आबादी है, एक करोड़ की आबादी पूरी बढ़ी और ७·८७ परसेन्ट स्टेट रेवेन्यू के रेशिओ पर यह खर्च है। मालूम नहीं कहां से उन्होंने डेढ़ करोड़ और छः करोड़ खोज कर निकाला।

क्राइम्स की फिगर्स मैंने निवेदन कीं मान्यवर, और मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में क्राइम १९५७ की अपेक्षा १९५८ में एक दो मदों में अधिक हुआ। जैसा कि पालीवाल जी ने सुबह कहा, सही है कि क्राइम अगेन्स्ट परसन हुआ। यह कहना कि सारे कंसीलमेन्ट होते हैं, ठीक नहीं

है, मुमकिन है कि कहीं होता हो। यह भी हो सकता है कि कहीं मिनीमाइजेशन भी होता हो। अंग्रेजों के जमाने में कंसीलमेन्ट और मिनीमाइजेशन बहुत अधिक था और उनके डेफिनिट आर्डर्स थे। अंग्रेजों का जमाना भी देखने का अवसर मिला है मान्यवर, ३०-३५ वर्ष, और सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके डेफिनिट आर्डर्स और इन्स्ट्रक्शन्स रहा करते थे कि क्राइम्स को मिनीमाइज करो। आज इस बात का आदेश है कि न कंसीलमेंट हो, न मिनीमाइजेशन हो। बार-बार यह आदेश है और उसके बाद यह फिगर्स हमारे पास हैं। अगर हमको छिपाना ही होता तो बहुत कुछ गायब कर दिया जा सकता था। यह स्वीकार करने के लिये हमारे लिये कोई आवश्यकता थी? हमारे हाथ में था। हमने जब यह स्वीकार किया मर्डर्स बढ़े हैं, राइट्स बढ़े हैं, तब आप हमसे यह कहें कि तुम छिपाते हो। अगर छिपाने की प्रवृत्ति हो तो स्वीकार क्यों कर लेते। कहीं-कहीं किसी थाने में कोई साहब ऐसी कार्यवाही करते हों, मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि इस तरह की कार्यवाही होने की एक भी शिकायत होने पर उसकी सख्त जांच की जाती है, की गई है। बहुतों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उनके खिलाफ ऐक्शन हुआ है। और जहां कहीं भी इस प्रकार की बात सामने अगर किसी माननीय सदस्य के हो कि किसी जगह कोई क्राइम हुआ है और छिपाया जा रहा है---ऐसा प्रयास जो लोग करते हैं वह प्रदेश के हित के विरुद्ध करते हैं, सरकार के आदेश के विरुद्ध करते हैं और अपने विभाग के गौरव के विरुद्ध करते हैं अगर ऐसा होता है तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने पर अवश्य ही भरपूर कार्यवाही करने की चेष्टा की जाएगी।

क्राइम्स के मुतल्लिक तो यही कहा गया है कि हमारे लिये, सरकार के लिये यह मुख्य और बहुत आवश्यक बात है। मेरी तो अपील है आपसे भी, आदरणीय सदन के सब सम्मानित सदस्यों से भी और आपके द्वारा बाहर की जनता से भी, विभाग से भी कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार यदि अपराध चलते रहे और चलें, उनकी संख्या चाहे कितनी ही कम हो, तो लक्ष्य तो यह रहना चाहिये कि वह स्थिति आवे जब अपराध का उन्मूलन हो और कम से कम यदि अपराध होते भी हैं तो हमारी इतनी शक्ति हो कि हम तुरन्त उनकी शिखा पकड़ सकें और वह बढ़ने न पावें। एक व्यक्ति की भी जान जाए, एक व्यक्ति के यहां भी डकैती या चोरी हो जाय तो शर्म की बात है। हमारा पूरा प्रयास इस दिशा में है और हम सबका सहयोग चाहते हैं। अपराधों की वृद्धि के पीछे बहुत-सी बातें हो सकती हैं। पर एक मुख्य बात है कि मनुष्य की मनः स्थिति को शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने और कानून की मर्यादाओं को कायम करने के लायक नियमित होने देने की आवश्यकता है, कानून के प्रति अनादर के भाव को, तिरस्कार के भाव को दूर करने की आवश्यकता है। शान्ति और व्यवस्था के प्रति एक साधारण और स्वाभाविक निष्ठा होनी चाहिये, परन्तु उस के उन्मूलन की चेष्टा चाहे किन्हीं राजनीतिक कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से होती हो तो उस का फल और उस की प्रतिक्रिया मनुष्य की समस्त वृत्तियों पर पड़ना अनिवार्य और स्वाभाविक है जिस से अपराधों की संख्या बढ़ती है। एक लोकतन्त्रात्मक समाज और युग में यह आवश्यक होता है कि शान्ति और व्यवस्था के प्रति आदर का भाव उत्पन्न किया जाय और एक मर्यादा, अनुशासन और व्यवस्था को पैदा किया जाय क्योंकि लाठी-सोटे से यह वस्तु पैदा नहीं हो सकती; वह तो मनोवृत्तियों के जगाने से ही हो सकता है और यह काम सब की सहायता से ही हो सकता है।

एफ० आई० आर० के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये गये। समय अधिक नहीं है, लेकिन जो आदेश इस सम्बन्ध में यहां से गये हैं और जो अखबारों में भी छपे हैं, नोटिसें भी निकाली गई हैं, प्रकाशन भी बार-बार कराया गया है कि थाने में रपट लिखने की कोई फीस नहीं है। फीस देना व लेना भ्रष्टाचार है और धारा १६१ भारतीय दंड विधान के अपराध में आता है। रपट लिखाने के लिये थाने जाना आवश्यक नहीं है। लिखी रपट गांव के चौकीदार, डाक व और किसी व्यक्ति के द्वारा थाने भेजी जा सकती है। रपट का शीघ्रातिशीघ्र होना और रपट

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में सही-सही सब बातों का लिखना मामले की जांच और न्यायालय में सफलता के लिये आवश्यकीय है। झूठी रपट लिखाना अपराध है और सच्चे मामले में झूठ मिलाना भी अपराध है। न्यायालय में ऐसी रपटों के कारण मुकदमा असफल होता है। जितनी बातें मालूम हों वह पूरी-पूरी और ठीक ठीक-रपट में लिखवा देना चाहिये। रपट करने वाले शब्दों में ही रपट लिखना चाहिये, अपनी तरफ से घटाने-बढ़ाने से मुकदमे की जांच में और न्यायालय में कठिनाई पड़ेगी। यदि थाने में रपट न लिखी जाय तो रजिस्ट्री द्वारा रपट कप्तान साहब, पुलिस के पास भेजी जा सकती है। यह चीज बार-बार विभाग को. . .

श्री मोतीलाल अवस्थी--होता यह है कि गांधी जी की पांच उंगली दिखाई जाती हैं कि वह कह रहे हैं कि ५ रुपया लाओ . . . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं अभी बोल रहा हूं आप बैठें। मुझे पता नहीं कि गांधी जी का हाथ किस ने दिखाया, मैं तो माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह किसी एक व्यक्ति को भी मुझे बतायें कि जिसने उनके हाथ की तरफ ऐसा संकेत किया हो ताकि उस के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। मेरी शिकायत यह रही है कि कुछ बातें हैं, खास तौर से दो-तीन, कि जिन को हर साल दोहराया जाता है और जब कभी भी अनुदान पर बहस होती है तो कहा जाता है और इस तरह से जनरेलाइज किया जाता है और मालूम होता है कि जितने आदमी हैं वह सब गांधी जी की ५ उगलियां दिखाते हैं। परन्तु अगर दो चार के भी नाम बता दिये जायं और जिन के बारे में समझा जाता है कि वह ऐसा नहीं करते उनको बरी कर दिया जाय तो अच्छा है, क्योंकि सब के लिये जनरेलाइज करने की जहां तक बात है इस विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि आज १२ साल स्वराज्य को हुए हो गये और अब अधिकतर हमारे सदस्य ऐसे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि उन को अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं के कारण बार-बार थाने में जाना पड़ता है, और उनका सम्पर्क थानेदारों से विशेष हो जाता है और ऐसा भी मुझे लगता है कि इन १२ सालों में बहुत से थानेदार भी बदल गये, प्रति वर्ष ६० आदमी लिये जाते हैं, रिक्रूटमेंट की कमेटी बनती है, उस में नान-आफिशियल्स भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं, साल भर की उनकी ट्रेनिंग होती है, इन दस बारह सालों में ५-६ सौ आदमी भरती हुए हैं। अगर ५० का भी हिसाब लगाया जाय तो जो यह नये आदमी आये हैं वह सब हमारे आप के घरों के बच्चे हैं, वह भी हमारे इन्हीं स्कूल कालेजों से निकले हैं, उनका जो सेलेक्शन होता है उसमें हमारे नान-आफिशियल्स भी शरीक होते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर इस तरह का रिमार्क करना, जैसा अवस्थी जी ने कहा कि करीब-करीब सब वैसे ही बेईमान हैं, मैं समझता हूं कि अपने बच्चों के ऊपर और अपने ऊपर एक कलंक का टीका लगाने की बात है और मैं इसका प्रतिरोध करता हूं जो इस तरह की बातें कही जाती हैं। वे भी हमारे-आपके घर के बच्चे हैं जो इस वक्त भर्ती किये गये हैं या किये जा रहे हैं और यह कह दिया जाय कि सब करीब-करीब वैसे ही हैं कि गांधी जी की उंगली की ओर दिखाते हैं और पैसा वसूल करते हैं तो हमारी आपकी और प्रदेश की नाव डूबी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--सावधान। शान्त रहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं एक ही बात और कहना चाहता हूं कि एफ० आई० आर० के सम्बन्ध में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इस की दिशा में सुधार हो और इसके सम्बन्ध में जो शिकायतें रहती हैं वह दूर हों। क्या सुधार हो, इस विषय में कोई विशेष सुझाव हमको नहीं मिला। मैं इस बात को सोच रहा था कि एफ० आई० आर० में जो दोष बतलाये जाते हैं उसके लिये कोई सुधार बतलाया जाय। स्वयं विभाग की ओर से हम इन विषयों पर विचार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी इनवेस्टीगेशन साइड कुछ इंडिपेंडेंट हो। उसके लिये मुमकिन है कि हमको कुछ विस्तार भी करना पड़े। मुमकिन है

कि उसके लिये कुछ अधिक स्टाफ की आवश्यकता हो, पर यह अवश्य लगता है कि इस बात की आवश्यकता है कि हम इस बात का प्रयोग शुरू करें, सब जगह नहीं तो कुछ जगहों पर और थानों पर जो सिविल पुलिस का काम है वह इन्वेस्टीगेशन का काम हो। प्रासीक्यूशन की ब्रांच का उल्लेख किया गया, विशेषकर नवल किशोर जी ने किया, वह अलग इंडिपेंडेंटली हमारी बन रही है। आपने ला कमीशन की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें है कि प्रासीक्यूशन बिलकुल इंडिपेंडेंट हो जाय, उस में ला ग्रेजुएट्स लिये जायं, हमारे पी० पी०, ए० पी० पी० और एस० पी० पी० सीधे ग्रेजुएट्स लिये जावें और इस ब्रांच को और विकसित करने की आवश्यकता है। इनवेस्टीगेशन की साइड में जांच-पड़ताल की एक खास एजेंसी हो, जो रिपोर्ट लिखी गयी उसको इनवेस्टीगेशन के जिम्मे किया जाय उसके ऊपर हम कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं और उसका एक नूतन प्रयोग करने की चेष्टा करेंगे। वही तरीका है जिससे इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें।

हमारी ऐन्टीकरप्शन कमेटीज के बारे में बहुत-सी बातें कही गयीं। इस मुकदमे से तो उनकी रचना या निर्माण नहीं होता, वह कानफिडेंशियल डिपार्टमेंट के जरिये होता है। उनके चेयरमैन की मीटिंग हुई, उनकी ओर से भी कुछ सुझाव आये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी स्मरण होगा और हमारे आदरणीय सदन के सदस्यों को भी स्मरण होगा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने अनुदान पर उत्तर देते हुए कहा था कि इस विषय में एक कमेटी बनायी जा रही है जिसमें कोई हाईकोर्ट के जज इत्यादि उसके अध्यक्ष होंगे और उसमें वकालत करने वाले अधिकतर लोग, यह सुझाव दिया है, रास्ता बनाने की चेष्टा करेंगे। वह भी बन रही है और ऐंटी-करप्शन के चेयरमैनों की कान्फरेंस हुई थी, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है कि उनको कितनी पावर्स दी जायं।

मान्यवर, क्या ५ मिनट और मिल जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—फिर समय बढ़ाना पड़ेगा। मैं बढ़ा दूंगा। आप ५ मिनट रख लीजिये। ५ बजने में ५ मिनट तक भाषण जारी रख लीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उस वक्त तक मैं खत्म कर दूंगा। तो उस विषय में हम विचार कर रहे हैं कि उनको और कौन से अधिकार दिये जायं।

जहां तक डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स और हमारे सी० आई० डी० डिपार्टमेंट की बात है अभी अवस्थी जी ने कल जिज्ञासा की थी कि तुम्हारा डिपार्टमेंट, जिसका वाई-फरकशन किया है, वह करता ही क्या है ? वह तो एक लम्बी रिपोर्ट है कि अगर वह इससे थोड़ी दिलचस्पी रखते हों तो किसी समय मैं उनकी सेवा में इसे भेज सकता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी था, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया अब तक।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो सी० आई० डी० को दो हिस्सों में बांटा। एक तो इंटेलीजेंस का हिस्सा, जिसमें ट्रेनिंग और इंटेलीजेंस और दूसरा क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन के साथ साथ साइंटिफिक सेक्शन। अब उसका जो साइंटिफिक सेक्शन है उसमें हथियारों तथा जो बहुत-सी चीजें अपराधों में मिलती हैं, सामान मिलते हैं उनकी जांच-पड़ताल करता है। एक डाकूमेंट सेक्शन है जिसमें कागजात की जांच-पड़ताल होती है। हैंडराइटिंग और फोटोग्राफी का सेक्शन है। उसके बाद फिंगर प्रिंट ब्योरो है। उसका जो रिकार्ड है वह यह है कि उसके पास १९५५ तक २,५८,७४९ और सन् १९५६ में २,६४,०६४ फिंगर प्रिंट्स आये। १९५५ में ३,८३२ और १९५६ में २,८८७ फायर आर्म्स के शिनाख्त सम्बन्धी केसेज आये। कागजात के जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में १९५५ में १८,४८२ तथा १९५६ में १९,६२८ फोटो लिये गये तो यह बहुत बड़ा काम कर रही है। इसके साथ-साथ इसमें ट्रेनिंग का हमने काम शुरू किया। इससे खास लाभ हुआ। इतना समय नहीं है कि उसकी पूरी रिपोर्ट दे सकूं, लेकिन यह

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

तो माननीय सदस्यों की बहुत बड़ी मांग रही है कि हमारे यहां साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टीगेशन आरम्भ होने की आवश्यकता है और जो पुराना तरीका है उसको बदला जाय। पुराना तरीका यह है कि लोगों को इस तरह से सख्ती से दबाओ कि लोग अपने जुर्म को मंजूर करें, लेकिन साइंटिफिक तरीके से जहां पर कोई सुराग न मिलता हो वहां भी चीजों को ढूंढ़ निकालें और इसमें सफलता भी हुई है। यह सेक्शन यहां पर कायम है और इसको और अधिक जहां तक हो सके हम इसकी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इस विचार से कि इन्वेस्टीगेशन का कार्य जो हो उसमें और साइंटिफिक मेथड्स की और आवश्यकता प्रतीत हो रही है तो उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था हो और उसको हम करने जा रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह पुलिस का विभाग एक ऐसा विभाग है कि उस पर जिस प्रकार टीका-टिप्पणी की जाती है उससे मालूम होता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु जो लोग कड़ी से कड़ी टीका करते हैं और जो यह कहते हैं कि करीब-करीब सभी वैसे हैं, जिन लोगों का ऐसा विचार है, वह भी यह कहने लगते हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय और यह भी कहा जाता है कि इनकी तादाद भी बढ़ायी जाय, यहां पर चौकियां खोली जायं। तो मैं यह समझता हूं कि बहस की बात को छोड़ करके वास्तविक बात यह है कि किसी भी देश का साधारण जीवन भी और उसका विकास भी तब तक नहीं सम्भव होता जब तक कि समाज में सुरक्षा और शान्ति और व्यवस्था न बनी रहे। हमारा जो प्रदेश और देश है, जिसने अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है और जहां एक संक्रमण काल चल रहा हो और एक ऐसा युग जहां हो ट्रांजीशन का जिसमें नयी वैल्यूज, नयी व्यवस्थायें और नयी इमारतें बन रही हों, पुरानी इमारतें ढह रही हों और नये जीवन और नये समाज की रचना हम करना चाहते हों और सामाजिक धरती पर आज जो एक कम्प सा है वहां पर भी हमारा क्रमिक और प्रगतिशील विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक समाज में सुरक्षा और व्यवस्था न बनी रहे। यही हम करना चाहते हैं और यही कारण है कि बावजूद इसके कि इसका विकास के विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सारे विकास की बुनियाद में यह विभाग है और यह न रहे तो फिर हम विकास का कोई काम शान्तिपूर्वक नहीं कर सकते। इस व्यवस्था को युग के अनुकूल बनाना हमारा कर्तव्य है और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर इतना निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय सदन के सदस्यों से कि जिनसे आपको काम लेना है, जिनको कि आप इतनी सहानुभूति से देखते हों कि उनका वेतन बढ़ाया जाय, जिनकी संख्या बढ़ाने की बात कहते हों और यहां बैठ कर यदि हम उन सब के लिये यह कहें कि ये बेईमान हैं, गिरे हुए हैं, रक्त पिपासु हैं, बावजूद इसके कि वे हमारे ही रक्त, मांस और हाड़ से बने हुए हैं तो मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था न तो चल सकेगी और न इस दिशा में हम कुछ सुधार करने में सफल हो सकेंगे। इसी कारण हमने पहले भी निवेदन किया था और फिर निवेदन करता हूं कि जहां कहीं कमियां हों उनको दूर करने की हम चेष्टा करेंगे और आपके सुझावों के अनुसार करेंगे; पर आप सब से यह प्रार्थना अवश्य है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण यदि हम अपनायेंगे, जिसे मैं समझता हूं कि जायज नहीं है--कहीं कोई घटना हो जाय तो उसको सारे प्रदेश पर चस्पां कर दिया जाय --तो हम अपने काम को बिगाड़ेंगे।

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रदेश में भी और बाहर भी अपने कार्य के द्वारा इस प्रदेश के लिये कुछ यश का सम्पादन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की पुलिस हमारे युग के अनुकूल परिवर्तित होगी, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी, उस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकेगी जिसको देश और इतिहास ने उसके ऊपर डाला है और मैं समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके हृदय को तोड़ न दें, उनसे अपेक्षा करें, उनके जीवन को जाग्रत करें और ऐसे सुझाव दें जिनके द्वारा जहां कहीं भी थोड़ी कमी हो उसको दूर

करने में हम समर्थ हों। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार करें ताकि हम इस प्रदेश की शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने में सफल हो सकें।

श्री उग्रसेन––माननीय मंत्री से एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––अब समय नहीं है, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

अब मैं कटौती के प्रस्ताव ले रहा हूं। ११ कटौती के प्रस्ताव हैं इसलिये हम तब तक बैठेंगे जब तक इनके ऊपर और अनुदान के ऊपर मत नहीं हो जाता।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है––"विभाग में जनतांत्रिक पद्धति के न होने से उसके पुनर्संगठन की आवश्यकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :––

पक्ष में––२७,

विपक्ष में––१४२।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है––

"पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असमर्थ रही है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है––

"भ्रष्टाचार निवारण के निमित्त एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है––

"पुलिस प्रशासन का जनवादीकरण करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मद (ख) जिला कार्यकारी दल के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :---

"विकेन्द्रित व्यवस्था के अधीन जिला परिषद् तथा न्याय पंचायत के मातहत पुलिस को करना ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मद (घ) ग्राम पुलिस की उप-मद (१) कर्मचारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :---

"चौकीदारों का ग्राम सुरक्षा के अन्तर्गत न रखना ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मद (ङ) विशेष पुलिस की उप-मद (क) राज्य सशस्त्र कांस्टेबुलरी के भाग १-अधिकारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि में ४,००,००० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--

"बदायूं, आगरा, इटावा जिलों के आसपास डाकुओं के उत्पात ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--

"ग्रामीण थानों में पुलिस कम है तथा सुरक्षा का प्रबन्ध ठीक नहीं है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री माताप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मद (ख) जिला कार्यकारी दल की उप-मद (क) जिला पुलिस का भाग १---अधिकारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---

"जिला प्रतापगढ़ के अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व रक्षा न कर सकना ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८---पुलिस---लेखा शीर्षक २९---पुलिस के अन्तर्गत ९,४१,८४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर लोहिया के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री रामेश्वर प्रसाद जी तथा दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के लिये मुझे नोटिस दिया है। मैं इसको कल लूंगा, यह अखबार में छपे हुये लोहिया जी के भाषण के संबंध में है। जिन्होंने उस भाषण को सुना होगा उनका बयान भी अगर उसके साथ होगा तब मैं उसके ऊपर विचार करूंगा। मैं सिर्फ अखबार की छपी खबर के ऊपर कोई प्रश्न उठाने की आज्ञा देने के लिये तैयार नहीं हूं।

अब हम उठते हैं और कल १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ मार्च, १९५९।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अन्तर्गत पावर स्टेशन्स की सूची

पावर स्टेशन का नाम	इन्सटाल्ड कैपेसिटी
१—पलरा	६००
२—मोला	२,७००
३—निरगजनी	५,०००
४—चितौरा	३,०००
५—सलावा	३,०००
६—सुमेरा	१,२००
७—मोहम्मदपुर	९,३००
८—पथरी	२०,४००
९—चन्दौसी	९,०००
१०—हरदुआगंज	२०,०००
११—रामपुर	४,२००
१२—मैनपुरी	१०,०००
१३—मुरादाबाद	६५०
१४—अलीगढ़	४००
१५—टूण्डला	२००
१६—मेरठ	२५०
१७—सहारनपुर	२५०
१८—लक्सर	५०
१९—डाकरनी	१,४००
२०—टेहरी	२०
२१—नरेंद्रनगर	५०
२२—दोगड्डा	३०
२३—डाकपथार	२६०
२४—गुरसहायगंज	१,५००
२५—निबकरोरी	२,७५०
२६—मैनपुरी	७५०
२७—खटीमा	४१,४००
२८—बागेश्वर	३०
२९—लोहिया हेड	१,७८०
३०—रानीखेत	४१६
३१—सोहावल	१९,५००
३२—गोरखपुर	१५,०००
३३—मऊ	१५,०००
३४—गोरखपुर	३,१२५
३५—मऊ	१,६००
३६—गोरखपुर	३,०९०
३७—देवरिया	६००
३८—मऊ	९००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पावर स्टेशन का नाम			इन्सटाल्ड कैपेसिटी
३९--सोहावल ..	..	..	१,७५०
४०--बहराइच ..	..	..	३,१३६
४१--सिसवा बाजार	..	..	१०८
४२--हमीरपुर	..	..	१९८
४३--महोबा ..	..	..	३१५
४४--केसा, कानपुर	..	..	७९,५००

लाइसेंसधारियों की सूची जो बिजली बनाते हैं

लाइसेंसधारी का नाम		इन्सटाल्ड कैपेसिटी
१--आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, आगरा	..	१३,७५०
२--यू०पी० ,, ,, ,, इलाहाबाद	..	१४,५००
३-- ,, ,, ,, ,, लखनऊ	..	१८,०००
४--बनारस इलेक्ट्रिक लाईट एन्ड पावर कम्पनी लि०, वाराणसी	..	१४,५००
५--बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, बलरामपुर	..	३,४००
६--बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि०, बरेली	..	५,१५०
७--झांसी ,, ,, ,, झांसी	..	१,०१५
८-- ,, ,, ,, गोरखपुर		८५५
९--फर्रुखाबाद ,, ,, फर्रुखाबाद	..	१,१४१
१०--लक्ष्मी ,, ,, ,, हरदोई	..	१,७४०
११--जौनपुर ,, ,, जौनपुर	..	५२०
१२--मिर्जापुर ,, ,, मिर्जापुर	..	९६०
१३--म्युनिसिपल बोर्ड, हल्द्वानी ..	..	६८२
१४--सिटी बोर्ड, मंसूरी ..	..	५,०५०
१५--म्युनिसिपल बोर्ड, नैनीताल ..	..	१,२१०
१६--बांदा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, बांदा	..	३८०
१७--कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, कोसी क्लान	..	६७५
१८--रोहतक एन्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, रायबरेली		२४०
१९--औरैया इलेक्ट्रिक सप्लाई कोआपरेटिव सोसाइटी, औरैया	..	१५०
२०--म्युनिसिपल बोर्ड, उन्नाव ..	..	६७४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर)

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	नाम जिन्स जिसमें हानि हुई (आनों में)			
		गेहूं	जौ	मटर	दीगर
१	२	३	४	५	६
१	दयानतपुर	८	८	१२	८
२	बल्लवनगर करौल बांगर ..	८	८	८	८
३	बल्लवनगर करौलसादर ..	८	८	८	८
४	सीकरी	—	—	३	—
५	निजामपुर	—	—	३	—
६	इब्राहीमपुर जुनैदपुर ..	—	—	३	—
७	मौ० करीमपुर ढाकर ..	—	—	३	—
८	गेसूपुर टैना	—	—	३	—
९	उसवापुर	—	—	३	—
१०	मूडा खेड़ा	—	—	३	—
११	बोरौली	—	—	२	—
१२	लालपुर चितौला	—	—	२	—
१३	तालिबपुर	—	—	२	—
१४	चीती	—	—	२	—
१५	चांदपुर खुर्द	—	—	२	—
१६	लखावटी	—	—	२	—
१७	मो०पुर भोगपुर ..	—	—	४	—
१८	सीकरा	—	—	१	—
१९	सिकन्दरपुर	—	—	१	—
२०	खवरा	—	—	१	—
२१	धरारी	—	—	१	—
२२	भाईपुर बहमन	३	४	४	३
२३	तिर्थला	४	८	६	४
२४	मेहदीपुर बांगर	२	२	४	२
२५	महदीपुर खादर	२	२	४	२
२६	फलैदा बांगर	८	८	१२	८
२७	बनपुरा	६	६	८	६
२८	अमरपुर पलाका	३	३	४	३
२९	सिरौली बांगर	२	२	३	२
३०	सिरौली खादर	२	२	३	२
३१	सुलतानपुर	२	२	३	२
३२	दयौतर	—	—	२	—
३३	चांचली	—	—	२	—
३४	मौहोबअलीपुर	—	—	२	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	नाम जिन्स, जिसमें हानि हुई (आनों में)			
		गेहूं	जौ	मटर	दीगर
१	२	३	४	५	६
३५	धनसिया ..	—	—	२	—
३६	घराना	—	—	२	—
३७	जमालपुर ..	—	—	६	—
३८	हसनगढ़ ..	—	—	४	—
३९	मांछीपुर ..	—	—	४	—
४०	अगवाल ..	—	—	२	—
४१	हजरतपुर ..	—	—	२	—
४२	धरपा चूहापुर ..	—	—	४	—
४३	खलसिया ..	—	—	१	—
४४	बरतौली ..	—	—	३	—
४५	अछेजा खुर्द ..	—	—	१	—
४६	उमराला ..	—	—	१	—
४७	किर्रा ..	—	—	१	—
४८	नगला महीउद्दीनपुर ..	—	—	२	—
४९	रन्हेरा ..	६	६	६	६
५०	कुरैब ..	१२	१२	१२	१२
५१	गोविन्दगढ़ ..	४	४	४	४
५२	करौली बांगर ..	६	८	१२	८
५३	चकवीरसपुर ..	६	८	१२	६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

परिशिष्ट

अ	आ		इ	ई	उ
क्रम-संख्या नहर का नाम	कार्य के आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कुल धन व्यय रुपया	कब आबपाशी प्रारम्भ हुई	कितनी आबपाशी होती है
१—चमेठा माईनर	१·५५	१२·५८	१,०५,१७०	खरीफ १३६६ फसली से	१ एकड़
२—बड़खौल	१·५७	६·५८	५९,९५३	—	—
३—कुमालडी	२·५७	१२·५८	१,७०,३३९	रबी १३६५ फसली से	५ एकड़
४—मुच्छल गांव	२·५७	६·५७	७७,०४७	खरीफ १३६५ फसली से	९२ एकड़
५—जैफोट	५५·५६	५७·५८	१६,९५८	,, ,,	६२ ,,
६—पुनार	५५·५६	५७·५८	६९,२४५	,, ,,	११२ ,,
७—गबिनगांव	५५·५६	५७·५८	४२,९७१	खरीफ १३६६ फसली से	२ ,,
८—जौरासी	५५·५६	५७·५८	५५,२०२	,, ,,	,, —
९—कल्यानी	५६·५७	५७·५८	७,२१२	,, ,,	१ ,,
१०—डूडैक	५४·५५	५६·५८	१,८६,८००	खरीफ १३६५ फसली से	९ ,,
११—मासों	५७·५८	५८·५९	१४,४०६	— —	—

पी० ए० यू० पी०—ए० पी०—१६ एल० ए०—१९५९—८४५।